खण्ड-156, अंक-4
गुरूवार, 24 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(15 सितम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 156 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १५ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छ्न्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ारूक़ी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री

रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, १५ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

जेलों में डिप्टी जेलर्स के पदों को तोड़ने का प्रश्न

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जेलों में डिप्टी जेलर्स के पद को तोड़ देने के प्रश्न पर अथवा डिप्टी जेलर्स और असिस्टेंट जेलर्स के पदों के वेतन को बराबर करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—इस समय ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दोहरीघाट को मऊ पावर हाउस से बिजली देने का प्रश्न

*२—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि दोहरीघाट के नागरिकों की ओर से जो प्रार्थना-पत्र इस आशय का उसके पास आया था कि वहां के नागरिकों को तथा टाउन एरिया को मऊ पावर हाउस से बिजली सप्लाई की जाय उसके विषय में उसने क्या निर्णय किया ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—आवेदन-पत्र का यह जवाब दे दिया गया है कि दोहरीघाट को बिजली देने के प्रश्न पर १९५६ के मध्य तक विचार किया जाएगा, जब कि वहां मऊ पावर स्टीम स्टेशन में एडीशनल प्लान्ट (Additional Plant) लग जायेगा।

*३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[२९ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

मोटरों के भत्ते की दरों में परिवर्तन की आवश्यकता

*४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि मोटरों के भत्ते की दरें इस प्रकार निर्धारित की जायं कि भत्ता किसी भी दशा में रेल के सेकेंड क्लास के किराये से अधिक न हो ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को यह मालूम है कि मोटर का जो भत्ता सरकार देती है वह रेलवे के सेकेंड क्लास के किराये के भत्ते से कितना अधिक होता है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, अधिक होता ही है और होना भी चाहिये।

सब्जी और फूलों के बीज पर बिक्रीकर

*५— श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सब्जी और फूलों के बीज पर सेल्स-टैक्स लगाने का कोई आदेश जारी हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

नोट—तारांकित प्रश्न १–२ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

श्री धर्मसिंह--उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट की धारा ३ के अधीन उन सब चीजों पर, जिन्हें उक्त ऐक्ट की धारा ४ के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से कर से मुक्त न किया गया हो, बिक्री कर लिया जाता है। फूल के बीज इस प्रकार कर से मुक्त नहीं किये गये हैं। इसलिये हर बिक्री पर ३ पाई प्रति रुपये के हिसाब से उन पर बिक्री कर लिया जाता है। उक्त ऐक्ट की धारा ४ के अधीन तरकारी के बीज बिक्री कर से मुक्त हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार फूलों के बीजों को भी बिक्री कर से मुक्त करने का विचार करती है?

श्री धर्मसिंह--इस तरह का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश की विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा बिजली कम्पनियों के लाइसेन्स लेने की मांग

*६--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक कुल कितनी नगरपालिकाओं ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि उनके नगरों में बिजली की कम्पनियों को उन्हें दे दिया जाय?

श्री धर्मसिंह--९ नगरपालिकाओं ने।

*७--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--यदि हां, तो वह कौन कौन सी नगरपालिकायें हैं और सरकार ने उनकी प्रार्थनाओं पर क्या कार्यवाही की?

श्री धर्म सिंह--गाजीपुर, गाजियाबाद, हाथरस, लखनऊ, मथुरा, पीलीभीत, सीतापुर, सोरों और सिकन्द्राराऊ की नगरपालिकाओं ने सरकार से यह प्रार्थना की थी। गाजीपुर, हाथरस, लखनऊ, गाजियाबाद, सोरों, सिकन्द्राराऊ तथा मथुरा नगरपालिका के क्षेत्र में पहले से ही कोई न कोई बिजली कम्पनी कार्य करती है इसलिये इन कम्पनियों के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने तक नगरपालिका को ये कम्पनी नहीं दिलाई जा सकती। सीतापुर के बिजलीघर को श्री सेन तथा सानियाल चला रहे थे इसलिये नगरपालिका को देना संभव न था। पीलीभीत नगरपालिका की प्रार्थना पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर, सीतापुर और पीलीभीत की कम्पनियों के विरुद्ध सरकार के पास बहुत सी शिकायतें आयी हैं?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--गाजीपुर की आयी हैं, बाकी के लिये भी मुमकिन है आयी हों।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन बिजली कम्पनियों की बिजली सप्लाई बहुत खराब है, उनसे लाइसेंस लेकर सरकार नगरपालिकाओं को दिलाने की कृपा करेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जब तक वे शिकायतें उस हद तक कानूनन नहीं पहुंचतीं जो हद की शर्तों में रखी गयी है तब तक कानूनन किसी का लाइसेंस, वापिस नहीं लिया जा सकता। मैं इस नजरिये से गाजीपुर के मामले को देख रहा हूं। जिस किसी का लाइसेंस अगर गवर्नमेंट ने वापिस लिया और उसको हटाया तब यह बात सोची जा सकती है कि किसी म्यूनिसिपैलिटी को लाइसेंस दिया जाय बशर्ते कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी रिकमेंड करे कि उसको लाइसेंस दिया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बहू सीतापुर की कम्पनी को जो सेन सान्याल से ली गई है वहां की म्युनिसिपैलिटी को देने का विचार करती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अब तो वह सरकार के कब्जे में बराएरास्त है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या तिलहर म्युनिसिपैलिटी ने भी दरख्वास्त दी है कि वहां की बिजली कम्पनी उसको दे दी जाय ?

श्री अध्यक्ष--नाम तो उन्होंने बता दिये, उसमें तिलहर नहीं है तो जबरदस्ती कैसे मिला सकते हैं ?

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा बिजली कम्पनी की कुव्यवस्था को देखते हुए वह यह मेहरबानी करेंगे कि ठेके की अवधि के बीच में उसे खत्म कर दिया जाय और नगरपालिका को उसका लाइसेंस दे दिया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उनकी तरफ से जो बात थी वह अब तो ठीक हो चुकी और अभी वह इस हद तक नहीं पहुंची कि जिससे कानूनन लाइसेंस जब्त किया जा सकता हो।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बिजली कम्पनियों की आये दिन की शिकायतों को देखते हुए कम्पनियों का प्रादेशीकरण करने का विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब हो चुका।

व्यापारियों द्वारा अन्तर्राजकीय बिक्रीकर के विरुद्ध आवेदन-पत्र

*८--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार के पास प्रदेश के बाहर के व्यापारियों ने (Inter provincial Sales tax) इन्टर प्राविंशियल सेल्स टैक्स के विरुद्ध आवेदन-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या विचार हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह-- सरकार को इस प्रदेश के बाहर के व्यापारियों और उनके संघों से अन्तर्राजकीय बिक्री कर (इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स) के विरुद्ध कई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इसलिये जब तक माननीय सदस्य किसी खास आवेदन-पत्र का विशेष रूप से हवाला नहीं देते, सरकार के लिये अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है।

*९-११--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---[अगले वृहस्पतिवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--[११ अक्तूबर, १९५५ को प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१३--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--[२९ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ जिले में डकैतियां तथा चोरियां

*१४--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में सन् १९५४-५५ में कुल कितनी डकैतियां अथवा चोरियां हुईं ?

नोट--तारांकित प्रश्न ८ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--सन् १९५४ में ३९ डकैतियां और ६४३ चोरियां हुईं। सन् १९५५ में अगस्त २६ तक २९ डकैतियां और ४४४ चोरियां हुईं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन डकैतियों के करने वाले और चोरियों के करने वालों में से कितने जेल में हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह पूरी तादाद तो मेरे पास इस समय नहीं है।

*१५---श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)--[१९ सितम्बर, १९५५ के लिए प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

भ्रष्टाचार विरोधी समिति, अलीगढ़ द्वारा जिले एवं कचहरियों में भ्रष्टाचार संबंधी प्रस्ताव

*१६---श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि सन् १९५४ तथा १९५५ में भ्रष्टाचार विरोधी समिति, अलीगढ़ ने क्या-क्या प्रस्ताव जिले में फैले हुये भ्रष्टाचार तथा कचहरियों में रिश्वत खोरी के सम्बन्ध में पास किये तथा क्या-क्या सुझाव कमेटी में आये और उन पर क्या अमल हुआ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ २८४-२८५ पर)

राजनीतिक पीड़ितों के सहायतार्थ योजना

*१७---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार ने राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने की कोई नई योजना बनाई है? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी नहीं। वर्तमान योजना का वर्णन हाल में ही सदन में एक प्रस्ताव पर वाद-विवाद के सिलसिले में आ चुका है।

पेशावर गोलीकांड के निष्कासित कर्मचारियों को राजनीतिक पीड़ित मानने से सम्बन्धित आवेदन-पत्र

*१८---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार के पास पेशावर गोलीकांड से सम्बन्धित निष्कासित कर्मचारियों का कोई आवेदन-पत्र आया है कि उन्हें भी राजनीतिक पीड़ित माना जाये? अगर हां, तो सरकार ने उस आवेदन पर क्या कार्यवाही की है?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार पेशावर गोली कांड के सिपाहियों को भी राजनैतिक पीड़ित मानती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, उनको मान लिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंके कि उन पेशावर गोलीकांड के कितने सिपाहियों को पेंशन दी जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पेंशन की दरख्वास्त उनमें से किसी ने नहीं दी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि चन्द्र सिंह गढ़वाली जो उसके नेता थे उनको १५ रुपया माहवार केवल पेंशन के मिल रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनकी दरख्वास्त यह आई थी कि हमारे लड़कों के पढ़ाने का प्रबन्ध कर दिया जाय और आर्थिक हालत खराब है, कुछ थोड़ी सी मदद की जाय और उनकी उस आर्थिक हालत के सम्बन्ध में ५०० रु० मंजूर किया गया था, वह पेंशन के नहीं थे बल्कि चूंकि हम चाहते थे कि यह इस बात का प्रमाण हो जाय कि हम गढ़वाली लोगों को भी पोलिटिकल सफरर मानते हैं इसलिए वह दिए थे, हमने उनके लिये १४ रुपया सहायता स्वीकार की थी क्योंकि १६ रुपया उन्हें गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलते थे, इस तरह से ३० रुपये हो जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार भविष्य में इन गढ़वाली सिपाहियों की या इन पेशावर कांड के सिपाहियों की दरख्वास्त आने पर उन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब हमने उनको पोलिटिकल सफरर मान लिया है तो जितनी सहानुभूति और लोगों के साथ की जायगी उतनी उनके साथ भी अवश्य की जायगी।

एटा जिले के मैजिस्ट्रेट द्वारा जानवर को जेल

*१९—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार को इस बात का पता है कि एटा जिले के एक मैजिस्ट्रेट ने एक जानवर को जेल में भेजा और जिसको जेल वालों ने लेने से इन्कार किया ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

*२०—श्री भगवानसहाय—क्या सरकार ने इस विषय में कोई गश्ती चिट्ठी जारी की है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। सरकारी पत्र की एक प्रति प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ट २८६ पर)

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मुर्रा बुल नं० १२१ का क्या कसूर था जो उसको जेल भेजा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—उसके मुकदमे की फाइल मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो आदेश दिया गया था उसका सारांश क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—वह जेल भेज दिया गया था कि जब तक उसका मालिक लेने आवे तब तक वह जेल में रहे और जब आजाय तो उससे वह रकम ले करके उसको वापस कर दिया जावे।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह जानवर किस दफा में जेल भेजा गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आवरागर्दी में (हंसी)।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन जानवरों के लिये अलग जेल खोला गया है या आदमियों के साथ रहते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जानवर के खिलाफ कोई फैसला सुनाया गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन—वह छोड़ दिया गया है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी गश्ती चिट्ठी पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यदि बहुत बड़ी न हो तो उसका मुख्तसरन हवाला दे सकते हैं ।

श्री मुजफ्फर हसन—अब मना कर दिया गया है कि इस तरह से जेल न भेजा जाय ।

हाईकोर्ट के अन्तर्गत अदालतों में उर्दू भाषा में आवेदन-पत्र देने के आदेश का प्रश्न

*२१—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने हाई कोर्ट को इस बात की हिदायत भेजी है कि अब उनकी मातहत अदालतों में उर्दू जबान में भी दरख्वास्तें दी जा सकती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या यह सही है कि अभी हाल अंजुमने तरक्कियें उर्दू का एक डेपुटेशन माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था और उनसे यह कहा था कि अदालत में उर्दू की दरख्वास्तें नहीं ली जाती है और उस डेपुटेशन ने उनसे यह भी इस्तदुआ की थी कि हाईकोर्ट के मातहत अदालतों को यह हिदायत जारी कर दी जावे कि ऐसी दरख्वास्तें ले ली जाया करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, एक डेपुटेशन मुझसे मिला था। मैंने उनसे कहा था कि इस चीज की जरूरत नहीं मालूम होती, क्योंकि इस चीज की कोई शिकायत नहीं आयी है कि कहीं भी उर्दू की दरख्वास्तें दी गई है और ली नहीं गई हैं। मैंने उनसे पूछा कि उनके पास कोई सबूत हो तो उसको वह भेज दें, तो हाईकोर्ट को तवज्जह दिलाने की कोशिश कर सकता हूं ।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या यह सही है कि उस डेपुटेशन ने मुख्य मंत्री जी से जब कि वह मिला था, यह कहा था कि अदालत मुंसिफी बांसी ने एक फैसले के ओरीजिनल डाकूमेंट को जो उर्दू में था, लेने से इन्कार किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मैंने उनसे कहा था कि उस फैसले की नकल भेज दीजिये या कम से कम हवाला दीजिये कि कौन सा फैसला है तो मैं देखूं ।

*२२—श्री रामचन्द्र विकल—[वापस लिया गया ।]

पश्चिमी वृत्त रामनगर डिवीजन में नियुक्त फारेस्ट गार्डों में हरिजन

*२३—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग के पच्छिमी वृत्त रामनगर डिवीजन में कुल कितने फारेस्ट गार्ड तैनात हैं और इनमें कितने हरिजन (शिल्पकार) वर्ग के हैं ?

वन उपमन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—पच्छिमी वृत्त के रामनगर फारेस्ट डिवीजन में कुल ५९ फारेस्ट गार्ड तैनात हैं और उनमें ८ फारेस्ट गार्ड हरिजन वर्ग के हैं ।

श्री खुशीराम——क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो फारेस्ट गार्डस् रामनगर डिवीजन में नियुक्त हुये हैं वह कहां-कहां पर हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी——यह तो एक डिवीजन का नाम बताया गया है। रामनगर डिवीजन अलग-अलग बीट हैं और उनका यहां पर नक्शा खींच कर बताना सम्भव नहीं है ।

रामनगर डिवीजन में फारेस्ट गार्डों की मुअत्तली

*२४——श्री खुशीराम——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामनगर डिवीजन में १ जनवरी सन् ५५ से अब तक कितने फारेस्ट गार्ड मुअत्तिल रहे व कितनों को अलग किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी——रामनगर फारेस्ट डिवीजन में १ जनवरी, १९५५ से अब तक २ फारेस्ट गार्ड मुअत्तिल किये गये हैं। इन दोनों के मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री खुशीराम——ये जो दो फारेस्ट गार्डस मुअत्तल किये गये हैं, ये किस अपराध पर किये गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——इनमें से एक तो नाजायज काम चोरी के सिलसिले में मुअत्तल है और वह अपनी नौकरी से अनुपस्थित भी रहता था। दूसरा भी इसी अनुपस्थिति के कारण मुअत्तल किया गया है ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)——क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नाजायज चोरी पर मुअत्तली होती है तो जायज चोरी पर क्या सजा दी जाती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*२५-२६——श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)——[४ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३१-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२७——श्री भगवान सहाय——[२७ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२८——श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)——[२९ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९-३१——श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)——[हटा दिये गये।]

प्रत्येक जिले की एंटी करप्शन कमेटी से सम्बद्ध एक-एक पुलिस इन्स्पेक्टर की नियुक्ति का प्रश्न

*३२——श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)——क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार हर जिले की एण्टीकरप्शन कमेटी (Anti corruption Committee) से सम्बन्धित एक-एक पुलिस इंस्पेक्टर मुकर्रर करने जा रही है ? यदि हां, तो उनका काम क्या होगा और उनकी नियुक्ति पुराने staff में से होगी या नई भरती द्वारा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——जी नहीं ।

श्री अब्दुल मुईज खां——क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एंटीकरप्शन कमेटीज से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कोई दूसरा डेजिगनेशन का पुलिस आफिसर मुकर्रर होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री अब्दुल मुईज खां—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एंटीकरप्शन कमेटीज अगर कोई केस पुलिस में भेजना चाहें तो किस अधिकारी के पास भेजेंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनका कांस्टिट्यूशन जैसा कि जिलों में भेजा जा चुका है उसक अनुसार एक मैजिस्ट्रेट वहां रहेगा । वह सेक्रेटरी का काम करेगा और सभी सरकारी महकमों की पुलिस और जितने महकमें हैं उन सबके साथ लाइजन आफिसर का काम भी वही करेगा ।

मैनपुरी जिले की टाउन एरिया कुरावली की जनता को सब-स्टेशन से बिजली देने का प्रश्न

*३३—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में टाउन एरिया कुरावली में जो बिजली घर तैयार हो रहा है उससे ट्यूबवेलों के अतिरिक्त टाउन एरिया कुरावली की जनता को भी बिजली प्राप्त हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह—मैनपुरी जिले के कुरावली कस्बे में इस विभाग का कोई बिजली घर नहीं बन रहा है, लेकिन एक सब स्टेशन बन रहा है जिससे ट्यूबवेलों को बिजली दी जावेगी । कुरावली कस्बे को इस सबस्टेशन में बिजली देने का अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गढ़वाल में जो सबस्टेशन बिजली का बन रहा है उससे गढ़वाल टाउन एरिया को बिजली न देने का क्या कारण है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—किसी सब-स्टेशन से कोई बिजली कहीं नहीं दी जाती । बिजली दी जाती है पावर हाउस से । सब-स्टेशन का काम और होता है । तो जिस पावर हाउस से बिजली दी जाने वाली है उस सब-स्टेशन के पास ट्यूबवेल्स के लिये इतनी बिजली नहीं है कि और बिजली दी जा सके ।

उन्नाव के देहाती क्षेत्र में बिजली पहुंचाने की योजना

*३४—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव के देहाती क्षेत्र में कब तक बिजली पहुंचाने की योजना कार्यान्वित होगी ?

श्री धर्मसिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन्नाव जिले के कुछ कस्बों तथा गांवों को बिजली पहुंचाने का विचार है ।

*३५—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव बिजली घर के विस्तार की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह—इस समय उन्नाव बिजली घर के विस्तार का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कानपुर से उन्नाव बिजली घर को बल्क सप्लाई देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी उन गांवों और कस्बों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—अब तक इस तरह के कोई गांव व कस्बे नहीं है जिनको बिजली दी जा सके । यह तो बाद में निर्णय होगा ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पुरवा तहसील और उसके अन्तर्गत दक्षिण पुरवा निर्वाचन क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित होगा ?

श्री धर्मसिंह—यह तो नहीं कहा जा सकता कि कोई सम्मिलित होगा या नहीं होगा। जब मेरे पास आयेंगे तब उस पर फैसला किया जायगा कि कहां-कहां किया जाय।

पुलिस विभाग के घुड़सवार पुलिस के अतिरिक्त सब-इन्सपेक्टर तथा एस० पी० को घोड़े की सब्सिडी तथा मासिक भत्ता

*३६—श्री श्रीचन्द्र—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर, डी० एस० पी० तथा एस० पी० को किस-किस कीमत का घोड़ा दिया जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—घुड़सवार पुलिस के अलावा किसी पुलिस अफसर को सरकार की तरफ से घोड़ा नहीं दिया जाता है।

*३७—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि डी० एस० पी० को घोड़े का मासिक व्यय क्या दिया जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—किसी डी० एस० पी० को घोड़े का मासिक व्यय नहीं दिया जाता है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से क्या कोई आदेश सब-इन्स्पेक्टर और एस० पी० के लिये ऐसा है कि घोड़े खरीदें ? यदि है, तो घोड़े खरीदने के लिये एस० पी० और सब-इन्स्पेक्टर्स को कितना रुपया दिया जाता है और घोड़ा रखने का भत्ता क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सरकार की तरफ से आदेश यह है कि एस०पी० और देहात के सब-इन्स्पेकटर्स घोड़ा रखें। इसका जवाब तो आगे के सवालों में है जो इसके आगे सवाल किये गये हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एस० पी० को आठ सौ रुपये की सब्सिडी दी जाती है घोड़ा खरीदने के लिये और सब-इन्स्पेक्टर को तीन सौ रुपये सब्सिडी दी जाती है। एस० पी० को ६० रुपया माहवार और सब-इन्सपेक्टर को ४५ रुपया माहवार दिया जाता है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घोड़े की कीमत खरीद और मासिक भत्ते में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—एस० पी० से यह उम्मीद की जाती है कि वह ज्यादा बढ़िया किस्म का घोड़ा रखेगा और शहर में घोड़ा रखने में खर्चा भी ज्यादा होता है। और सब-इंस्पेक्टर जो देहात में होते हैं, उनसे उतनी ऊंची किस्म का घोड़ा रखने की उम्मीद नहीं की जाती है और देहात में शहर के मुकाबिले में खर्चा भी कम होता है।

फारेस्ट रेन्जर प्रतियोगिता परीक्षा में परिगणित जातियों के लिए सुरक्षित स्थान

*३८—श्री तुलाराम (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछली अक्टूबर में जो फारेस्ट रेंजर की प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उसमें कितने स्थान परिगणित जातियों के लिये सुरक्षित किये गये थे ? कितने परिगणित जातीय उम्मीदवार उस परीक्षा में पास हुये तथा कितने उनमें से ट्रेनिंग के लिये भेजे जा चुके हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पिछले अक्टूबर की फारेस्ट रेंजरों की परीक्षा में दो स्थान परिगणित जातियों के लिये सुरक्षित किये गये थे। ४ परिगणित जातियों के उम्मीदवार उसमें पास हुये और उनमें से ट्रेनिंग के लिये केवल एक ही भेजा जा सका।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो दो लिये गये थे उनमें से एक ट्रेनिंग के लिये नहीं भेजा जा सका, उसका क्या कारण है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--चूंकि समय पर उनको इत्तिला नहीं दी जा सकी और जनरल सीट का जो आदमी था वह अवेलेबुल था नैनीताल में तो चीफ कंजरवेटर ने उसे ही भेज दिया, अन्यथा वह सीट छिन जाती।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाकी तीन उम्मीदवारों में से दूसरे उम्मीदवार को ट्रेनिंग में भेजने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अब तो इस साल का कोर्स चल पड़ा है। मगर पब्लिक सर्विस कमीशन से लिखापढ़ी चल रही है कि अगले साल पब्लिक सर्विस कमीशन सहमति दे देगा तो भेज दिया जायगा।

श्री शिवनारायण---क्या यह सही है कि जिस उम्मीदवार को सरकार सूचना न दे सकी वह विदेश चला गया था?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नहीं, वह तो यहीं है।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार ने तार या वायरलेस द्वारा उसको सूचना देने की कृपा की थी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नहीं, यह नहीं किया जा सका। अफसोस है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कैंडीडेट को सूचना नहीं मिल सकी, इसका जिम्मेदार कौन था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैंने कह दिया कि अफसोस की बात है। वक्त कम होने से चीफ कंजरवेटर सूचना नहीं दे पाये और इसके लिये सरकार की ओर से लिखा पढ़ी पब्लिक सर्विस कमीशन से की जा रही है कि अगले वर्ष उसको योंही लिया जा सके तो बड़ी अच्छी बात होगी।

एस० पी० तथा थानेदारों के घोड़ा भत्ता में अन्तर

*३९--श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थानेदारों को घोड़े का एलाउन्स ४५ रु० माहवार और एस० पी० को ६५ रु० माहवार दिया जाता है? यदि हां, तो ऐसा अन्तर क्यों है?

श्री जगनप्रसाद रावत--जिले के एस०पी० इंचार्ज को ६० रु० और देहात के थानों पर तैनात किये गये थानेदारों को ४५ रु० घोड़ा भत्ता दिया जाता है। अन्तर का कारण यह है कि एस० पी० को थानेदारों के घोड़ों की अपेक्षा ज्यादा उत्तम और अच्छी स्थिति के घोड़े रखने पड़ते हैं जिन पर खर्च ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा एस० पी० को शहर में घोड़ा रखना पड़ता है जहां ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा भूसा-घास तथा चना ज्यादा महंगा मिलता है।

प्रत्येक थाने में जीपकार का प्रबन्ध करने का प्रश्न

*४०--श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह हर थाने में एक जीपकार का प्रबन्ध करने पर विचार कर रही है?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद--चूंकि थानेदार को घोड़े पर अधिक यात्रा करनी पड़ती है तो सरकार का विचार है कि थानेदार का भी एलाउन्स बढ़ा कर एस० पी० के बराबर कर दिया जाय?

श्री जगनप्रसाद रावत--दोनों के जो एलाउंस हैं उनमें इतना अन्तर नहीं है कि उसमें सरकार को पुनः विचार करने की आवश्यकता हो।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस विज्ञान के युग में घोड़े की जगह किसी दूसरी सवारी को मुहइया करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---बात यह है कि देहात में तो इस समय घोड़ा ही काम कर सकता है। हां, हेलीकाप्टर अगर ले सकेंगे तो जरूर कोशिश करेंगे ।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एस० पी० को जो आठ सौ रुपया घोड़ा खरीदने के लिये दिया जाता है और इंस्पेक्टर को तीन सौ रुपया दिया जाता है, तो दोनों घोड़ों में क्या फर्क है जिससे मालूम हो कि यह अच्छा घोड़ा है या बुरा घोड़ा है ?

श्री अध्यक्ष---यह राय का सवाल है । माननीय सदस्य स्वयं राय कायम कर सकते ह, और घोड़ा पहचान सकते हैं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर गौर करेंगे कि देहात में रहने वाले थानेदार और एस० पी० को जो घोड़े की कीमत दी जाती है, उन दोनों को अच्छे घोड़े की कीमत दी जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत---ऐसा तो कोई विचार करने का इरादा नहीं है।

श्री भगवान सहाय---क्या यह बात सही है कि सब-इन्स्पेक्टर को जो घोड़ा खरीदने के लिये एलाउंस मिलता है उसमें कोई नाप निर्धारित है कि इससे कम की नाप का घोड़ा नहीं खरीद सकते हैं, वह नाप कम से कम क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---नाप की इस समय तो कोई तफसील नहीं है । अगर आप कहेंगे तो मैं उस तफसील का पता लगा दूंगा। लेकिन साधारण तौर से दोनों घोड़ों में काफी अन्तर होता है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो देहातों में रहने वाले सब-इन्स्पेटर हैं उनके लिये घोड़ा रखना अनिवार्य है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---नहीं। परन्तु उनको काफी दौरा करना पड़ता है और घोड़े पर ही दौरा करने में सहूलियत होती है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कप्तान पुलिस के पास घोड़े के अलावा और दूसरी सवारी रहती है और थानेदार के पास कोई दूसरी सवारी नहीं रहती ?

श्री जगनप्रसाद रावत---हां। कप्तान पुलिस के पास मोटर वेहिकिल्स भी रहती है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी शहर में रहने वाले थानेदारों को उतना ही भत्ता देने की व्यवस्था करेंगे जितना कि कप्तान पुलिस को मिलता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---शहरों में सब-इन्स्पेक्टर आम तौर पर घोड़ा रखते नहीं हैं, इसलिये यह सवाल नहीं उठता।

प्रदेश में थानेदारों के पास घोड़े तथा प्रत्येक थानेदार को वर्दी का भत्ता

*४१---**श्री इस्तफा हुसैन**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस प्रदेश में कितने थानेदारों के पास घोड़े हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस प्रदेश में कुल ८३५ थानेदारों के पास घोड़े हैं।

*४२–श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हर पुलिस सब-इन्स्पेक्टर को वर्दी (Dress) के लिये वह क्या allowance देती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--केवल एक बार सिविल पुलिस के हर सब-इन्स्पेक्टर को १५० रु० तथा आर्म्ड, माउंटेड व मिलिटरी पुलिस के हर सब-इन्स्पेक्टर को १०० रु० उनकी पूरी नौकरी में दिया जाता है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस वक्त उनके पास या उनकी सरकार के पास थानेदारों की तरफ से दरख्वास्तें आई हुई हैं घोड़े के वास्ते और उनको रुपया नहीं मिल रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--ऐसी कोई सूचना मेरे पास तो नहीं है।

श्री बलवन्तसिंह--देहातों में जो सब-इन्स्पेक्टर रहते हैं उनके लिये घोड़ा रखना सरकार की तरफ से अनिवार्य है या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अनिवार्य नहीं है ?

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में थानेदारों की कुल संख्या क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इस समय ठीक आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन उनकी संख्या लगभग २,००० के ऊपर है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो संख्या बताई गई है थानेदारों की जिनके पास घोड़े हैं, उनमें से कितने शहरों के अन्दर रहते हैं और कितने देहातों में ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसके लिये तो अगर आप दूसरा प्रश्न करें तो मैं पता लगा कर आपको बता सकता हूं।

बनस्पति घी पर बिक्री कर हटा लेने का प्रश्न

*४३–श्री जोरावर वर्मा--क्या यह सत्य है कि सरकार ने बनस्पति घी पर बिक्री-कर हटा लिया है, यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

*४४–श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि प्रति रुपया (बनस्पति घी पर) क्या बिक्री-कर देना पड़ता था ?

श्री धर्मसिंह--पहिली अगस्त, १९५५ ई० से पहिले वनस्पति पर ६ पाई प्रति रुपये के हिसाब से एक स्थानीय बिक्री-कर लिया जाता था। अब ९ पाई प्रति रुपये के हिसाब से एक स्थानीय बिक्री-कर लिया जाता है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मूंगफली के तेल पर भी पहले कुछ बिक्री-कर लगता था उसे हटा लिया गया है।

श्री धर्मसिंह--जी हां, लगता था।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बिक्री-कर कितना लगता था और हटाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपने सिर्फ वनस्पति घी के बारे में पूछा है। मूंगफली के करों के बारे में अधिक नहीं पूछ सकते।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वेजिटेबिल घी को डिसकरेज करने के लिये उसके ऊपर और सेल्स टैक्स लगाने का विचार रखते हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं। जैसा उत्तर में दिया गया है कि अन्य वस्तुओं के मुकाबिले में इस पर ज्यादा टैक्स अब भी है ।

जेल उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन के लिए उद्योग डाइरेक्टोरेट द्वारा सहयोग

*४५---श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने का कृपा करेगी कि जेल के उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन के लिये उद्योग डाइरेक्टोरेट कार्य करती है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां, आवश्यकता पड़ने पर उद्योग डाइरेक्टोरेट भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग देती है ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या सरकार जेल उद्योग और प्रदेश के उद्योगों की डायरेक्टोरेट को एक करने पर विचार कर रही है । यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

श्री मुजफ्फर हसन---अभी तो मैंने अर्ज किया कि कमेटी का रिपोर्ट आने पर विचार किया जायगा । जब वह आ जायगी तो यह सवाल भी देख लिया जायगा ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या यह सही है कि जेलों में बना हुआ सामान बाजार की चीजों से कुछ महंगा मिलता है, यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह सही है कि जेल का सामान किन्हीं मानों में कुछ महंगा होता है । इसकी वजह यह है कि इसकी पहले भी कई बार कमेटियां बैठ चुकी है और उनके सामने यह सवाल था कि जेलों के सामान की कीमत कम रखी जाय । लेकिन आम तौर पर कमेटी ने यह राय दी कि जेल का समान कुछ थोड़ा महंगा रखा जाय । वह इसलिये कि जेलों में गवर्नमेंट के पास कैदी मुफ्त के होते हैं, इसलिये अगर दाम बाजार की चीजों से कम रखे जायेंगे तो बाहर का जो सामान होगा उस पर काफी असर पड़ेगा । यह ठीक है कि जेल का सामान मजबूत और अच्छी क्वालिटी का होता है इसलिये अगर जो लोग महंगे दाम देकर अच्छा सामान खरीदना चाहें तो वह जेल का सामान लें, नहीं तो बाजार जायें ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कमेटी कब बनी थी और उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री मुजफ्फर हसन---तकरीबन ४,५ महीने हुये और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आ जायगी ।

श्री हरदयालसिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जेलों में औद्योगिक काम करने वाले जेलियों को क्या प्रति दिन मिलता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---आपका मतलब क्या कैदियों को उजरत देने से है ?

श्री हरदयालसिंह पिपल---जी हां ।

श्री मुजफ्फर हसन---तो अभी तक तो कुछ यहां पर माडल जेल में कुछ कैदियों को अपना काम स्वतंत्र रूप में चलाने का मौका दिया गया है । उससे वह फायदा उठाते हैं और काम की पूरी उजरत उनको दी जाती है जिसमें से उनके खाने और कपड़े की उजरत काट ली जाती है ।

हैण्डी क्रैफ्ट इम्पोरियम तथा जेल डिपो के बिक्री-केन्द्र को एक करने का प्रश्न

*४६---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या सरकार हैन्डी क्रैफ्ट इम्पोरियम और जेल डिपो दोनों का विक्री केंद्र एक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

श्री मुजफ्फर हसन--अभी सरकार ने इस संबंध में कोई विचार निश्चय नहीं किया है। सरकार द्वारा नियुक्त की गई जेल इन्डस्ट्रीज इन्क्वाइरी कमेटी यू० पी० जेल डिपो के संचालन में आवश्यक सुधारों पर विचार कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

उत्तर प्रदेश में जेल के सामान के बिक्री डिपो तथा उनकी वार्षिक आय

*४७--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने जेल सामान के बिक्री के डिपो हैं? उनकी वार्षिक आय और बचत क्या है?

श्री मुजफ्फर हसन--उत्तर प्रदेश में ऐसा केवल एक ही डिपो है। वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में इस डिपो की आय ७२,४१९ रु० थी बचत ११,०४० रु० थी।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जेलों में बनी हुई वस्तुओं का सेल डिपो राज्य के बाहर भी है?

श्री मुजफ्फर हसन--मैं इसका जवाब दे चुका हूं केवल एक दूकान है लखनऊ में।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जेल डिपो की आय और व्यय का जो विवरण दिया गया है तो खर्च में क्या कैदियों की मजदूरी भी शामिल है?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह कमेटी बैठी हुई है उसमें कितने सदस्य हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--मेरा खयाल है बारह या तेरह सदस्य हैं।

*४८--श्री लक्ष्मणराव कदम--[अगले बृहस्पतिवार के लिये स्थगित किया गया।]

पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्सम्बन्धी अन्य पारिणामिक और आनुषंगिक विषयों के नियन्त्रण और विनियमन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष--अब माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर विवाद जारी रहेगा।

†श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह निवेदन कर रहा था कि जो कुछ भी माननीय नारायणदत्त जी ने उस प्रस्ताव के विरोध में कहा था उसका अर्थ यह नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की भावनाओं से हम सहमत नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की जो भावना पुरस्कार पहेली प्रतियोगता के सम्बन्ध में पाबन्दी लगाने की है, उसको तो हम भी मुनासिब समझते हैं कि वह लगनी चाहिये, परन्तु हमारा कहना यह है कि हमें इस प्रकार का कोई कानून स्वयं ही बनाना चाहिये, यानी हमारी विधान सभा ही बना सकती है और विधान सभा जिस कार्य को करने के लिये क्षम्य है तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि उस काम को हम पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ें। हमारा ऐसा तजुर्बा है कि पार्लियामेंट के ऊपर, केन्द्रीय सरकार के ऊपर, जो हमने काम छोड़ा है उसमें हमारी इच्छाओं का उन्होंने पूरा-पूरा ध्यान नहीं रखा है और यह कोई शिकायत के तौर पर नहीं बल्कि मैं तो बहुत असंतुष्ट हो करके यह बात कह रहा हूं कि जब कभी भी ऐसा मौका आया है तो उन्होंने जो कुछ भी हमारे अधिकार कभी भी ले लिये या जो हमने अपने अधिकार कभी भी उनको दे दिये उसमें जो हमारी अपेक्षा थी, जो हम आशा करते थे कि इस तरह से हमारे साथ इंसाफ होगा, उसमें इंसाफ नहीं हुआ। मैं उदाहरण के तौर पर अपने यहां के चीनी के उद्योग को सामने

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखता हूं। चीनी हमारे प्रदेश का ऐसा उद्योग है जिसके बनने बिगड़ने पर हमारे सूबे की इकनामी बन बिगड़ सकती है। उन्होंने हमारे काफी अख्तियारात लेजिस्लेचर के ले लिये, लेकिन उनको लेने के बाद उन्होंने यू० पी० की शुगर इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिये क्या किया, यह मुख्य मंत्री हमें कभी बतायें या विधान सभा को बतायें, तो हम अपना बड़ा भाग्य समझेंगे।

हम जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री की सिफारिश और उनकी दौड़-धूप के बाद भी हिन्दुस्तान की सरकार ने सुनने में कोताही की है और जब कभी ऐसी जरूरत आई हमको और हमने उनसे सिफारिश की, तो बजाय इसके कि हमारी बात सुनकर इंसाफ किया जाय, उन्होंने कुछ ऐसा कानून बनाया जिसके जरिये हमारा नुकसान हुआ। यह तो साधारण सी बात है कि गन्ने की कीमत तय करना हमारे हाथ में है और यू० पी० सरकार और बिहार की सरकार मिल करके तय करती, लेकिन वह उन्होंने ले लिया और उसको लेने के बाद उन्होंने जो हमारे साथ अन्याय किया उसका दाग और दर्द हमारे दिल में है। जब हमने कभी इसके लिए आवाज उठाई तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, बल्कि यह किया कि हमारे आन्दोलन का लाभ उन्होंने उठाया और यह किया कि पिछले वर्ष जब किसानों को कीमत दिलाने की चर्चा थी उसके लिये आन्दोलन था तो उन्होंने शूगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर केन्द्रीय सरकार के खजाने को बढ़ाया। तो अध्यक्ष महोदय, यह तो हुआ ज्वलंत उदाहरण उनके अन्याय करने का हमारे साथ। इसी प्रकार दो एक चीजें और उदाहरण के तौर पर——तफसील में नहीं——बाढ़ के सिलसिले में कहना चाहूंगा हूं कि उन्होंने अगली पंचवर्षीय योजना में केवल ३५ करोड़ रुपये की योजना रखी है कि इतने में सूबे भर की बाढ़ की सारी कार्यवाही कर डालेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि दामोदर घाटी या कोसी प्रोजेक्ट जैसी स्कीम जो एक एक अरब से ऊपर की स्कीमें हैं वे उत्तर प्रदेश के लिये क्यों नहीं सोचते और क्यों नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी उन्हें राजी कर पाते। माननीय मुख्य मंत्री जी अपना दबाव इस विधान सभा के ऊपर डाल सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार को जो हमारे अधिकार हैं उन्हें भी दे डालो, लेकिन केन्द्रीय सरकार से लेने में वे कितने सफल रहे हैं यह भी बतायें। और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं, लेकिन कम से कम इन दो-तीन बातों की तरफ इशारा करके हम अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहते हैं। हम केन्द्रीय सरकार को एक रत्ती भर भी अख्तियार देना नहीं चाहते।

अलावा इसके मैं एक तरफ और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं कि संविधान के आर्टिकिल २५२ का जिक्र किया गया कि उसी आर्टिकिल के अनुसार हम केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह कानून बना दे कि पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में वह कानून बनाये। लेकिन इससे जो मंशा माननीय मुख्य मंत्री जी की है वह कैसे पूरी होगी? यह बात सही है कि हम चूंकि यह प्रस्ताव स्वीकार करेंगे इसलिये जो कोई भी कानून पार्लियामेंट बनायेगी इस सम्बन्ध में, वह आटोमेटीकिली हमारे ऊपर लागू होगी, लेकिन परेशानी यह है कि चाहे माननीय पद्मनाथ सिंह जी हों या और जिन माननीय सदस्यों ने इस पर कहा उन्होंने यह कहा कि यह एक ऐसा विषय है जिसको कि हम केवल एक सूबे से सारे सूबों को रेगुलेट नहीं कर सकते। इसलिये हम चाहते हैं कि ऐसा कानून पार्लियामेंट बना दें। लेकिन, श्रीमन्, अगर आप आर्टिकिल २५२ को देखें तो पार्लियामेंट के कानून बना देने के बाद भी, उसमें यह स्पष्ट है कि जो सूबा उसके पक्ष में प्रस्ताव नहीं करेगा वहां पर वह कानून लागू नहीं हो पायेगा। तो फिर तो बात यह होगी कि मान लीजिये एक छोटा सा सूबा है जो जुए से एक आध करोड़ रुपये आमदनी करता है और वह प्रस्ताव उसके पक्ष में नहीं पास करता है तो वह कानून वहां नहीं लागू होगा या दूसरे शब्दों में उत्तर प्रदेश, पेप्सू, आन्ध्र, बम्बई सब कहते हैं कि ऐसा कानून बनाना चाहिये और वह कानून बन गया और इन सूबों में लागू हो गया, लेकिन उदाहरण के लिये मान लीजिये, मैसूर नहीं चाहता है कि वह कानून उसके यहां लागू हो, तो फिर

[श्री गेंदासिंह]

कौन सा उपाय है मैसूर में भी वह लागू हो। तो ऐसे प्रस्ताव के पास होने के बाद भी कोई ताकत पार्लियामेंट को हम नहीं दे रहे हैं जिनकी बुनियाद पर वह उन सूबों में भी लागू करा सके, जो नहीं लागू करना चाहते हैं। हां, एक बात हो सकती है कि २४९ आर्टिकिल के अनुसार कौंसिल आफ स्टेट अगर इस तरह का कानून पास करे तो वह केवल दो वर्षों के लिये सारे सूबे पर इस तरह का कानून लागू करा सकती है और वह भी दो किस्तों में, एक किस्त में एक वर्ष के लिये और दूसरी किस्त में दूसरे वर्ष के लिये। लेकिन वह हमेशा के लिये नहीं हो सकता। अब यह बात कही जा सकती है कि हम पब्लिक ओपीनियन को एजिटेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने अख्तियार को पार्लियामेंट को न देकर भी यह काम कराया जा सकता है। पब्लिक ओपीनियन को अगर केवल एजिटेट करना हो तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि कोई इस प्रकार का विधेयक लाया जाय और वह विधेयक हमारी विधान सभा पारित करे और पारित करने के बाद सारे सूबे में अगर पब्लिक ओपीनियन जाग्रत हो पाये तो दूसरे सूबे भी इसी प्रकार कानून बनायें, यह सब से अच्छा तरीका है। मैं अनुरोध करूंगा कि हम इस तरह से अपने अधिकार पार्लियामेंट को देने के विरोधी हैं और इसी भावना को लेकर हम मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध करते हैं और जो कुछ भी उनकी भावना पाबन्दी लगाने की हो, उसका विरोध करने का हमारा मतलब नहीं है। इसमें हम बिलकुल उनके साथ हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय क्योंकि बहुत विवाद हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अभी काफी बहस नहीं हुई है। अभी बहुत लोग बोलना चाहते हैं, ऐसा मालूम होता है तो अभी एक दो लोग और बोल लें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। इसके विरोध में जो बातें श्री गेंदासिंह और नारायणदत्त जी ने कही है उनको मैंने बहुत ध्यान से सुना है। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि हमारे दोनों साथी, जहां तक उसूल का संबंध है तथा इस प्रस्ताव के पीछे जो सिद्धान्त है, उससे सहमत हैं। वह इस बात को मानते हैं, इस प्रकार की जो जुआखोरी की आदत क्रासवर्ड पजिल्स की तथा अन्य गेम आफ स्किल की आड़ में हमारे प्रदेश में लोगों की पड़ती जा रही है उसको हमें कहीं न कहीं कंट्रोल करना चाहिये और उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। परन्तु उनको आपत्ति यह है कि जो अधिकार इस सदन का था उसको स्वयं इस्तेमाल न करके पार्लियामेंट को क्यों दिया जाय।

मैं समझता हूं कि इसमें कोई अधिकार छीनने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट ने तो कहा नहीं कि हमें तुम अपना यह अधिकार दे दो। स्पष्ट है कि यह अधिकार तो हम स्वयं अपनी खुशी से दे रहे हैं यह समझ कर कि सहूलियत और आसानी के साथ देश के तमाम प्रदेशों के लिये एक सा कानून बन जाय। इस संबंध में शायद उनको याद होगा कि बम्बई ने अपने यहां इस सम्बन्ध में एक कानून बनाया था और उन्होंने यह कोशिश की थी कि इस किस्म की चीजों पर एक किस्म का लायसेंस दिया जाय तो उसका परिणाम यह हुआ कि इस काम के करने वालों ने बम्बई से हट कर दूसरे प्रांतों में अपना अड्डा जमा लिया। इसलिये या तो यह हो कि जितने हमारे यहां प्रांत है सभी अपने यहां यह कानून बनायें तब यह काम हो सकता है और इसमें भी यह कठिनाई रह सकती है कि कहीं कोई कानून बनेगा और कहीं कोई, और उनमें किसी किस्म की यूनीफार्मिटी नहीं होगी और यह भी अंदेशा हो सकता है कि किसी तरह का कोई लूपहोल रह जाय, जिससे एक प्रदेश में कानून बने और दूसरे प्रदेश में कोई कमी हो, जिसके कारण सारा मकसद ही कामयाब नहीं हो सकता है फिर समय भी अधिक लगेगा।

दूसरे मैं यह समझ नहीं पाया कि पार्लियामेंट से कानून बनवाने में क्या आपत्ति हो सकती है। वह हमारे देश की सुप्रीम रिप्रेजेन्टेटिव बाडी है और वह कानून बनाती ही है। जिस तरह हमारे प्रदेश में चुने हुये नुमाइन्दे यहां आते हैं उसी तरह से वहां पर भी चुने हुये नुमायन्दे जाते हैं। हम यदि उनको अधिकार दे दें कि वह एक ऐसा कानून बनादें जो हमारे प्रदेश में भी लागू हो, तब मैं नहीं समझ पाया कि इसमें क्या आपत्ति की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा होता कि हम अपने प्रदेश की स्थिति को देख कर कानून बनाते। इस तरह से उन्होंने जो चोनी की बात कही वह मेरी समझ में नहीं आयी कि वह कहीं फिट बैठती है या नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि पार्लियामेंट बहुत से ऐसे कानून बनाती है जिनमें प्रदेश की स्थिति को ध्यान में नहीं रखती है। लेकिन जहां तक श्रीमन्, इसका ताल्लुक है इसमें कहीं की स्थिति या परिस्थिति की भिन्नता का सवाल नहीं है, हर जगह एक जैसी है। हम समझते हैं कि सब जगह गेम आफ स्किल्स के नाम से खेल हुआ करते हैं, जिसमें हजारों के प्राइजेज होते हैं। क्रासवर्ड पजिल में भी फर्स्ट प्राइज ५०,००० रु० तक का होता है। हमारे पढ़े-लिखे लोगों से कहो कि जुआ खेलते हो, तो कहेंगे कि नहीं खेलते, लेकिन एक एक आदमी २५०-३०० रुपये तक कि एंटरीज भेजता है। इस तरह से इस में पढ़े लिखे लोग ज्यादा शामिल होते हैं। इसमें किसी प्रदेश की विशेष परिस्थिति की कोई बात नहीं है।

हम सिर्फ यह चाहते हैं कि यह जो जुये के खेलने का क्रासवर्ड पजिल का इन्डाइरेक्ट तरीका है इससे जुये की भावना बढ़ती है, उसमें पैसे की बरबादी होती है। शोषण भी होता है और कुछ निम्न स्तर के अखबारों का सरकुलेशन भी बढ़ जाता है इसको रोका जाये। प्रेस कमीशन की जो रिपोर्ट निकली है उसमें भी इस बात पर प्रकाश डाला गया है और उन्होंने भी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और बहुत सी सिफारिशें भी की हैं। मैं उसकी इस समय डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने इस बात के लिये कहा है कि बहुत से अखबारों का चीप जर्नलिज्म होने के बावजूद भी इन प्रतियोगिताओं की वजह से सरकुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि उसको खरीदना लाजिमी-सा हो जाता है। तो असल में मन्शा तो यह है और उस सिद्धान्त से गेंदासिंह जी भी सहमत हैं कि यह जो इस तरह का क्रासवर्ड पजिल कम्पीटिशन है उसमें इनाम देने की कोई सीमा नहीं है, वह हजारों का भी होता है, लाख का भी और दो लाख का भी होता है। इसके लिये प्रतिबन्ध लगाया जाय और इस पर नियंत्रण होना चाहिये। इसके लिये एक बिल पार्लियामेंट के सामने पेश है और हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी इस संकल्प को यहां पर इसी लिये पेश किया है। कुछ भाइयों ने कहा कि अच्छा होता कि यदि यह संकल्प इससे पहले यहां पर आया होता। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब वहां पर बिल पेश हो गया है तो वर्तमान प्रस्ताव यहां पर भी पेश हो गया है और इससे पहले आने के कोई मायने नहीं होते। पहले वहां पर बिल पेश हो गया और उसके बाद यहां पर प्रस्ताव आ गया। तो मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत ही सामयिक है। जब इसके सिद्धान्त से मतभेद नहीं है तो सिर्फ इस बात को कहना कि हम अपना अधिकार पार्लियामेंट को क्यों दे दें, हालांकि मैं इस भवन के अधिकार को पार्लियामेंट को देने में कोई आपत्ति नहीं समझता, क्योंकि यह कोई प्रेस्टीज का मामला नहीं है, उचित नहीं मालूम होता है। मुझे आशा है कि श्री गेंदासिंह जी बड़ी गम्भीरता के साथ जब इस सिद्धान्त को मान गये तो वह इस प्रस्ताव का भी समर्थन करेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जुआ और किसी भी रूप में जुआ हो, उससे मुझे व्यक्तिगत रूप में घोर आपत्ति है और मैं उसका विरोधी हूं। यह होते हुये भी मेरी यह लाचारी है और इस लाचारी के लिये मुझे दुख है कि प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन नहीं कर पा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, बात तो कोई बहुत लम्बी नहीं है। यह

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

क्लासवर्ड पजिल की जो बात है या इसी प्रकार के और पुरस्कार के लिये जो प्रतियोगिता होती है उनके लिये आज हम प्रस्तुत संकल्प के द्वारा अपना अधिकार छोड़ कर संसद को देने के लिये तैयार हो रहे हैं। सुनने में यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखायी देती, किन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्री के सामने यह विचार प्रकट करूंगा कि यदि हम इसके लिये इतनी जल्दी तैयार हैं तो अपने अधिकार को छोड़ना एक प्रकार से प्रिसीडेंट सेट अप करना होगा। सम्भवतः इस समय कोई बुरा परिणाम न मालूम पड़े, हालांकि मैं समझता हूं कि इस प्रकार से कुछ हद तक हमारे ऊपर बुरा परिणाम पड़ता है, किन्तु भविष्य के लिये यह बुरी बात है। मैं इसके लिये स्पेट उदाहरण देने के लिये तैयार हूं। यूनिफार्मिटी की चर्चा की जाती है और कहा जाता है कि जहां तक हो सके पूरे भारत के लिये एक समान कानून हो और विशेष कर ऐसे सामाजिक विषय के सम्बन्ध में एक प्रकार से कानून होना उचित है। मैं समझता हूं कि यदि यह प्रिन्सिपिल एक बार स्वीकार कर लिया जायगा तो इसका नतीजा यह अवश्य होगा कि जो हमारा आज सेल्स टैक्स है वह कभी न कभी सेन्ट्रल लेजिस्लेशन बन जायेगा। अभी बीच में सैल्स टैक्स के सम्बन्ध में कितनी उलझन पैदा हो गयी थी, यह मुख्य मंत्री महोदय को भली-भांति मालूम है और यह कहना कि इस उलझन के कारण हमारे मुख्य मंत्री इस विषय को, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश को इतनी आमदनी होती है उसको वह सेन्टर के हाथ में दे देना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि गलत चीज होगी। किन्तु जो यहां पर बहस की गयी है कि यूनिफार्मिटी का सिद्धान्त रहे और जहां तक हो सके हर एक विषय के सम्बन्ध में हर एक प्रांत में एक ही समान कानून हो, यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है, मैं समझता हूं कि कभी न कभी यह सेल्स टैक्स का विषय भी हमारे हाथ से चला जायगा। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, यूनिफार्मिटी से व्यक्तिगत रूप से मैं घबराता हूं वैसे तो पौपी कल्टीवेशन को आज इन्टरनेशनली कायम किया जा रहा है। टेहरी गढ़वाल के एक छोटे से अंश में पौपी कल्टीवेशन की जाती है। इन्टरनेशनल यूनीफार्मिटी हो तो वैसे अच्छी बात है, लेकिन पौपी उनके खाने का पदार्थ है और वह वहां बैन कर दिया गया है। हमने यहां और केन्द्र में इस सम्बन्ध में चर्चा की। यह यूनीफार्मिटी बड़ा भयानक शब्द है और इससे हमको बच कर ही रहना चाहिये। आखिर प्राविशियल आटोनामी का भी कुछ मतलब है। यदि बम्बई की सरकार एक बात को माने और मैसूर की सरकार न माने, तो केन्द्र यदि यह कहे कि लाओ हम आर्बिट्रेशन करें या प्रदेशों के पूरे भाग्य का निर्माण करें, तो यह उचित नहीं होगा। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान का रवैया अपनाया जायगा कि पूरा भारत भी एक यूनिट बनाया जाय। हमारे मुख्य मंत्री इस प्रस्तुत विषय पर चाहे जितना नियंत्रण करें और चाहें बन्द भी कर दें, तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। परन्तु यह उचित नहीं है कि आप एक ब्लैंक चैक अपने हाथ से छोड़ दें। जहां तक डैलीगेशन का सम्बन्ध है, तो मैं एक दूसरे विचार का भी हूं कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा, जुआ चाहे किसी प्रकार का हो, मैं उसके खिलाफ हूं। फिर भी मैं समझता हूं कि समय समय पर किसी प्रकार का आउट लैट होना आवश्यक है। किसी चीज की बुराइयां दूर करना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि हमें लकीर का फकीर नहीं होना चाहिये। मैं केवल उदाहरण रखने के लिये कहता हूं कि आइरिश स्वीप स्टेक जो कि केवल आयरलैन्ड की ही नहीं है बल्कि पूरी दुनियां में फैली हुई है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां इन चीजों का लाभ एक ही व्यक्ति को या चन्द व्यक्तियों को ही जाता है। आइरिश स्वीप स्टेट का लाभ अधिकांश चैरिटी में जाता है।

कुछ समय पहले वर्तमान हैदराबाद स्टेट में एक अस्पताल बनाने के लिये एक लाटरी चलाई गई थी, जिसके द्वारा वह अस्पताल पूरा बना। मैं समझता हूं कि प्लानिंग के लिये और स्माल सेविंग के लिये चाहे सरकार कितना ही ड्राइव क्यों न करे, फिर भी ऐसी चीजों के लिये जनता दुगना रुपया देने के लिये तैयार हो जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। स्वयं माननीय मंत्री मंडल स्पोर्ट्स के पक्ष में हैं किन्तु जब पैसे का सवाल आता है तो प्रीफ्रेरेंस दूसरी चीजों को मिलता है। यदि कल ही हम एक प्रकार की लाटरी नियम से चलाकर रुपया जमा करना चाहें

तो मैं समझता हूं कि कबाल टाउन्स में एक पूरा पूरा स्टैडियम तैयार हो सकता है इसमें मैं समझता हूं मुख्य मंत्री महोदय को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यदि इस संकल्प के पारित होने के बाद हम मंत्री महोदय से इस बात की सिफारिश करें तो उसके बाद उनके हाथ बंध जावेंगे और यदि हम केन्द्रीय सरकार से चाहे तो मुझे शंका है कि इस प्रकार की इजाजत मिल सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, प्रेक्टिकल विजडम, मैं समझता हूं कि छोड़ना उचित नहीं है। चीज की बुराई को दूर करना चाहिये। यदि मंत्री महोदय यह समझते हैं कि वह भारतीय सरकार और प्रदेश के बीच की उलझनों का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी बात है। किन्तु मैं विश्वास करता हूं कि हमारे विद्वान् और योग्य मुख्य मंत्री यह कभी भी नहीं मानेंगे। जहां तक इस सदन के अधिकारों की बात है, मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी किसी भी सरदय से पीछे नहीं होंगे कि इस विधान सभा के अधिकार किसी भी तरह से कम न किये जावें।

अन्त में माननीय मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर ध्यान दें और यदि इस संकल्प को पारित करना अत्यावश्यक है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उसके लिये मैं एक संशोधन स्वयं उपस्थित करता, लेकिन मेरे प्रस्तुत करने से तो उसका विरोध सरकार की ओर से होगा। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वही इसमें एक प्रोवाइजो डाल दें कि यदि इस संकल्प के आधार पर केन्द्रीय सरकार कोई कानून बना देती है तो उसका एक बार इस सदन के सामने आना आवश्यक है ताकि हम उसकी गहराई पर पूर्ण रूप से विचार कर सकें।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, कल मध्यान्ह से इस संकल्प पर विवाद चल रहा है और मैंने दोनों ही दलों के तर्क-वितर्क पूरे तौर से सुने हैं। सबसे पहले मैं इसके लिये मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने जनता के हित का यह उपाय सोचा है। मैं इसका समर्थन करती हूं जहां तक मेरा अनुमान है विरोधी दल के भाइयों ने विरोध की प्रेरणा से ही इसका विरोध किया है, यद्यपि सिद्धांत: और भावना से इससे वे सहमत हैं। मतभेद केवल इतना रह जाता है कि वह दूसरा रास्ता बताते हैं और मैं अपने हर्ष को किस तरह से व्यक्त करूं कि कम से कम एक बात पर तो सिद्धांत: और भावना से वे हमारे साथ हैं। रास्ते का भेद भी निकट भविष्य में दूर हो जायगा, ऐसी मुझे आशा है। उनके तर्क को मैं स्वार्थ की भावना कह सकती हूं। उनका कहना है कि अगर केंद्रीय सरकार को यह अधिकार गया तो हम सब अधिकारों से वंचित रह जावेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि जब केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा बिल पेश हो चुका है तो यह डर क्यों लगता है कि जो हमारी भावना है या अधिकार, वह छोड़ दिया जायगा, वहां भी तो आखिर हमारी ही तरह से प्रतिनिधि चुने हुए हैं और वे भी इसी गरीब जनता के द्वारा चुने गये हैं और उनको भी जनता द्वारा पूर्ण अधिकार दिये गये हैं तो फिर आप यह कैसे सोचते हैं कि वे हमारे और जनता के हित के लिये सोचना छोड़ देंगे। दूसरे गेंदासिंह जी ने गन्ने का जिक्र किया। वह प्रश्न तो आपका पुराना पहले से ही है जो दुर्भाग्यवश अभी तक सुलझ नहीं सका है, किन्तु सदा के लिये यह मान लिया जाय कि सदा ही ऐसा होगा जिसमें कि हमारे लिये सोचने की शक्ति में केंद्रीय सरकार द्वारा कमी कर दी जायगी, वह मैं सर्वथा निर्मूल समझती हूं। मैं इस विषय पर तर्क-वितर्क की भावना से या उनके जवाब में अधिक न जाकर असली विषय को लेकर ही सदन के सामने अपने विचार रखती हूं।

यह पुररकार प्रतियोगिता की जो व्यवस्था हमारे सारे भारत में है उससे मैं सोचती हूं कि कोई घर ऐसा खाली नहीं होगा जो इस रोग से पीड़ित न हो, यहां तक कि बच्चे, युवक, बढ़े और महिलायें सभी इससे ग्रस्त हैं। इस रोग को असाध्य रोग समझ कर, प्रलोभवश अपने कमाने का धंधा समझ कर या इस आशा में अपने समय और दिमाग को बर्बाद कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी देर किसी कार्य के लिये प्रतीक्षा करनी पड़े तो उसमें उसके स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति पर कितनी हानि पहुंचती है, लेकिन जो इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं वे महीनों

[श्रीमती चन्द्रवती]

इन्तजार करते हैं जिससे मैं सोचती हूं कि उनके शरीर पर अवश्य ही हानि पहुंचती होगी, हालांकि उसका निरीक्षण हम नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव जरूर इसको बता सकता है कि उसका असर स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ता है।

दूसरा एक और प्रश्न भी आता है और वह यह कि इसमें धन का अपव्यवहार होता है। उनमें ऐसे प्रलोभन दिये जाते हैं जैसे कई फार्म भर कर भेजने से रिआयत मिल जाती है। लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फार्म भर कर भेजे जायं। एक फार्म भेज कर तो वे कुछ धन प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ से हलों में सब हल बेकार हो जाते हैं और अधिक फार्म भर कर भेजना धन का अपव्यय करना होता है। जो एक फार्म में आपका हल शुद्ध हो सकता है वह भी व्यर्थ हो जाता है। मैं इस अपराध को छोटा अपराध नहीं समझती। यह उतना ही बड़ा और घृणित अपराध है जैसा कि शराब पीना या जुआ खेलना या कत्ल करना है। इसके लिये यह सोचना कि यह अपराध भव्य भवन में बैठकर सभ्यता की पोशाक पहना कर उसकी ओट में खेला जाता है, इसलिये अपराध की भावना कम हो जाती है, यह सर्वथा निर्मूल है।

अपराध चाहे झोपड़ी में हुआ हो या भव्य भवन में, कानून के सामने अपराध अपराध है। इसके लिये यदि किसी को कोई छूट दी जाय तो यह अन्याय के रास्ते पर कम अपराध नहीं समझा जा सकता। सदन के समक्ष मेरी यह निश्चित राय है कि यह संकल्प बहुत ही उपयुक्त और अच्छा है और जितनी ही जल्दी हम इस को सदन द्वारा पारित कर के केंद्रीय सरकार के हाथ मजबूत करें उतना ही अच्छा है, ताकि वह शीघ्रता से पास हो कर देश में लागू हो सके। इसलिये मैं चाहती हूं कि इसे स्वीकार किया जाय। इस के संबंध में बहुत से भाइयों ने सुझाव दिये, मेरा अपना एक छोटा सा सुझाव है जिसको यदि माननीय मंत्री जी कार्य रूप में परिणित कर सकें तो मैं उसकी ओर अपने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वह कृपा करके सूचना और आकाश वाणी के मंत्री को इसके लिये लिखें कि इसके लिये भी चलचित्र बनाये जायं और उनका प्रदर्शन सिनेमा आदि में अनिवार्य रूप से कर दिया जाय, जिस तरह से कि शराबखोरी या और जुआ आदि के लिये किया जाता है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिये भी जरूरी है कि इस तरह के चलचित्र आदि बनाये जायं और मैं समझती हूं इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है, क्योंकि जहां वह विभाग और चलचित्र सुधार के बनाते हैं वहां इस तरह के भी बना सकते हैं, उससे हमारी प्रादेशिक सरकार का कोई वास्ता नहीं है केवल लिखने मात्र से काम चल सकता है। अन्त में अधिक कुछ न कह कर, अपने भाइयों से इस बात के लिये अपील करती हूं कि वे इसमें एक ही रास्ता अपनावें और जल्द से जल्द इसको पारित करके सदन के समय का सदुपयोग करें।

श्री रामनरेश शुक्ल——अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई। इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुई।)

श्री अध्यक्ष--मेरा खयाल यह है कि सदन के माननीय सदस्य माननीय राजनारायण जी की कुछ थोड़ी सी परीक्षा भी लेना चाहते हैं कि उनको बोलने का मौका न मिले तो उनको कैसी भावना होगी।

श्री राजनारायण--मेरे बोलने या न बोलने का मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, बल्कि वह एक सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है कि उस के क्या विचार हैं जिनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में १३८,

विपक्ष में १६।)

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का विरोध करते समय जिन माननीय सदस्यों के भाषण हुये उनमें एक बात तो सभी लोगों ने कही कि इस प्रस्ताव के आधार स्वरूप जो मौलिक चीज है कि इस प्रकार के जुये को रोकना सभी लोग चाहते हैं और इसकी बाबत मुझे संदेह भी नहीं, क्योंकि मैं एक क्षण के लिये भी नहीं समझता था कि सदन का कोई भी माननीय सदस्य या कोई भी दल इस प्रकार के जुये को जारी रखने का समर्थक होगा।

दूसरी बात जिस पर जोर दिया गया वह यह है कि हमको अपना अधिकार संसद को नहीं सौंपना चाहिये। यह बात कुछ ठीक तौर पर मेरी समझ में नहीं आयी। एक हमारा संविधान है। इस संविधान ने हमको कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया है और उसी संविधान ने हमको यह भी अधिकार दिया है कि यदि हम चाहें तो उसमें से किसी एक विषय पर कानून बनाने के लिये संसद से कह दें कि हमारी तरफ से तुम कानून बना दो। यह दोनों ही अधिकार हमें संविधान से मिले हैं। जब तक हम अपनी इच्छा से काम करते हैं तो चाहे एक अधिकार से काम लेकर कानून बनावें और चाहे दूसरे से काम लेकर संसद से कह दें कि तुम हमारी तरफ से इस विषय में कानून बनाओ। दोनों अधिकारों में से किसी का भी हम प्रयोग करें तो कोई शिकायत की बात नहीं मालूम होती। अतः यह कहना कि हमारे अधिकारों में कुछ भी कमी होती है तब मैं यह कहता हूं कि जब किसी किस्म का दबाव होता है तब शिकायत की बात हो सकती है लेकिन वह नहीं है। हम अपनी इच्छा से काम करते हैं और इसमें इसलिये कोई खास शिकायत की बात तो प्रतीत होती नहीं है। हो सकता है कि कोई काम ऐसा हो जिससे एक राज्य के हित से दूसरे राज्य के हित से टक्कर होती हो, हो सकता है कि किसी मामले में राज्य सरकार का और केंद्रीय सरकार का हित टकराता हो। ऐसे मामलों में तो जाहिर सी बात है कि हममें से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरफ का हो, अपने अधिकारों को कम करने के पक्ष में नहीं हो सकता और कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो चाहेगा कि जो कानून बनाने का अधिकार उसको मिला है उससे वह काम न ले, लेकिन यहां कोई ऐसी बात नहीं है। किसी के हित के टकराने की बात नहीं है। अगर बात है तो यह कि हम लोग अपने राज्य के लिये इस चीज को अच्छा समझते हैं कि इसको रोका जाय। अब जहां तक क्राइम की बात है और अपराध की बात है, वह बुरी बात है, उसको सब बुरा समझते हैं। जहां तक यूनीफार्मिटी का संबंध है, वह भी कोई बुरी बात नहीं है। जाहिर बात है कि चोरी का कानून सारे प्रदेशों में एक सा है, बंगाल में, पंजाब में, बम्बई में, सब जगह एक सा कानून है तो आज इसी प्रकार एक जुआ है, यदि यूनिफार्मिटी के साथ एक कानून बने तो उसमें कोई खराबी नहीं मालूम होती। यूनिफार्मिटी है उसकी कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है और न उसके पीछे पागल हो जाने की जरूरत है और न यूनिफार्मिटी शब्द कोई भड़कने की चीज है कि हम यूनिफार्मिटी को बुरी चीज सोचें, उससे नाराज हो जाय और न होने दें यह बात मेरी समझ में नहीं आती। क्राइम के मामले में जरूर यूनिफार्मिटी होनी चाहिये नहीं तो जो क्रिमिनल होगा उसको मौका मिलेगा एक जगह से दूसरी जगह बचने का, जो कि नहीं होना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस किस्म का कानून और पहले बन गया होता। बन गया होता तो अच्छा ही होता, लेकिन वजह क्या थी। क्यों कानून बनाने की तरफ हमारा ध्यान पहले नहीं गया। यह संभव है कि गौर करके कोई शख्स बैठे कि कितने प्रकार के अपराध हो सकते हैं और सोचकर सब संभव अपराधों के लिये कानन बना दिये जायं। लेकिन आम

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

तौर से होता यह है कि जब कोई अपराध ज्यादा फैल जाता है, तो उसके लिये कानून बनाया जाता है। यह अपराध पहले हमारे यहां नहीं था। पहले यह बम्बई, कलकत्ता और मदरास से इन जगहों में आया। अंग्रेजियत इन शहरों में ज्यादा है। वहां अंग्रेजी के बहुत बड़े बड़े अखबार हैं। उनके रहन-सहन के तरीकों में भी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा ज्यादा अंग्रेजीपन है। इन प्रदेशों के अंग्रेजी अखबार आप देखें और हमारे प्रदेश के अंग्रेजी अखबार आप देखें तो बड़ा फर्क मिलेगा। पजिल्स वहीं के अखबारों में ज्यादा मिलेंगी। हमारे यहां की जनता और ख्यालात की है। समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े शहर हैं वहां यह चीज जोरों से फैली और उनकी सरकारों का ध्यान पहले जाना चाहिये था बनिस्बत हमारे। हमारे यहां हिन्दी अखबारों ने कुछ कुछ शुरू किया, लेकिन इतना ज्यादा वह नहीं फैला कि रोकथाम की जरूरत पड़ती। जरूरत इसलिये हुई कि जो लोग इन बड़े बड़े शहरों में जुर्म कर रहे हैं उनको जब अपना अड्डा वहां से हटाना पड़ेगा तो इस प्रदेश में वे न आ जायं, क्योंकि ऐसा कानून यहां नहीं है। इसलिये जरूरत पड़ गई कि उन्हें कहीं जगह न मिल सके और इस कारण सब जगह एक सा कानून बन जांय ताकि एक जगह से उठ कर दूसरे जगह वे जुर्म न कर सकें। इसलिये इस बात की जरूरत पड़ी। अब मान लीजिये थोड़ी देर के लिये नारायणदत्त जी ने जो सुझाव दिया उस पर अमल किया जाय कि हम कानून यहां न बनायें, पहले केंद्रीय सरकार को बनाने दें और केंद्रीय सरकार के कानून के बनाने के बाद क्या होगा? दो तीन सूरतें हो सकती हैं। वह कानून जो हमारे सामने बन चुका है उस पर हम विचार करने बैठें और एक एक दफा पर विचार करना शुरू करें। इसमें अच्छा खासा समय लगेगा। इस सदन में विचार विनिमय होने पर मुमकिन है सेलेक्ट कमेटी में भेजने को कहा जाय, यह भी मांग की जाय कि पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय। तो आप सोचें कि इन चीजों में महीने लग सकते हैं तो तब तक जिस रोग को हम बन्द करना चाहते हैं वह बन्द नहीं होगा। इसके काम करने वालों ने भी सोच रक्खा होगा कि मौका मिलेगा तो क्या करेंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा वे उत्तर प्रदेश में आ जायेंगे और कहीं गलत सलत या नकली अखबार निकाल कर एक बार में लाखों का वारा न्यारा कर लेंगे। कई अखबार तो केवल इसी के बल पर चल रहे हैं। इसलिये यह जरूरी है कि कानून बनाया जाय। एक बात कही गई कि हमारे यहां जुये की जो प्रथा है उस तरफ भी ध्यान दिया जाय। हस्तिनापुर इसी उत्तर प्रदेश में है और युधिष्ठिर ने जुआ खेल कर अपने को चौपट किया और सारे भारतवर्ष को चौपट किया। हमारा इतिहास जुये का बहुत पुराना है, लेकिन जुआ कोई पवित्र परम्परा नहीं है जिसकी रक्षा की ओर ध्यान दिया जाय। जुआ तो जुआ है, बुरी चीज तो बुरी चीज है। इसलिये हर जगह एक ही प्रकार का कानून बनाना चाहिये। मैं लिस्ट नहीं बतला सकता कि किन किन राज्यों ने यह प्रस्ताव पास कर लिया है, लेकिन यह चीज ठीक है कि जून या जुलाई से यह प्रस्ताव पास होना शुरू हो गया है। जहां जहां इस बीच में विधान सभाओं की बैठकें हुई हैं, उन सबने इस किस्म का प्रस्ताव पास कर लिया। अभी दिल्ली में बातचीत हुई थी और जहां पर अभी तक पास नहीं हुआ है वहां सितम्बर के अन्त तक या अक्तूबर के शुरू में सब जगहों में यह प्रस्ताव पास हो जायगा। हम अकेले नहीं रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे इस बहुत ही निर्दोष प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं एक बात की जानकारी हासिल करना चाहता हूं। यू० पी० में हार्स रेसिंग और बेटिंग वगैरह होती है और सरकार टैक्स भी लेती है। इस सिलसिले में सरकार कुछ करने जा रही है?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्नों के समय पूछिये। इस वक्त इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसका संबंध है इससे।

श्री अध्यक्ष—इससे कोई संबंध नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि यह विधान सभा यह संकल्प करती है कि यह वांछनीय है कि पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्संबन्धी अन्य पारिमाणिक और आनुषंगिक विषयों का, जहां तक वे ऐसे विषय हों जिनके संबंध में संसद को राज्यों के लिये विधि बनाने का अधिकार प्राप्त न हो, नियंत्रण तथा विनियमन संसद द्वारा बनायी गयी विधि के अनुसार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक में कोई नयी बात नहीं है और इस विधेयक को यहां लाने का कारण यह हुआ कि टांडा के टाउन एरिया के चेयरमैन के विषय में एक रिट पेटीशन हाईकोर्ट में दाखिल हुआ। माननीय हाईकोर्ट ने उस विषय में यह फैसला दिया कि जो एलेक्शन के पेटीशंस के बारे में नियम बनाये गये हैं,उन नियमों को बनाने का अधिकार प्रदेशीय सरकार को नहीं था, क्योंकि अपने संशोधन अधिनियम ३३ के अनुसार उन्होंने धारा ३९ में परिवर्तन कर दिया है। श्रीमन्, इस सदन ने १९५३ में टाउन एरिया अधिनियम में जो संशोधन किया उसके अनुसार धारा ३९ की उपधारा (एफ) को हटा दिया। उपधारा (एफ) के अनुसार सरकार को अधिकार था कि चुनाव और पेटीशंस के लिये वह नियम बनाये। लेकिन साथ ही एक दूसरी धारा ६(बी) अधिनियम में रख दी गयी। उस ६(बी) धारा के द्वारा सरकार ने यह अधिकार लिया कि किसी टाउन एरिया के चुनाव के सिलसिले में वार्ड बनाने का, चुनाव के नियम बनाने का और इसी तरीके से जो और कार्यवाही चुनाव के सिलसिले में हो, उन सब के विषय में जो नियम भी म्युनिसिपैलिटीज के अधिनियम के द्वारा बनाये जायं, वे टाउन एरियाज में भी लागू किये जा सकते हैं। माननीय हाईकोर्ट का यह निर्णय हुआ कि इस संशोधन के पश्चात् प्रदेशीय सरकार को यह अधिकार नहीं था कि जो पेटीशंस के प्रस्तुत करने के नियम बने हुये थे, वे वैध हैं। इसके साथ-साथ फर्रुखाबाद के जिले में टाउन एरियाज के चेयरमैन के विरुद्ध एक वाद उपस्थित किया गया, सिविल कोर्ट में कि प्रदेशीय सरकार को संशोधन के पश्चात् चेयरमैन के विषय में चुनाव के नियम बनाने का भी अधिकार नहीं था। वहां से भी अदालत का यही निर्णय हुआ कि यह जो नियम चुनाव के बनाये गये हैं और जिनके द्वारा चुनाव हुआ है वे बैध नहीं हैं और सरकार उनको बना नहीं सकती थी। इसलिये जो टाउन एरिया के चेयरमैन चुने गये हैं उनको कार्य करने का अधिकार नहीं है और इस सिलसिले में उन्होंने इंजक्शन आर्डर इश्यू किया। श्रीमन्, परिस्थिति यह उत्पन्न हो गयी इस निर्णय के पश्चात्, वह चेयरमैन तो कार्य कर नहीं सकते थे और कोई विधान नहीं था इसलिये सरकार को इस बात की आवश्यकता पड़ी कि वह अध्यादेश जारी करे, जिसके द्वारा वह नियम बनाने का अधिकार उसका फिर से वैध हो जाय और प्राप्त हो जाय।

मैं यह निवेदन कर देना उचित समझता हूं कि अब भी जो सरकार के कानूनी सलाहकार हैं उनका यह मत है कि जो नियम पेटीशन के बनाये गये वह बनाने का प्रदेशीय सरकार को अधिकार था और विचार यह था कि इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाय, जिसके लिय तैयारी की जा रही है। किन्तु जब तक उस अपील का फैसला होगा तब तक जो माननीय हाईकोर्ट ने अथवा फर्रुखाबाद की अदालत ने फैसला दिया है उसके अनुसार कार्य होगा। तो यह आवश्यकता दिखाई दी कि आपके सामने इस विधेयक को लाकर उपस्थित हों, जैसा कि उद्देश्य में भी लिखा गया है और इस विधेयक की समस्त धाराओं से स्पष्ट है। इसमें धारा ३९ में कुछ क्लाजेज रखे गये हैं, जिनके द्वारा यह अधिकार लिया गया है कि चेयरमैन के चुनाव के

---

* १९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री कैलाशप्रकाश]

विषय में, पेटीशन के विषय में प्रदेशीय सरकार नियम बना सकती है। ६ एच जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया उसको भी स्पष्ट करने के लिये इसमें लिख दिया गया है कि जहां ६ एच में एलेक्शन की चर्चा है वहाँ एलेक्शन का मंशा मेम्बर के एलेक्शन से है। श्रीमन्, इसकी आवश्यकता इसलिये और भी हो जाती है कि टाउन एरिया अधिनियम के अनुसार चेयरमैन का चुनाव सीधा होता है, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज अधिनियम में जो संशोधन किये गये हैं उन संशोधनों के अनुसार चेयरमैन इन्डाइरेक्ट तौर पर सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। इसलिये भी यह आवश्यक हो जाता है कि चेयरमैन के चुनाव के नियम टाउन एरिया में और हों और नगरपालिका में और हों और ६ एच के द्वारा हम उन नियमों को चेयरमैन के चुनाव के लिये नहीं बना सकते हैं इसलिये यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ६ एच के द्वारा जो नियम बनाये जायेंगे वह मेम्बर के चुनाव के विषय में होंगे और जो ३९ (१) धारा के अनुसार नियम बनाये जायेंगे वह चेयरमैन के और जो उसमें चर्चा है क्लाजेज की उनके द्वारा होंगे।

मैं आशा करता हूं कि यह सदन पहले ही इन सब बातों को स्वीकार कर चुका है। यह केवल एक निर्णय हो जाने के कारण इस चीज के आने की आवश्यकता हुई है और इसलिये माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे और इस विधेयक को पास करने की कृपा करेंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मुझे दुःख है कि मैं प्रस्तुत विधेयक का पूर्णतया समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूं।

जो आज यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है माननीय मंत्री जी के कथनानुसार उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हाईकोर्ट के फैसले ने जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है उसका सुधार करने के लिये और टाउन एरिया में जो चेयरमैन आज कार्य कर रहे हैं या जिनका एलेक्शन पेटीशन चल रहा है, जिसमें एक निर्णय दिया जा चुका है वह निर्णय भी वैध रहे। इस मंशा से यह विधेयक लाया गया है।

देखने की बात यह है कि आखिर इस प्रकार की शिकायतें क्यों होती हैं? क्यों बार बार हाईकोर्ट को या दूसरी अदालतों को इस प्रकार का निर्णय करना पड़ता है जिससे कि कोर्ट में भी असुविधा होती है और हमें भी यहां बार बार इस प्रकार के विधेयकों पर विचार करना पड़ता है। श्रीमन्, अगर आप-पुराने रेकर्ड को उठा कर देखें तो उससे यह मालूम होगा कि हम लोगों ने टाउन एरिया ऐक्ट के बनने के अवसर पर ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यह विधेयक जल्दी में लाया जा रहा है, इसमें बहुत सी असंगतियां हैं और वह तो स्वयं अभी माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी कि हमारे यू० पी० में म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के चुनाव का तरीका दूसरा है और टाउन एरिया के चेयरमैन के चुनाव का तरीका दूसरा है। उनका एक प्रकार से विधान हुआ और इस प्रकार परस्पर कुछ विरोध सी उत्पन्न करने वाली परिस्थिति हो गई है। वैसे प्रश्न तो बिल्कुल अलग भी है, लेकिन यह प्रश्न बहुत अहम है। आखिर स्वायत्त शासन संस्थाओं का वास्तव में विधान क्या होना चाहिये और उनके नियम, संगठन एक-रूपेण होने चाहिये या नहीं। क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज, म्युनिसिपल बोर्ड इन सबके अधिकारियों के, मेम्बरों के, चेयरमैन के चुनाव के नियम और उनके विधान एक से होने चाहिये या नहीं? यह तो बड़ा विषय है, उसमें जाने का अवसर इस समय नहीं, लेकिन फिर भी यह प्रस्तुत विधेयक सरकार की स्वायत्त शासन की नीति के लिये एक चेतावनी है। आप यह देखेंगे श्रीमन्, कि टाउन एरिया के चेयरमैन के चुनाव की पद्धति, उसके नियम बिल्कुल अलग हैं, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव, उनके नियम बिल्कुल अलग है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पद्धति अलग है। अभी तक पता नहीं कि उसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुनाव की पद्धति क्या होने जा रही है। सन् १९५२ में चुनाव होने वाले थे, आज तक नहीं हो रहे हैं। तो यह तो एक इशारा सरकार की स्वायत्त शासन नीति की ओर यह विधेयक करता है।

एक दूसरा प्रश्न यहां पर यह उठता है कि हाईकोर्ट जब कोई फैसला कर रहा है और उस पर आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है तो ट्रान्जीशनल पीरियड के लिये, एक अस्थायी काल के लिये विधेयक आप ला रहे हैं। आप श्रीमन्, इसके उद्देश्य और कारणों को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है :--

"साधारणतया यह अध्यादेश विधान परिषद् के अधिवेशन प्रारम्भ होने के ६ सप्ताह पश्चात् समाप्त हो जायगा और क्योंकि यह सम्भव है कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय न दे सके, अतएव यह आवश्यक है कि अध्यादेश के उपबन्धों को विधान मंडल के अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित किया जाय।"

यानी केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का यह विधेयक है, इसके उद्देश्य और कारण से यह विदित होता है। अब मैं नहीं जानता और न साहस करता हूं कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अधिक्रमण करना चाहती है या उसको पहले समझे ले रही है, कि फैसला क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन यह बिल अगर केवल इस उद्देश्य से लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस बीच कोई निर्णय न दे सके तो अधिकारों का अधिक्रमण है। या तो यह कहा जाय स्पष्टतः कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चाहे जो कुछ हो, हमें अपने नियम में स्पष्ट करना है या हाईकोर्ट ने कोई बात कह दी कि ऐसा आपने नियमों में साफ साफ नहीं लिखा था, चेयरमैन की पेटीशन के बारे में नियम नहीं दिया था। आप टाउन एरियाज ऐक्ट की धारा ३९ को देखेंगे जिसमें नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, वह बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक दूसरे नियम हैं, इस प्रकार की ताकत सरकार ने ली है कि वह आनुषंगिक नियम बना सकती है। वह चीज इस विधेयक में लापता है और इसीलिये हर विधेयक पर बराबर हम मांग करते रहे कि कोई भी नियम बने सदन के सामने अवश्य आये। सरकार करती क्या है कि नियम बनाने की ताकत अपने हाथ में ले लेती है और सदन के सामने नहीं रखना चाहती। तो हम यह चाहते थे कि सरकार के नियम सदन के सामने आयें। लेकिन सरकार की उस भूल को हमें भुगतना पड़ रहा है। तो आप यह देखेंगे कि अब जो नियम हैं उनमें--

"(f-1) the conduct of election to the office of Chairman,

(f-2) the decision of doubts and disputes relating to election to the office of Chairman,

(f-3) the removal of disqualifications for election to the office of Chairman,"

सब आफ़िस आफ चेयरमैन के लिये सारी बातें संशोधन के द्वारा बढ़ायी जा रही हैं। अभी मेम्बर्स के लिये नहीं बढ़ायी जा रही हैं। मुमकिन है कल दूसरी रिट हो, तो एक नया संशोधन हमारे सामने आये, उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील हो। अगर आपको अवसर मिला था टाउन एरियाज ऐक्ट में तो उसका पूर्णतः इस्तेमाल करते। श्रीमन्, क्या बताऊं असंगत हो जाता हूं, नहीं तो आज भी टाउन एरियाज ऐक्ट में कई संशोधन करने की आवश्यकता है, माननीय मंत्री जी स्वयं बता सकते हैं। तो उनको मौका मिला था उसका फ़ायदा उठाते, जो गलतियां टाउन एरियाज ऐक्ट के विधान में हैं उनसे लाभ उठाते और केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इस बिल के लाने का उनका उद्देश्य है, तो मैं समझता हूं हाईकोर्ट भी इसमें क्या कहेगा कि केवल हमारे जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट में अपील के फैसला होने तक के लिये यह विधेयक लाया गया। यह एक बड़ी अस्वाभाविक बात होगी और फिर मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि कोई ऐसी धारा इस विधेयक में नहीं है कि यह कब तक लागू रहेगा। प्रचलित हुआ

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

समझा जायगा, यह तो लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली तो रिपील होगा या क्या होगा। यह कुछ स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं तो चाहता था कि सरकार हमको मौका देती हाई कोर्ट के उस जजमेंट को देखने का, लेकिन मुझसे नियमों के अनुसार उस समय थोड़ी भूल हुई और समय की कमी के कारण इतना मौका नहीं रहा कि हम उसको मांग सकते। अगर वह हमको देखने को मिलता तो उससे हम और भी स्पष्टतया जरा उन बातों को देख सकते कि आया यह जो विधेयक आया है इसके आने की भी आवश्यकता थी या नहीं, क्योंकि इस विधेयक के द्वारा सरकार और भी अधिकार लेने जा रही है। आप यह देखेंगे, सिद्धान्त की बात है, कि सन् १९५२ में टाउन एरिया ऐक्ट को हमने संशोधित किया। उसके पहले जो पुराना टाउन एरिया ऐक्ट था उसके अनुसार कुछ नियम बने हुए थे। सरकार ने सन् ५२ के ऐक्ट के अनुसार नियम नहीं बनाये। वही जो पुराने नियम बने हुए थे, उन्हीं को उसने मान लिया। अगर वह सन् ५२ के संशोधित ऐक्ट के अनुसार नियम बनाती तो शायद हाईकोर्ट उसको गैर कानूनी घोषित न करती। लेकिन हुआ क्या कि ऐक्ट संशोधित हो गया, उसकी वह धारा भी संशोधित हो गई, लेकिन नियम संशोधित नहीं हुए और जो पुराने नियम चले आ रहे थे उन्हें सही मान लिया गया और नोटीफाई नहीं किया गया। तो नतीजा यह हुआ कि उसी गलती पर हाई कोर्ट ने वह फैसला दे दिया और आज यह नया सिद्धान्त इस सदन के सामने रखा जा रहा है।

चेयरमैन के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई नियम जो यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित रहा हो, उपर्युक्त संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी ऐसे परिवर्तनों, परिवर्द्धनों अथवा परिष्कारों को बाधित न करते हुए, जो बाद में मूल अधिनियम की धारा ३९ के अधीन उसमें किये गये हों, प्रचलित रहेगा और प्रचलित रहा हुआ समझा जायगा। तो एक ऐसा कार्य हमसे कराने की चेष्टा माननीय मंत्री जी कर रहे हैं जो कि सिद्धान्ततः ठीक नहीं है। वैसे हमको अधिकार तो है ही।

यदि आप यह कहें कि सन् १८६० के नियम जो हैं वे अब तक लागू समझे जायेंगे और आगे भी लागू रहेंगे, तो वह कर तो सकते ही हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि यह न्यायसंगत है या नहीं। तो मैं यह माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रकार के अन्यायसंगत तर्कों को इस सदन में उपस्थित करने की कृपा न करें और कम से कम हमसे ऐसी धृष्टता न करवायें कि हम ऐसे सिद्धान्तहीन विधेयक को पास करने की चेष्टा करें। आप देखें कि जो खंड ५ है इस विधेयक का उसका जो पहले का उपखंड (१) है वह तो इसी मनोवृत्ति का परिचायक है। वैसे जो इसका उद्देश्य है कि इस बीच में चेयरमैन काम करना बन्द कर देंगे या जो पेटीशंस हैं वह बेकार हो जायंगी, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर केवल इतना ही होता कि किसी तरह इस बीच में काम चले तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। लेकिन जो सरकार ने गलतियां की हैं, जिस प्रकार उसने संशोधन करने की चेष्टा की है और जिस प्रकार से उन्होंने इसे इतने अस्पष्ट रूप में रखा है कि जिससे यह मालूम पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उन्हीं सबके आधार पर मैं इस विधेयक का समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के हेतु खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं माननीय नारायणदत्त जी के भाषण को सुनता रहा और पहली दुहाई जो दी गई वह यह कहा गया कि सिद्धान्त के विरुद्ध आज यह सरकार पदार्पण कर रही है, मैं आपके द्वारा उनसे यह जानना चाहूंगा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें उसूलन वह कौन सी खराबी आ गई, सिद्धान्ततः वह कौन सा ग़लत क़दम है ? क्या उनकी मंशा यह थी कि टाउन एरिया एलेक्शन के सम्बन्ध में यदि कोई पार्टी अग्रीव्ड हो उसकी शिकायत हो, तो क्या वह एलेक्शन पेटीशन न दायर कर सके ? एलेक्शन पेटीशन को किसी ऐक्ट में प्रोवाइड करना या एलेक्शन के सम्बन्ध में जो करप्ट प्रैक्टिसेज़ हों उनकी रोकथाम के लिए या उनकी सजा के लिए कोई नियम बनाना यह सिद्धान्ततः गलत है ? श्रीमन्, यह तो एक ऐसी बात उन्होंने कही जो मैं समझता हूं कि इस सदन में बहुत आगे नहीं जा सकती है। सिद्धान्ततः तो यह गलत होगा कि यदि आज चेयरमैन के खिलाफ कोई जाना चाहे तो एलेक्शन पेटीशन के लिए कोई साधन, मार्ग या उपाय न रक्खे और यह कहना कि आज जैसे कि माननीय उपमंत्री महोदय ने बताया कि एक जिले में एक हाईकोर्ट की रूलिंग के कारण स्टेलमेंट हो गया, डेडलाक हो गया, काम आगे बढ़ नहीं सकता। या तो सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ होकर बैठे या भविष्य के लिए कोई रास्ता न सोचे, जिससे उस टाउन एरिया का कोई काम आगे न चल सके, अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो अपने स्थान पर ऐसा सोच सकते हैं। पर यह न्यायसंगत नहीं हो सकता। आखिर उस टाउन एरिया का काम तो चलना ही है और किसी न किसी प्रकार उसके लिए सरकार को कोई रास्ता निकालना ही है।

मान्यवर, यह ठीक है कि सामान्यतः हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया। उसका विरोध करने का न मैं दुस्साहस कर सकता हूं, न मेरे लिए कहना उचित है, परन्तु जो कानूनी मशीरकार सरकारी पक्ष की ओर से कह रहे हैं उसमें भी मैं कोई त्रुटि नहीं देखता। व्यक्तिगत मेरी यह राय है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के सिलसिले में जो नियम बनाये गये थे, अगर टाउन एरियाज़ में लागू किये जायं तो कोई ऐसी बात अनुचित नहीं हो सकती है, न्यायसंगत है और उसमें यह सोचना कि कोई ऐसा नियम वह बना लेंगे जो कि म्युनिसिपैलिटीज़ से अलग हो, तो मैं समझता हूं कि एक मर्तबा चाहे वह सरकार बनाये, चाहे वह सदन के सामने आये, उन नियमों में आप कोई अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह कहना कि सरकार की तरफ से म्युनिसिपैलिटीज़ के कुछ नियम हैं, जहां तक चेयरमैन के चुनाव का सम्बन्ध है, टाउन एरियाज़ में कुछ दूसरे हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कुछ दूसरे ही, जिनके सम्बन्ध में कोई नहीं जानता है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि जहां तक उस विषय का प्रश्न था, मैं भी उसमें सहमत था कि एलेक्शन जो चेयरमैन का हो वह डायरेक्ट न हो, बल्कि इंडाइरेक्ट हो, लेकिन यह कहना कि सरकार ने जब यह नीति बदली, यह मैंने माना कि वह गलत थी, लेकिन जब सरकार ने इस मौके से फायदा उठाना चाहा, एक तजुर्बे और अनुभव के उपरान्त कि कहीं, डायरेक्ट एलेक्शन चेयरमैन का लाभकर नहीं है और वैसी परिस्थिति में म्युनिसिपैलिटीज़ में अमेंडमेंट किया और उसी के आधार पर जैसा कि माननीय उपमंत्री महोदय ने कहा है, उसी सिद्धान्त के अनुसार वह टाउन एरियाज़ में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सम्बन्ध में यह कहना कि हम नहीं जानते हैं, यह ठीक है, बिल्कुल सच है और यह कोई लाजमी भी नहीं कि जिस वक्त मालूम हो वह उसमें संशोधन लाना चाहें, तो ग़लत है। हां, यह शिकायत हो सकती है और इसमें मैं भी उनके साथ होता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एलेक्शन शीघ्रातिशीघ्र हो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रश्न तो उठता ही नहीं। मान्यवर, यह सोचना किसी भी सरकार के लिए या किसी भी माननीय विधान सभा के लिए कि किसी रूलिंग के आगे हम पदरोपण न करें, उसके सम्बन्ध में सोचें न, तो असंभव हो जायगा। कोई मशीनरी कहीं ठप्प नहीं की जा सकती। यह मैंने माना कि सुप्रीमकोर्ट में अपील है और जैसा कि सरकार यह समझती है वह उसी के पक्ष में निर्णय हो या विपक्ष में हो। हमें तो यह सोचना है, जैसा कि उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि सम्भवतः ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सरकार के पक्ष में हुआ तो वैसी परिस्थिति में इस विधेयक का क्या हश्र होगा। श्रीमन्, उसके सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि यह विधेयक किसी लिमिटेड पीरियड

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

के लिये नहीं आया है। कानून का अगर स्पष्टीकरण हो रहा है या उसमें संशोधन करके कोई शक व शुबहा दूर किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कौन सी आपत्ति आ गयी। एक कानून था, उसकी जगह पर एक संशोधन आया, अगर फ़ैसला गवर्नमेंट के माफिक भी होता है तब भी यह कानून अपनी जगह पर रहेगा और उससे उसी मंशा की पूर्ति होगी जो यह सरकार चाहती है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट के माफिक होता है तो भी अच्छा और यदि नहीं होता है तो उसके लिये एक चीज यह रखी गयी थी और उस परिस्थिति में यह चीज आयेगी कि बहुत से टाउन एरियाज में जहां काम रुक सकता है वहां काम आगे चालू किया जाय। जब हमने एक सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है तो नियम तो केवल सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिये बनाये जाते हैं। जब सिद्धान्त स्वीकार है कि टाउन एरियाज के चेयरमैनों का एलेक्शन हमको कराना है तो दूसरा कदम हमको जो उठाना है वह यह है कि यदि एलेक्शन समुचित रूप से नहीं हुये या उनमें किसी प्रकार की धांधली की गयी है तो उसकी रोकथाम के लिये कौन सा रास्ता है और उसी के लिये हर डेमोक्रेटिक सेट-अप में एलेक्शन पेटीशन के लिये प्रबन्ध किया जाता है। यह कोई नयी चीज नहीं है। यह हो सकता है कि उन नियमों में आप थोड़ा सा हेर-फेर कर सकते हों, परन्तु यह देखते हुये कि म्युनिसिपैलिटीज में जो बात लागू है वही टाउन एरियाज में अगर लागू कर दी जाय तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है कि कोई बुराई समझी जाय। यह दूसरी बात है कि किसी को शिकायत हो और उनमें से मैं भी हूं जिनको कि हमेशा से शिकायत थी कि एलेक्शन डायरेक्ट नहीं होने चाहिये, लेकिन जब हमने म्युनिसिपैलिटीज में मान लिया है कि इनडायरेक्ट एलेक्शन होगा तो टाउन एरियाज के लिये भी हमको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह तो महज डेडलाक को रोकने के लिये किया गया है और वह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर हमको ज्यादा परेशानी हो। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। मैंने थोड़ा सा कह दिया ताकि इसमें कुछ भ्रम न हो और माननीय मंत्री महोदय को दोहराना भी न पड़े और मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई तर्क भी इस सम्बन्ध में हो नहीं सकता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, जो यह विधेयक उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) प्रस्तुत है उसके उद्देश्य और कारण को अच्छी तरह से हमने देखा और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इसके उद्देश्य और कारण में क्या लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से समझें। इसका श्रीमन्, अगर अन्तिम पैरा देखा जाय तो उसमें साफ लिखा हुआ है :—

"साधारणतया यह अध्यादेश विधान परिषद् का अधिवेशन प्रारम्भ होने के ६ सप्ताह पश्चात् समाप्त हो जायगा और क्योंकि यह सम्भव है कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय न दे सके, अतएव यह आवश्यक है कि अध्यादेश के उपबन्धों को विधान मंडल के अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित किया जाय।"

सरकार की ओर से माननीय उपमंत्री जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कम से कम एक ग.ती को तो स्वीकार किया और वह गल्ती यह है कि जिस धारा में उन्हें नियम बनाने चाहिये थे सरकार ने उसको पेश न करके पुराना जो कानून था उसके मुताबिक जनरल क्लाजेज का कानून बना दिया और उन्होंने लिखा है कि यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, ९०४ की धारा २४ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये, पुराने नियम ही जारी रखे गये। यह उद्देश्य और कारण है और यह दिक्कत होती है कि उद्देश्य और कारण सामने रहते हैं और मंत्रीगण पढ़े नहीं रहते हैं। इसलिये मैं श्रीमन्, फिर से पढ़ देना चाहता हूं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि "यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१६ को १९५३ में विशेषतः टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों और चेयरमैन के निर्वाचन से

सम्बद्ध उपबन्धों के सिलसिले में संशोधित किया गया था। इस संशोधन के परिणामस्वरूप सदस्यों और चेयरमैन के निर्वाचन के सम्बन्ध में नये नियम बनाये गये, किन्तु जहां तक चेयर मैन के पद के लिये सफल उम्मीदवारों के विरुद्ध निर्वाचन याचिकायें (इलेक्शन पेटीशन्स) प्रस्तुत करने का सम्बन्ध है, यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा २४ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये, पुराने नियम ही जारी रखे गये।" इसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि सफल चेयरमैन है और उसके विरुद्ध पेटीशन दाखिल की जाय तो किस तरह से चालू होगी और किस तरह से कार्यवाही होगी। यह जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा २५ के उपबन्धों के अधीन पुराने नियम ही जारी किये गये, क्यों जारी किये?

अभी फैजाबाद जिले में अकबरपुर टाउन एरिया है उसके चेयरमैन के विरुद्ध एक याचिका दायर हुई और इसके सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल ने कोर्ट में साफ कह दिया कि ये नियम गलत हैं, इसके अनुसार कोई पेटीशन नहीं आ सकती है, क्योंकि जब १९५३ में टाउन एरिया ऐक्ट में संशोधन हुआ कि उसमें नियम बनाये जायं, लेकिन नहीं बने और जब अमेंडेड ऐक्ट आ चुका है तो उसके अनुसार नियम बनाने पड़ेंगे, नहीं तो पुराने ऐक्ट के अनुसार आप पुराने नियम चालू कर दें तो यह ठीक नहीं है। साफ बात है श्रीमन्, और १९५३ में जब सदन में इस पर वादविवाद हुआ था तो नारायण दत्त जी ने संकेत भी किया था कि इसका ध्यान दिया जाय और माननीय मंत्री जी ध्यान दें तो मालूम होगा कि उस समय भी कई शंकायें हमारे दल की ओर से पेश की गई थीं और सरकार जैसी कि परम्परा चलाना चाहती है उसको और भी संकेत किया गया था कि यह परम्परा साफ नहीं है। यह सही है कि यहां पर आपका विशाल बहुमत है और रात को दिन, दिन को रात, चांद को सूरज, सूरज को चांद सरकार के पक्ष के लोग कह सकते हैं, कलैपिंग कर सकते हैं और आनन्द विभोर हो सकते हैं और जनतंत्र के वृक्ष की शीतल छाया को विस्तारित कर सकते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि आपको इतना बहुमत प्राप्त हो गया है। लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और देखें कि आज दिक्कत क्या हो रही है? हमने अकबरपुर के चेयरमैन के बारे में बतलाया। मिर्जापुर में अहरौरा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया। साफ लिखा हुआ है कि मेजारिटी, इसके क्या माने हैं, यदि १३ सदस्य हैं तो १३ का आधा हुआ साढ़े छै तो वह पूरे ७ मेम्बर माने जायं? वहां तो क्लीयर मेजारिटी ८ की होनी चाहिये। श्रीमन्, इतना विवादास्पद प्रश्न यह है कि आप ध्यान दें कि सेशन जज, मिर्जापुर अहरौरा टाउन एरिया में गये और जाकर जिस मीटिंग में अविश्वास का प्रस्ताव आया था उस मीटिंग को प्रिसाईड किया, उसमें विचार हुआ और विचार होने के बाद ७ वोट आये। उस अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में। बड़ी परेशानी हुई कि यह जो ७ वोट आये हैं अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में इसको क्लीयर मेजारिटी माना जाय या नहीं। वहां उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। बिना फैसला दिये वह उठ कर चले गये और आज तक उस अहरौरा टाउन एरिया के वही पुराने चेयरमैन हैं। उस टाउन एरिया में वही पुराने चेयरमैन कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। वह इस बात को सोच रहे हैं कि जब तक ८ की संख्या न हो, वह क्लीयर मेजारिटी नहीं हो सकती है। दूसरे पक्ष ने इन तमाम टैक्नीकल बातों को लेकर हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर दिया है। तो इतनी परेशानी आज सारे प्रान्त में पैदा हो गयी है कि मैं आपसे क्या बताऊं? श्रीमन्, समय थोड़ा है। इसके लिये आध घंटा समय दिया गया है। वह कमेटी बनायी गयी है। हमको तो पहले ही आशंका थी कि वह समय पर पाबन्दी लगायेगी, वही दिक्कत हमको इस समय भुगतनी पड़ रही है।

श्रीमन्, हालत यह है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी का सदस्य चेयरमैन नहीं चुना गया, वहां पर तो दूसरा तरीका इस्तेमाल होगा और जहां कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन

[श्री राजनारायण]

चुना गया है वहां पर दूसरा तरीका इस्तेमाल होगा। एक ऐसी डामाडोल नीति चल रही है कि उस नीति के फलस्वरूप सारे प्रान्त में जितनी स्वशासन की संस्थायें हैं वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गयी हैं। वह वहां की पेटीशन को लेकर सरकार के सामने चली आ रही हैं। जहां पर कांग्रेस की मेजारिटी नहीं है वहां पर यह चेयरमैन को रिमूव कराने को कहते हैं और कहीं पर दूसरी तरह से किया जाता है। तो मैं यह चीज कहना चाहता हूं कि यह जो नियम हैं इन नियमों की ओर सरकार का ध्यान बहुत पहले समुचित रूप से जाना चाहिये था। इतनी समय की बरबादी हुई कि आपने अध्यादेश निकाला और फिर सदन में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया। इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज सदन का समय भी जो इस काम के लिये लिया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? यह बहुत से सदस्य समझते होंगे कि इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। लेकिन जब माननीय मंत्री जी कोई बात कहते हैं, वह दुरुस्त बात ही कहते हैं और उसको दुरुस्त ही मानते हैं। दुरुस्त मान कर ही अध्यादेश निकाला गया था और आज भी इस विधेयक को वह दुरुस्त बात समझ कर ही लाये हैं। इसमें दिक्कत है और वह दिक्कत इतनी बताई जाती है कि जो याचिका एलेक्शन के विरुद्ध दायर की गयी है उसके सम्बन्ध में फैसला नहीं हो रहा है। जो पुराने चेयरमैन हैं वही अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं। काम चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। जब से यह टाउन एरिया का चुनाव हुआ है उसको करीब अब डेढ़ साल पूरा हो गया है। टाउन एरिया का करीब आधा समय अब बीत रहा है। अब आधे समय के बाद आप चाहते हैं कि एलेक्शन की पेटीशन हो और एलेक्शन पेटीशन के सारे प्रान्त के आंकड़े हिसाब लगाकर देख लिये जायं तो एलेक्शन पेटीशन उसी के विरुद्ध होगी जो नानकांग्रेस के हैं, क्योंकि हर दृष्टिकोण से आज सरकार यह चाहती है कि सारी पावर को अपने हाथ में ले लें। चाहे वह टाउन एरिया के रूप में हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रूप में हो, चाहे म्यूनिसिपैल्टी के रूप में हो, चाहे वह नोटीफाईड एरिया के रूप में हो, इतनी दूर तक केन्द्रीयकरण की मनोवृत्ति इस सरकार को होती चली जा रही है कि जहां कहीं सरकार की समझ में यह आया कि जो भी शक्ति दूसरे के हाथ में जा रही है उससे सरकार का पर्दाफाश होने का अन्देशा है तो वहीं वह अंकुश लगा देती है। सरकार की ओर से जो उद्देश्य और कारण प्रस्तुत किये गये हैं उसमें यह बताया गया है कि क्यों यह विधेयक हमारे सामने रक्खा गया है, उस पर माननीय मंत्री जी ने अच्छी तरह से प्रकाश डाला और प्रकाश डाल कर उसके अन्दर जितनी त्रुटियां, खामियां और दोष थे उन सबको क्यों नहीं दूर किया गया और क्यों नहीं उसको प्रजातांत्रिक मूल रूप में उसका समावेश किया गया। अगर पहले ही इन खामियों को दूर कर उसको जनतांत्रिक मूल रूप में समावेश किया गया होता तो आज यह विधेयक उपस्थित करने की नौबत न आती। जब सन् ५३ में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था तो हमने डेमोक्रैटिक सुझाव चुनाव के बारे में भी दिये थे, मेम्बरों का चुनाव कैसे हो, चेयरमैन का चुनाव कैसे हो, चेयरमैन को रिमूव कैसे किया जाय। चेयरमैन का विरोध यदि हो, एलेक्शन पिटीशन यदि हो, तो वह किस रूप में हो, एलेक्शन पिटीशन के बाद चेयरमैन का चुनाव फिर कैसे हो, ये सब हमने बिल्कुल व्यापक दृष्टिकोण से रखा था, हमने सुझाव दिये थे, यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय जो बिल के प्रवर्त्तक थे और सदन में उस नुक्तेनजर को रखते हुए संशोधन कराना चाहते थे---माननीय मोहनलाल जी गौतम, उनके बारे में अब माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि हम तो नये आदमी हैं, हमारे ऊपर नयी जिम्मेदारी आयी है और हमारे रास्ते में जो दिक्कतें और रुकावटें आयीं उनको हमने नये तरीके से हल करने का प्रयत्न किया। इन्डीविजुअल रूप में तो मैं उनकी यह बात किसी हद तक मान सकता हूं लेकिन केबीनेट

की ज्वाइन्ट रेस्पोन्सीबिलटी होती है तो उस केबीनेट के एक सदस्य होने के नाते वह यह बात नहीं कह सकते कि फलां मेम्बर के समय में यह बात आयी थी।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, क्या कोई माननीय सदस्य यह पहले से ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह क्या कहेगा और उस पर तर्क कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—यह तो वे कह सकते हैं, लेकिन वे जो भाषण इस समय दे रहे हैं वह कुछ असंगत सा अवश्य है।

श्री राजनारायण—जो संशोधन बताया जा रहा है उसमें यह बात निहित है। माननीय रामनरेश जी चौथे क्लाज को देखें। उद्देश्य और कारणों को बता कर केवल यह कह दिया गया है कि निर्वाचन याचिका में जो दोष रह गये हैं उन्हीं के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इसके अन्दर तो और बहुत सी बातें हैं। मैं माननीय रामनरेश जी से कहूंगा कि ये प्वाइंट आफ आर्डर उठा कर अपना और सदन का समय बरबाद करते हैं। अगर वे धारा ४ को देखें कि मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (२) (एफ) जो निकाल दी गयी है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं वह बहुत ही छोटा सा विधेयक है और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि चेयरमैन के निर्वाचन से संबंधित उपबन्धों में जो दिक्कत पैदा हो गयी है उसको दूर करने के लिये यह संशोधन विधेयक, जो पहले आर्डिनेंस के रूप में जारी किया गया था, इस सदन में लाया गया है। अगर आप देखेंगे तो इस विधेयक के द्वारा सरकार कई बातों में अधिकार अपने हाथ में ले रही है। विधेयक एक दो पन्ने में हो या उसका बड़ा रूप हो, लेकिन वह क्या प्रभाव रखता है या उसका क्या असर होता है इस पर हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिये और अच्छी तरह से ध्यान करने के बाद ही उस पर अपनी सम्मत्ति व्यक्त करनी चाहिये। अब इस विधेयक के द्वारा, अगर चौथे खंड को देखेंगे जिसमें मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (२) में खंड (एफ) (जो निकाल दिया गया है) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (एफ १) से (एफ ६) तक सदैव रक्खे गये समझे जायं। यानी यह सरकार जो बिल प्रस्तुत कर रही है उसके द्वारा सरकार चाहती है कि चेयरमैन का एलेक्शन इस तरह से कन्डक्ट किया जाय। जो मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा १ व २ है वह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये पढ़ देना चाहता हूं।

"(1) The State Government may make rules applicable to all or any town areas for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-sec ion (1) of this section, such rules may relate to all or any of the following matters or be for all or any of the following purposes:"

यानी सरकार नियम बनाने का अधिकार अपने हाथ में लेती है उन बातों के लिये जिनका अधिकार अब तक सरकार के हाथ में नहीं था या यदि कोई अधिकार था तो इनडायरेक्टली था तो उसको सरकार सीमित समझती थी। सन् ५२ में इसमें जो संशोधन हुआ अगर आप उसको पढ़ें तो संशोधन का जो १६वां खंड है उसमें लिखा है कि—

"In section 39 of the original Act the clauses (c) and (d) shall be deleted."

श्री शिवबतरायण (जिला बस्ती)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जेनरल डिबेट है और माननीय सदस्य यह पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—वह हवाला दे रहे हैं। माननीय सदस्य अपनी बातों को जारी रखें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह जो विधेयक आया है वह जिस चीज के लिये संशोधन है, मैं उसी ऐक्ट की धाराओं को पढ़ना चाहता हूं। माननीय शिवनारायण जी को समझना चाहिये कि हम १९३९ के ऐक्ट में इस विधेयक के द्वारा संशोधन करने जा रहे ह। सी० डी० एफ० को सन् १९५२ के संशोधन के द्वारा हमने निकाल दिया था अब उसके विपरीत यह एक न एक प्रकार से जिस बात को उस समय जनतांत्रिक प्रणाली का हवाला देते हुये हटा दिया गया था आज पुनः इसके द्वारा अपने हाथ में लिया जा रहा है। श्रीमन्, इस विधेयक का प्रथम पृष्ठ देखे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जहां सी० डी० एफ० निकाल दिया गया था अब उसके बाद एफ (१) से एफ (६) तक सदैव रूप से समझ लिया जाय। यानी इसका मतलब यह होगा "the conduct of election to the office of Chairman" चेयरमैन के आफिस का एलेक्शन किस तरह से कंडक्ट किया जाय और इस सम्बन्ध में सरकार रूल्स बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले रही है और यह समझ रही है कि वह इस सदन के सम्मानित सदस्यों से अपनी तमाम पुरानी बातों पर मुहर लगवा लेगी मानो यह अधिकार जो आज इस विधेयक के द्वारा सरकार के हाथ में जा रहे हैं यह सदैव से ही सरकार के हाथ में थे। चेयरमैन का जो पद है उसके एलेक्शन को कंडेक्ट करने के बारे में सरकार नियम बनावे और यह अधिकार भी उसको पहले से है ऐसा समझ लिया जावे, यह सरकार चाहती है। श्रीमन्, एफ (२) को पढ़ा जाय तो सरकार कितना बड़ा अधिकार इस छोटे से विधेयक के द्वारा सदन से लेने जा रही है इस पर अच्छी तरह से रोशनी पड़ती है। "the decision to doubts and disputes relating to election to the office of Chairman" चेयरमैन के पद के लिये चुनाव के सम्बन्ध में जो झगड़े हों और उसमें जो शंकायें हों, उनका फैसला किस ढंग पर हो, इस सम्बन्ध में सत्य को असत्य कर देने का नियम आज सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है और सरकार हमसे यह चाहती है कि हम इस बात को मान लें कि सरकार के हाथ में यह अधिकार पहले ही से सन्निहित थे।

तीसरी बात "the removal of disqualifications for election to the office of Chair- man," चेयरमैन का जो पद है उसके लिये क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं आपको समझ लेना होगा कि जब सन् १९५२ में इस सदन में वादविवाद हो रहा था तो चेयरमैन के सम्बन्ध में क्या क्या बातें डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में समझी जा सकती हैं काफी विषद व्याख्या हुयी। अब मैं यह समझने में असमर्थ हो रहा हूं कि सरकार आज इस विधेयक के जरिये यह अधिकार अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है। सरकार क्यों चाहती है कि वह चेयरमैन के पद के सम्बन्ध में जिन बातों को हम डिस्क्वालिफिकेशन समझते थे अब उनको भी नियम और उपनियम बना कर अपने हाथ में सारी शक्ति ले।

श्रीमन्, अगर हम तीन वर्ष के जीवन काल को देखें तो अब यह कहने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिये कि दिन प्रतिदिन सरकार की भावना सार्वजनिक शक्ति को अपने हाथ में केन्द्रित करने की होती जा रही है। आज से तीन वर्ष, दो वर्ष पहले सरकार जो अधिकार सामान्य और साधारण नागरिक के हाथ में रहने देने की बात कह चुकी थी और जो इस सम्बन्ध में नियम और उपनियम बनाये जाने की बात स्वीकार कर चुकी थी, उसको भी सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। अगर हम एफ (४) देखें तो उसमें लिखा है "to electoral offences and corrupt practices relating to election to the Office of Chairman"

चेयरमैन के पद के लिये कौन-कौन सी बातें करप्ट प्रेक्टिस मानी जायंगी और चुनाव संबंधी अपराध क्या-क्या समझे जायेंगे, अब उसके सम्बन्ध में भी सरकार नियम बनाने का अधिकार अपने हाथ में इस विधेयक के द्वारा लेने जा रही है। सरकार यह चाहती है कि यह सदन यह समझ ले कि सरकार के हाथ में पहले से भी यह ताकत थी। श्रीमन्, अगर आप एफ (५) देखें तो इसमें यह लिखा है "by-elections to the Office of Chairman" यानी चेयरमैन का पद

रिक्त हो उस स्थान पर पुनः चुनाव हो। वह पुनः चुनाव कैसे होगा, किस प्रकार से होगा इसके बारे में भी नियम बनाने का अधिकार यह सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। यह सरकार चाहती है कि उसके हाथ में सर्वदा से यह ताकत है। और अब वह इस बात को कानूनी स्वरूप देना चाहती है। एफ (६) में लिखा है "generally on all matters relating to conduct of elections to the Office of Chairman."

श्रीमन्, मेरे सम्मानित मित्र डिप्टी मिनिस्टर साहब जब इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहे थे तो बड़े सीधे सादे स्वभाव से, सुन्दर शब्दों में जो कुछ दिक्कत और कठिनाई चेयरमैन के सम्बन्ध में इलेक्शन पिटीशन के बारे में उन्होंने इस सदन में रक्खी थी, मगर इतने बड़े व्यापक अधिकार जो सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है उसकी ओर हमारे सम्मानित मित्र ने काफी प्रकाश नहीं डाला। यदि श्रीमन्, इतनी ही बात होती कि जो चेयरमैन नाजायज तरीके से चुना गया है, चेयरमैन का चुनाव अनुचित है, उसमें बड़ी गड़बड़ियां हैं, बड़ी धांधली है, बड़ा अन्याय है तो वह चेयरमैन अपने स्थान पर क्यों रहे, सरकार की ओर से यह दलील दी जा सकती है। यदि यह विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं होगा चूंकि रिटर्निंग आफिसर्स अब इलेक्शन पिटीशन को मेनटेन नहीं कर रहे हैं, और वे यह कह रहे हैं चूंकि नियम पुराने कानून के मातहत हैं और जो संशोधित ऐक्ट है उसके मातहत नियम नहीं बनाये गये हैं, इसलिये नियमानुसार अब इलेक्शन पिटीशंस ठीक नहीं है, वह नहीं लिया जा सकता। सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग या अन्य विरोधी पक्ष के लोग चाहते हैं कि ऐसा चेयरमैन जो अनुचित तरीके से चुना गया है वह अपनी जगह पर बरकरार रहे और वह अपने पद का दुरुपयोग करता रहे। मैं, इस बारे में श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार को और सदन के सम्मानित सदस्यों को अपनी ओर से सफाई दे देना चाहता हूं कि हमारी तनिक भी इच्छा नहीं है कि ऐसे चेयरमैन जो भ्रष्ट हैं, जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, सही मानी में, मान्य जनतांत्रिक प्रणालियों का उन्मूलन और विरोध करते हुये जिनका चुनाव हुआ हो वह अपनी जगह पर बने रहें। हमारी ऐसी तनिक भी इच्छा नहीं है। मगर जहां हम सरकार की कुछ दिक्कतों को महसूस करने, अनुभव करने और अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो वहीं पर हम देखते हैं.....

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मुझे कोरम नहीं मालूम होता।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री राजनारायण—श्रीमन् मैं इस विधेयक पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक समझा जा रहा है, जो वादविवाद हो रहा है उस वादविवाद के पुनः जारी करने के पूर्व आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, आप अक्सर यह देखते हैं कि तीसरे पहर की जब बैठक होती है तो सरकारी पक्ष के सम्मानित सदस्य सदन में उपस्थित नहीं होते। और हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है, यह नानआफिशल डे नहीं है, वी आर रेस्पांसिबिल फार दैट डे। श्रीमन्, सरकार चाहती है कि यह विधेयक जल्दी में पास हो। आधा दिन इसके लिये मुकर्रर किया गया है और सरकारी बेंच के लोग कोरम भी कम्प्लीट करने के लिये यहां पर नहीं उपस्थित हैं, और समाचारपत्रों में बराबर मैं पढ़ रहा हूं कि सरकारी पक्ष के लोग असेम्बली के मेम्बरों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये सचेष्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष—विधेयक पर आइये। कोरम की बात तो हो चुकी।

श्री शिवनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर सर। यह अनावश्यक बात यहां कही जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने कह दिया है। रूलिंग दे चुका हूं।

श्री राजनारायण—तो मैं श्रीमन्, आपके द्वारा निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को परिवर्तित स्वरूप में सदन में उपस्थित करें और केवल इतनी बात रखें कि चूंकि इलेक्शन पेटीशन, जो चेयरमैन अनुचित तरीके से चुने गये हैं, या जिस चेयरमैन के चुनाव में अवैधानिकता अपनायी गयी है उनके विरुद्ध

[श्री राजनारायण]

नहीं होने जा रहा है । केवल हम उतने ही को चाहते हैं कि इसमें ठीक कर दिया जाय। तो मैं समझता हूं कि बहुत से इस सदन के सम्मानित सदस्यों को इस पर विशेष ऐतराज नहीं होगा। ऐतराज की बात उसमें भी है। लेकिन विशेष ऐतराज नहीं होगा। मगर जब सरकार यह पावर लेना चाहती है उसी के साथ-साथ जब १९५२ में सदन में बाद विवाद हो रहा था तो जितने जनतान्त्रिक प्रणाली को प्रस्तुत करने के लिये सुझाव हमारी ओर से दिये गये उन तमाम सुझाओं को इस समय भी दृष्टिगोचर नहीं कर रही है, तो हमें बड़ी आपत्ति होती है। और मैं अपना विरोध और जबरदस्त विरोध आपके द्वारा प्रदर्शित करना चाहता हूं कि सरकार के हाथ में इतना बड़ा अधिकार नहीं जाना चाहिये। क्यों नहीं सरकार यहां पर बैठ कर विचार करे ? क्यों नहीं वह सदन के सामने इन तमाम बातों को रखती क्योंकि किसी टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन का पद एक महत्वपूर्ण स्थान है। चेयरमैन का पद साधारण बात नहीं है। हम डिमोक्रेसी में यकीन करते हैं, जनतंत्र में यकीन करते हैं। जनतंत्र का बुनियादी उसूल है डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर। शक्ति को केन्द्रित करना और फिर जनतंत्र की बात करना यह दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, असंगत हैं, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुये हैं। सरकार जो नियम बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले रही है वह क्या नियम बनायेगी ? वह इनके जरिए जिस तरह से चाहेगी चेयरमैन की डिस्क्वालीफिकेशन रिमूव करेगी, जिस तरह से चाहेगी चेयरमैन का इलेक्शन कंडक्ट करायेगी और इसी तरह से जो चाहेगी करेगी। तो जब सदन बैठा हुआ है तो उसके सदस्यों के सामने यह सारी बातें तमाम ब्योरेवार आनी चाहिये कि सरकार किन किन बातों को चेयरमैन के पद के लिये डिस्क्वालिफिकेशन मानती है, सरकार किस-किस पद का चुनाव किस तरह से कराना चाहती है। इसके अलावा है बाई इलेक्शन आफ दि आफिस आफ चेयरमैन। हमको इसमें कोई संदेह नहीं कि जो बाई इलेक्शन सरकार कराना चाहेगी वह नागरिकों द्वारा नहीं होगा, बल्कि सरकार चाहेगी कि जो टाउन एरिया में मेम्बर हैं वही चेयरमैन का चुनाव कर लें जैसा कि अभी म्युनिसिपैलिटी में चेयरमैन के चुनाव के लिये नियम बनाया गया है। तो जब एक चेयरमैन हटे तो क्यों नहीं एक सामान्य वोटर को अधिकार दिया जाय कि वह चुनाव करके अपना नया चेयरमैन चुने ? पहले का जो अधिनियम है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें अगर चेयरमैन हटता है तो चेयरमैन का चुनाव कौन करेगा ? क्या उस टाउन एरिया के अन्दर रहने वाले तमाम बालिग लोग करेंगे जो पहले के वोटर थे या उस कमेटी के ८,१०,१२ या ११ मेम्बरान करेंगे ? पहले के ऐक्ट के मुताबिक जहां तक मैं समझता हूं कि यह इलेक्शन तमाम वोटरों को करना चाहिये था, मगर अब सरकार की इच्छा है कि वह एक तरफ तो तमाम चेयरमैनों को हटाये और दूसरी तरफ जो थोड़े से लोग बैठे हुये हैं वहां, उनके जरिये चेयरमैन के पद पर दूसरे लोगों को आसीन कराये। इन तमाम बातों को सदन में प्रस्तुत करना चाहिये।

मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक के द्वारा असीम अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है, जो कि निरंकुश और अनियंत्रित होंगे और जनतांत्रिक प्रणाली में बाधक होंगे। तो इस प्रकार का अगर कोई भी विधेयक हमारे सदन में प्रस्तुत होता है तो एक सच्चा जनतांत्रिक प्रणाली पर चलने वाला हर प्रकार से इसका विरोध करेगा। इसलिये श्रीमन्, मैं इन तमाम बातों को समझते हुये, और सरकार की दिक्कत को समझते हुये विरोध इस सदन में कर रहा हूं और चाहता हूं कि सरकार अपने हाथ में इतने अधिकार न ले। सरकार अपने हाथ इस तरह से मजबूत न करे कि वह जनता की इच्छाओं को जब चाहे कुचल दे, जब चाहे उनका दमन कर दे। जो सरकार सही मानों में जनतांत्रिक प्रणाली पर चलती है वह सदा अपनी इच्छा से ऐसा कानून बनायेगी जिसमें शक्ति विकेन्द्रित होगी, सामान्य जनता के पास शक्ति जायेगी, न कि वह सरकार के पास रहेगी और अगर इन तमाम उसूलों को सामने रख कर इस विधेयक की धाराओं पर विचार करते हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि पहले जो अधिकार सरकार के पास नहीं थे वह अधिकार भी आज सरकार अपने हाथ में इस विधेयक के जरिये लेने

जा रही है। इन शब्दों के साथ में सरकार की इस इच्छा और इस सर्वग्रासी मनोवृत्ति का घोर विरोध करता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खा (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, टाउन एरिया अमेंडमेंट बिल पर जो तकरीरें अभी १ घंटे के अन्दर हुईं मैंने उन्हें बहुत गौर से सुना, खासतौर पर मुझ से पहले जो मेरे दोस्त राजनारायण सिंह जी ने तकरीर की है उसको भी मैंने सुना। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि इस छोटे से बिल पर जो बिलकुल एक इन्नोसेंट और मासूम सूरत रखता है इतनी लम्बी चौड़ी बहस की क्या जरूरत थी। उन्होंने अपनी तकरीर में बार-बार डेमोक्रेसी की दुहाई दी है और यह कहा है कि इस जमाने में जब कि हर एक चीज में डसेंन्ट्रेलाइजेशन होना चाहिये सरकार हर कुव्वत और ताकत अपने हाथ में लेना चाहती है। यह अल्फाज और यह एक्सप्रेशन पहला मौका नहीं जो मैंने यह सुने बल्कि यह ऐक्सप्रेशन वह बार बार इस हाउस के अन्दर दोहराते आये हैं और जब कभी कोई बिल पास हुआ या कानून हमारे सामने आये तो यह बात बराबर हमें सुनने को मिलती रही। बात क्या है? बात यह है कि टाउन एरिया अमेंडमेंट ऐक्ट जो १९५३ में अमेंड हुआ था उसके मातहत इलेक्शन हुये और उन इलेक्शन के बाद एक दिक्कत यह महसूस हुयी कि जो कवायद इलेक्शन पेटीशन के मातहत थे, उस ऐक्ट के अन्दर उनको तब्दील नहीं किया गया और इस ख्याल से रखे गये कि दफा २४ जनरल क्लाजेज ऐक्ट की जो है उसके मातहत उन्हें हक हासिल है। लेकिन मामला जब हाईकोर्ट के सामने गया तो हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया जिससे कि सबके लिये एक दुश्वार सूरत पैदा हो गयी। गवर्नमेंट ने उस फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की है लेकिन यह पता नहीं कि उसका कब फैसला होगा और क्या होगा। इसलिये इस बात की जरूरत महसूस हुई कि इस वक्त जो दिक्कत हर जगह पैदा हो गयी है उसे दूर करने के लिये एक तरमीमी बिल लाये और इसलिये यह तरमीमी बिल लाया गया है। अभी जैसा कि यह कहा गया कि इसके जरिये से सरकार तमाम अख्तियारात को अपने हाथ में लेना चाहती है और शायद वह इसका मिसयूज करे। मेरी समझ में यह नहीं आया कि जो रूल्स बन रहे हैं या जो रूल्स आइन्दा बनेंगे वे किसी एक पार्टी के मुताल्लिक नहीं हो सकते, उन रूल्स का ऐप्लीकेशन सब की सब पार्टियों पर होगा और कोई चेयरमैन हो या मेम्बर जो किसी टाउन एरिया के अन्दर हो ख्वाह किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। वह सब उसके अन्दर आ जायेंगे। फिर यह बात कैसे समझ सकते हैं कि अगर ऐसे रूल्स बन गये तो इससे चेयरमैनों या मेम्बरों की पोजीशन कमजोर हो जायगी। जनाबवाला, यह बात भी कही गयी कि इस किस्म के रूल्स बनने में और दिक्कतें पैदा हो जायेंगी और तमाम लोगों के अन्दर इससे एक परेशानी पैदा हो जायगी। मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आयी इसलिये कि यह सही है कि आज इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद, मुझे खुद जाती तौर पर इसका इल्म है कि मुख्तलिफ जो टाउन एरिया हैं उनके अन्दर यह एक बड़ा पेचीदा मसला पैदा हो गया है कि इसको किस तरीके पर हल किया जाय और कैसे ऐसी सूरत पैदा की जाय कि हाईकोर्ट के इस फैसले की रोशनी में इस काम को उस वक्त तक के लिये जब तक अपील मंजूर नहीं होती इस काम को चलाया जाय। मेरा ख्याल यह है कि जिस किस्म का तरमीमी बिल हमारे सामने आया है इसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं थी। माननीय राजनारायण जी ने अपनी तकरीर में कहा कि इस तरमीम में दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, अख्तियारात गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है। लेकिन उन्होंने एक लब्ज भी इस बात के मुताल्लिक नहीं कहा कि वह इसके लिये कोई आलटरनेटिव प्रोपोजल देना चाहते हैं, और यदि देना चाहते हैं तो वह क्या है। अगर कोई ऐसा प्रोपोजल किसी की तरफ से हमारे सामने आता तो यह सदन जरूर उस पर गौर करने के लिये तैयार होता और देखता कि वह कहां तक मुनासिब है और अगर वह मुनासिब होता तो उसे मंजूर करने में इस सदन को कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी।

एक बात यह भी कही गयी कि शायद इन रूल्स से यह झलक मालूम होती है कि आइन्दा जो इंतखाब चेयरमैन का हो वह इन्डायरेक्ट हो। यह सही है कि जो इंतखाब हुये वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

डायरेक्ट हुये। हरएक शख्स ने उसमें वोट दिया और इस सूरत से चेयरमैन मुन्तखिब हुये, लेकिन इस मौके पर इस बात की बहस में पड़ने का कोई मौका नहीं है। अगर थोड़ी देर को यह मान भी लिया जाय कि आइन्दा से जो इंतखाबात होंगे वह ऐसे होंगे जो इंडायरेक्ट होंगे, जिसमें मेम्बरान चेयरमैन के लिये वोट देंगे, तब भी मैं यही अर्ज करूंगा कि इससे किसी मखसूस पार्टी पर कोई असर पैदा नहीं होता इसलिये कि चाहे ऐक्ट हो या रूल्स हों, वह सबको बराबर एप्लाई करेंगे। यदि चेयरमैन डाइरेक्ट एलेक्ट होने वाले हैं, तब भी वह हर किस्म के चेयरमैन के लिये वह रूल्स एप्लाई करेंगे और अगर इन्डायरेक्ट तौर पर चेयरमैन का इन्तखाब होगा तब भी वह रूल्स ही एप्लाई होंगे। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ी लम्बी चौड़ी बहस इस हाउस के अन्दर पेश कर देना, इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। उन्होंने शायद यह भी फरमाया था कि इस बिल के आने से इस हाउस का वक्त खराब हुआ। मैं बड़े अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि इस बिल के आने या न आने से वक्त खराब हुआ हो या न खराब हुआ हो, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही लम्बी चौड़ी तकरीर इस हाउस में कर दी, जिस दौरान में कि पांच या छः मेम्बर बोल सकते थे और वह चाहते तो कम वक्त ले सकते थे। तो मैं अर्ज करूंगा कि यह चीज ज्यादा गौर करने के काबिल नहीं है। विधेयक में तो यह है कि जो पोजीशन पैदा हो गयी है उसको दूर करने के लिये क्या सूरत मुमकिन हो सकती थी। उसको दूर करने के लिये एक अमेंडमेंट बिल हमारे सामने है और हम उस पर गौर कर रहे हैं। अगर किसी धारा के मुताल्लिक कोई आलटर्नेट प्रोपोजल हो तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट उस पर गौर करने और उसकी जांच पड़ताल करने के लिये तैयार होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यह एक बहुत छोटा सा बिल है, एक तरमीमी बिल है और इसको जल्दी से जल्दी पास हो जाना चाहिये क्योंकि यह आर्डिनेंस की शक्ल में पहले १६ जून को पेश हुआ था और कौन्सिल में पहले गया, इसलिये उसके ६ हफ्ते के अन्दर उसको पास कर देना चाहिये। यह पब्लिक का काम है और हम सबका काम है, इसलिये इसमें हमको पूरा पूरा सहयोग देना चाहिये जिससे कि यह आर्डिनेंस की मियाद के अन्दर ही पास हो जाय। इन मुख्तसर अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का विरोध किया गया। विरोध की ओर से जो बातें कही गयी उनमें मैं कुछ तथ्य नहीं पाता हूं। किसी भी विधेयक का विरोध करने के लिये तीन आधार हो सकते हैं। एक आधार तो यह हो सकता है कि जो उद्देश्य बतलाया गया है वह उद्देश्य अभीष्ट न हो। दूसरा आधार यह हो सकता है कि उद्देश्य तो अभीष्ट हो लेकिन विधेयक लाना उसकी पूर्ति के लिये अनावश्यक हो। यानी वह विधेयक न लाया जाय तब भी उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। तीसरा आधार यह हो सकता है कि जिस उद्देश्य की चर्चा की गयी है उस उद्देश्य की पूर्ति उस विधेयक द्वारा नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि इन दोनों आधारों के अलावा कोई और आधार नहीं हो सकता है जिन पर किसी विधेयक का विरोध किया जा सके। मैं जब विचार करता हूं तो विरोधी पक्ष से कही हुयी बातों में इन तीनों में से एक भी नहीं पाता हूं। हमें एक एक पर गौर करना होगा, विचार करना होगा। इसके उद्देश्य में जो कुछ लिखा गया है उससे स्पष्ट है कि हाईकोर्ट की ओर से जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय का तात्पर्य होता है कि वर्तमान अधिनियम में एक गैप है, एक कमी है और वह कमी यह है कि उस वर्तमान अधिनियम के अनुसार किसी चेयरमैन के चुनाव के खिलाफ कोई याचिका नहीं प्रस्तुत की जा सकती, उसके निर्णय का कोई नियम नहीं है। मैं यह समझता हूं कि इस गैप को दूर करना आवश्यक है। जब तक यह गैप दूर नहीं किया जाता है तब तक जो टाउन एरिया अधिनियम है उसके कुछ उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस गैप को दूर करने के लिये कोई न कोई विधेयक लाना आवश्यक है। अब हमें यह देखना होगा कि दूसरा जो बतलाया गया कि क्या इस विधेयक के बिना भी कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि वह गैप दूर हो सके। तो जैसा कि यह सरकार विचार करती है, वह समझती है कि जो पहले की स्थिति है उसके अनुसार भी पहले के पुराने नियम हैं उनसे काम लिया जा सकता है, किन्तु सरकार के विचार से ही काम नहीं चलेगा। यदि अदालत निर्णय करती है कि पुराने नियम लागू नहीं हो सकते जैसा कि उच्च

न्यायालय ने कर दिया है, अब तो केवल सर्वोच्च न्यायालय बाकी रह जाता है। अगर वह भी निर्णय कर दे तो ऐसी स्थिति में पुराने नियम व्यर्थ हो जाते हैं और दूसरे नियम बनाने आवश्यक हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में पहले ही यह विचार करके जो नियम पहले बनाये गये थे यदि उनमें कोई बहुत बड़ा दोष न हो, तो हमें इस अधिनियम के अनुसार अधिकार प्राप्त कर लना चाहिये कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने खिलाफ फैसला दे दिया तो हम इस अधिनियम के द्वारा उस गैप को दूर कर सकेंगे जो निर्णय के द्वारा पैदा हो सकता है। अब यह देखना है कि क्या जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसकी पूर्ति हो जाती है या नहीं? मैं जहां तक समझता हूं माननीय नारायणदत्त या राजनारायण सिंह ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे यह पता चले कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक पेश किया गया है उसकी पूर्ति नहीं होती, इसलिये उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। हां, माननीय राजनारायण सिंह ने एक प्रश्न उपस्थित किया था। उन्होंने यह बतलाया था कि चूंकि यह चुनाव याचिका के सम्बन्ध में जो निर्णय दिया गया था उसी के सम्बन्ध में यह विधेयक पेश किया गया है इसलिये यदि इसकी चौथी धारा में जो चुनाव याचिका से संबंधित है, यदि अधिकार लेते तो जायज था। उससे संबंधित नियम के अलावा उसमें एफ १ से एफ ६ तक सरकार अधिकार ले रही है, यह लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके उत्तर में मैं माननीय राजनारायण सिंह को यह बताना चाहता हूं कि याचिका के सम्बन्ध में निर्णय करते समय अदालत को इन सब नियमों का ध्यान करना पड़ता है जो एफ १ से लेकर एफ ६ तक दिये हुये हैं और उसी से सम्बन्ध में रखते हैं। इसलिये चुनाव याचिका के लिये जितने नियम होंगे उनके बनाने का अधिकार भी सरकार को ले लेना चाहिये। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि जितने लोग इसका विरोध करें वह उन आधारों पर जो मैंने बतलाये, कोई तथ्य की बात कह तो कुछ विचार किया जा सकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह कै बजे तक चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—साढ़े तीन बजे समाप्त हो जाता है।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस इंतजार में था कि कोई ऐसी बात इस बिल के मुताल्लिक कही जाय जिसके कि वाकई जवाब देने की जरूरत होती, मगर मालूम यह हुआ कि यही नहीं कि कोई बात इसके खिलाफ नहीं कही गयी बल्कि बहुत सी बातें जो कही गयीं या तो किसी गलत असम्पशन के ऊपर कही गयी कि यह हुआ होगा और यह कहा गया और उसका जवाब दिया गया जोकि इसका असली मकसद है उससे दूर हट कर लोगों ने एतराज किये। यह हर शख्श जानता है कि जब कोई लेजिस्लेटिव बाडी होती है और वह कोई विधेयक पास करती है तो वह किसी खास गरज के लिये पास करती है और जब वह पारित हो जाता है तो अदालतों में जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उसका असली मकसद होता है उसके माफिक अदालतों का फैसला नहीं होता है बल्कि उसके खिलाफ हो जाता है। ऐसी सूरतों में हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है कि कानून में कोई न कोई तरमीम की जाय ताकि उसका मकसद पूरा हो। अबकी दफा ऐसा हुआ कि टाउन एरियाज ऐक्ट जो पहले से लागू था उसमें सन् ५३ में कुछ तरमीमात की गयी और उन तरमीमात के जरिये से जो पुरानी दफा ३९ की दफा (२) थी उसके क्लाज (c) (d) और (f) को निकाल दिया गया। लेकिन दफा ३९ का जो पहला क्लाज था वह बदस्तूर अपनी जगह पर बाकी रहा। उस क्लाज के अन्दर यह था :

"The State Government may make rules applicable to all or any Town Areas for carrying out the purposes of this Act."

यानी गवर्नमेंट को यह अख्तियार होगा कि इसके मकसद को पूरा करने के लिये रूल्स बनाये और उनको जारी करे। लेकिन जो उसका पार्ट (२) था उसमें था

"In particular and without prejudice to generality"

[श्री सैयद अली जहीर]

यानी इन कायदों के लिये सरकार को हक होगा कि वह रूल्स बना कर जारी करे। लेकिन इसके बाद जो यह था---

"As to methods of settling disputes or questions arising from election."

यानी ऐसे मामलात के मुताल्लिक वह रूल्स बना सकती है इसको यहां से निकाल दिया गया और इसकी जगह एक दूसरी दफा 6 (h) शामिल की गयी जिसमें यह लिखा था कि गवर्नमेंट को यह अख्तियार होगा कि जो म्युनिसिपलिटीज ऐक्ट, सन् १९१६ में एलेक्शन के मुताल्लिक दफात या रूल्स हैं उनको इस ऐक्ट में लागू करे और उसमें सब बातें लिख दी गयीं कि फलां-फलां बातों के लिये वे रूल्स लागू हो जायेंगे। इसके बाद जब यह तरमीम हो गयी तो यह समझा जाता था कि इसकी वजह से जो एलेक्शन्स के रूल्स होंगे जो इस कानून में पहले से बने हुये थे वे दफा ३९ (१) के जरिये से और दफा 6 (h) जो इसमें तरमीम करके बढ़ाई गयी थी उसके जरिये से लागू हो सकेंगे। मगर जब अकबरपुर टाउन एरिया जो फैजाबाद जिले में है, उसका मामला हाई कोर्ट में गया तो एक बेन्च ने यह फैसला किया कि चूंकि क्लाज २ और क्लाज (f) निकाल दिये हैं इसलिये अब जो एलेक्शन्स के मुताल्लिक रूल्स टाउन एरियाज ऐक्ट के मातहत बने हुये थे वे लागू नहीं किये जा सकते। इस मामले के बाद जाहिर है कि नतीजा यह हुआ कि अगर कोई एलेक्शन किसी चेयरमैन का नाजायज भी है तो उसके लिये कोई कायदा कानून नहीं रह गया, न कोई एलेक्शन पेटीशन हो सकती है और न उसका कोई फैसला हो सकता है। यह एक ऐसी सूरत पैदा हो गयी जिसके मुताल्लिक जाहिर है कि गवर्नमेंट को फौरन कोई न कोई ऐक्शन लेना था। यह खुली हुयी बात है कि इस सदन का यह कभी मकसद नहीं था कि ऐसी सूरत पैदा हो जाय कि कोई चेयरमैन चुन लिया जाय चाहे वह सही तरीके से चुना जाय या गलत तरीके से चुना जाय और उसको चैलेन्ज करने का हक किसी को बाकी न रह जाय। कई टाउन एरियाज में इसी किस्म की सूरतें पेश थीं। चुनान्चे फर्रुखाबाद के जिले में कई टाउन एरियाज में यह सवाल उठा, बल्कि वहां तो अदालतें उस फैसले से भी आगे बढ़ गयी और उन्होंने कहा कि एलेक्शन्स के जितने रूल्स हैं वे सब खिलाफ कानून हैं। चुनान्चे इसकी जरूरत हुई और हम फौरन एक आर्डिनेंस लायें और इस सूरत को रफा करें। इसमें न कोई गैर कानूनी बात है और न कोई ऐसी चीज है, जो सदन की मंसा के खिलाफ हो, एक शक्ल फैसले की वजह से पैदा हुई, उसका हल निकालना था और उसका हल निकालने के लिये वह पहले आर्डिनेंस आया और उसके बेसिस पर आपके सामने यह विधेयक पेश किया गया है।

जहां तक इसकी दफात का ताल्लुक है, इसमें ६ दफात हैं और ऐसी जरूरी तरमीमात कर दी गयी हैं, जिसकी वजह से यह बात पैदा हो गयी है, इसको रफा कर दी जाय। एक माननीय सदस्य जिन्होंने अभी तकरीर खत्म की थी, उन्होंने यह भी कहा कि इसके जरिये से सरकार अपने हाथ में ज्यादा अख्तियारात ले रही है। जाहिर है कि अख्तियारात सरकार को लेना पड़ते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं इलेक्शन वगैरह के लिये और पहले कानून बना हुआ था। उसमें कानून कायदे सरकार ने बनाये थे उनका अमल दरामद होता था, वह किसी एक पार्टी के लिये नहीं होते हैं, एक जमाअत के लिये नहीं होते हैं बल्कि सबके लिये होते हैं और हर शख्श उस पर अमल करता है। अगर चेयरमैन कांग्रेस का हो जाय तो नान कांग्रेस कैन्डीडेटस को अख्तियार होता है कि वह इलेक्शन पेटीशन दाखिल करे और अगर चेयरमैन नान कांग्रेस पार्टी का होता है तो कांग्रेस कैन्डीडेट्स को अख्तियार होता है कि वह उसके खिलाफ पेटीशन दाखिल करे। इस तरह से जितने रूल्स होते हैं वह सबके लिये बराबर होते हैं। यह हमारे कांस्टीट्यूशन में है इसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी सूरत में यह इल्जाम लगाना कि सरकार ने इसलिये यह किया कि कांग्रेस के चेयरमैन नहीं होते थे और उनके खिलाफ पेटीशन होती हैं। मेरे ख्याल में यह गलत और बे बुनियाद इल्जाम है, जो जेबा नहीं देती किसी समझदार आदमी को कि वह ऐसी आवाज उठाये।

सरकार जिन रूल्स के मातहत काम करती है वह इसलिये नहीं बनाये जाते कि किसी खास चुनाव के लिये या किसी खास इलेक्शन के लिये बल्कि वह तो आम कायदे कानून होते हैं और जो पहले से कायदे कानून रायज हैं उनके ऊपर बनते हैं और उन पर अमल होता है तो इस वजह से जाहिर है कि ऐसी किसी बात की कोई बुनियाद नहीं और यह तो महज अपनी तकरीर में जोर पैदा करने के लिये बाज मेम्बरान ने इस किस्म की बात उठायी है। दफा ४ में जो जो बातें रखी गयी हैं वह वही हैं, जो चेयरमैन के इलेक्शन के सिलसिले में उठती है और जिनके मुताल्लिक रूल्स बने हुये हैं, उनके मुताल्लिक कहा गया है कि यह समझा जायगा कि वह हमेशा से बने हुये थे और आयन्दा भी लागू रहेंगे, चुनांचे उसके अल्फाज यह हैं कि:

"In sub-section (2) of section 39 of the Principal Act, after clause (*f*) (since deleted) the following new clauses (*f*-1) to (*f*-6) shall be deemed always to have been inserted:—

(*f*-1) the conduct of election to the office of the Chairman,

(*f*-2) the decision of doubts and disputes relating to election to the office of Chairman,

(*f*-3) the removal of disqualifications for election to the office of Chairman,

(*f*-4) the electoral offences and corrupt practices relating to the office of Chairman,

(*f*-5) bye-elections to the office of Chairman; and

(*f*-6) generally on all matters relating to conduct of election to the office of Chairman."

इसके माने यह हैं कि दफा ३९ में जो अख्तियारात कानून के बनाने के हैं वह सरकार को अख्तियारात होंगे कि वह इन बातों की बाबत कानून बनायें। जाहिर है कि जिस तरह से कानून बनेगा वह हर एक के लिये बराबर लागू होगा और उसमें न तो किसी किस्म की तरफदारी हो सकती है और न पक्षपात हो सकता है। उसके साथ साथ दफा ५ में जो एक शक पैदा हो गया था हाईकोर्ट के फैसले की वजह से कि यह जो पुराने रूल्स लागू थे वह कहां तक लागू रहेंगे, उसको साफ किया गया है। यह जैसा कि उप मंत्री जी ने अपनी शुरू की तकरीर में आपको बतलाया कि जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ है, उसको हमने सही तस्लीम नहीं किया है। लेकिन जाहिर है कि वह फैसला जब तक अपनी जगह पर है, हमें सही मानकर उस पर अमल करना है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो लेकिन हम नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मुआफिक होता है तो इसका नतीजा वही होगा जो कि इस कानून से हम करना चाहते हैं यानी यह कि जो रूल्स अभी तक इस हाईकोर्ट के फैसले की वजह से नाजायज हो गये हैं, वह फिर से जायज करार पायेंगे और उनके ऊपर फिर अमल दरामद होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हमारे खिलाफ होता है तब भी यह कानून अगर यह सदन पास करे देता है तो इससे वही असर होगा जो कि हाईकोर्ट के फैसले के पहले था। जो रूल्स हाई कोर्ट के फैसले की वजह से लागू नहीं रहे थे वे फिर से लागू हो जायेंगे। ऐसी सूरत में यह खुली हुयी बात है कि हम कोई ऐसी बात नहीं करने जा रहे हैं, जो कि गैरकानूनी हो या खिलाफ कायदे हो या किसी गलत अख्तियार को हम अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। यह तो खुली हुयी सीधी सादी बात है। ऐसी शकल पैदा हो गयी है कि कानून का दूसरा मतलब लगाया गया है। हमारा मतलब दूसरा था।

जहां तक कानूनी मामले हैं आये दिन इस तरह से होता रहता है। यहां ही नहीं बल्कि और मुल्कों में भी जहां पर बहुत ही मंजे हुये लोग और निहायत तजुर्बेकार लोग कानून बनाते हैं वहां पर भी यह हुआ करता है। एक मतलब से कानून बनाया जाता है कि इससे यह मकसद हम हासिल करना चाहते हैं लेकिन जब वह कानून अदालत में जाता है तो उसके मतलब उन अल्फाज के दूसरे लगाये जाते हैं और उससे कुछ फर्क पड़ जाता है। उसके बाद जो लेजिस्लेचर होता है, जैसी उसको जरूरत पड़ती है, लेजिस्लेचर फिर अपने मकसद को वाजह करता है और जिस तरह से वह चाहते हैं कि कानून लागू हो उसी तरह से मुखतलिफ तरीके से वह जाहिर करते

[श्री सैयद अली जहीर]

हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इन बातों को सामने रखते हुये यह यकीन किया जाय कि जो बात हम इसके जरिये से करना चाहते हैं वह कोई नयी बात हम नहीं कर रहे हैं बल्कि जो गलतफहमी पैदा हो गयी थी और जो शक्ल इस हाउस की मंशा के खिलाफ फैसले की वजह से पैदा हो गयी थी उस शक्ल को हम दूर करना चाहते हैं। यह हमारी गर्ज है और यह चीज इसमें लिख दी गयी है और उसके ऊपर ही अमल होना चाहिये ।

इसके बाद मुझे यह भी अर्ज करना है कि जो तरीका चेयरमैन के एलेक्शन का था उसको भी इसके जरिये से बदल दिया गया है। अब कानून का जहां तक ताल्लुक है उसमें दफा ८ अपनी जगह पर कायम है। बहरहाल कानून में जो इस वक्त है उसमें कोई तरमीम इसके जरिये से हम नहीं कर रहे हैं, जो कि नई कही जा सके। जो सन् १९५३ में कानून पास हुआ था उसमें यह लिख दिया गया है। जहां तक एलेक्शन के रूल्स का सवाल है जो म्युनिसिपैलिटी के होंगे वही रूल्स टाउन एरिया के लिये भी लागू होंगे। यह चीज हुयी है और पहले ही सन् १९३९ में हो चुकी है। कोई नयी बात हम नहीं पेश कर रहे हैं। मगर म्युनिसिपैलिटी का कानून बदल गया है तो जाहिर है कि टाउन एरिया का भी उसी तरह से होगा जैसे कि म्युनिसिपैलिटी का जनरल एलेक्शन होता है। अब मेम्बरों के जरिये से होता है। जिस तरीके से म्युनिसिपैलिटी में होता है वैसा इसके लिये भी लागू होगा। तो फिर यह कहना कि इस अमेंडिंग ऐक्ट में कोई नई बात की गयी है यह सही नहीं होगा। मैंने इसी वजह से अर्ज किया कि जो यह तरमीमी बिल है, जो हाउस के सामने पेश है, इसमें कोई नयी बात नहीं है। पुराने कानून पर एक फैसले की वजह से ऐसा असर पड़ गया। उस असर को हटाने के लिये ही यह कानून बनाया जा रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसकी क्या दशा होगी ?

श्री सैयद अली जहीर---अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही रहता है जो हाईकोर्ट का रहा है तो हमारा यह नया वाला कानून लागू रहेगा लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुआ तो हमारा यह कानून और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ही हो जायगा और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, नियम ९६ के अनुसार मैंने हाईकोर्ट का फैसला देखने के लिये मांगा था। उसको देखने के बाद मैं कुछ संशोधन देना चाहता हूं। हाईकोर्ट का फैसला अभी मुझे देखने को नहीं मिला है। अभी १५ मिनट बचे हैं, यह बिल बाद को ले लिया जाय। अगर कोई संशोधन आवश्यक हुआ तो बाद में दे दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं माननीय सदस्य का अधिकार पेपर्स मांगने का है। अगर माननीय मंत्री महोदय दे सकते हों तो जरूर दे दें।

श्री सैयद अली जहीर---माननीय सदस्य का अधिकार तो है मांगने का, लेकिन यह नहीं कि बहस खत्म हो जाय तब मांगा जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, वक्त तो यही है। नियमों में यह लिखा हुआ है कि—

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on wich the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House."

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन पोस्टपोनमेंट के लिये कोई गुंजाइश नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अभी तो १५ मिनट बाकी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—परन्तु बात यह है कि यह बिल सदन के सामने बहुत दिनों से है । माननीय सदस्य अपना संशोधन उस समय में दे सकते थे । जान बूझ कर जो नहीं दिया गया है उसके लिये समय देना मुनासिब मालूम नहीं होता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—नियम ९६ के अनुसार मुझे अधिकार, विचार का प्रस्ताव हो जाने के बाद उनसे कागजात आपकी इजाजत से मांगने का तो है ही । मैं समझता हूं आप मुझे इस अधिकार से वंचित नहीं कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप ख्वाहिश जाहिर कर दें, अगर वे दे सकते होंगे तो दे देंगे ।

श्री शिवनारायण—अभी तो मांगा नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने लिखकर दे दिया है । और वह माननीय मंत्री जी के पास है ।

श्री सैयद अली जहीर—हाईकोर्ट के जजमेंट होने के बाद उसी की बुनियाद पर इस कानून को लाया गया है । यह जाहिर है कि हाईकोर्ट का फैसला, उपाध्यक्ष महोदय, कंफीडेंशल डाकूमेंट नहीं होता । यह फैसला अप्रैल, १९५५ में हुआ था । माननीय सदस्य अगर चाहते तो अलग से उसे हासिल कर सकते थे । बहरहाल मुझसे साढ़े बारह बजे उसकी कापी पहले पहल मांगी गयी, दफ्तर से मेरे पास अभी आयी है । वे इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं लेकिन इसकी वजह से काम नहीं रुक सकता है । उसके ऊपर वे तरमीम भी नहीं दे सकते । कानून तो पास हो ही जायगा । आप उसको रोक नहीं सकते ।

श्री उपाध्यक्ष—वह माननीय सदस्य को कृपया दे दें ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन ९६ का जो हवाला दिया गया है उस में यह लिखा है कि :

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House."

इसमें मांगने का या किसी माननीय सदस्य को देने का प्रश्न कहीं नहीं आया है, इसमें केवल यह है कि वह मेज पर रखी जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—मेज पर रखने के माने यही हैं कि माननीय सदस्य पा लें और अब जबकि वह उनको दिया जा चुका है तो कोई सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से वह मुझे मिल तो गया है, लेकिन वह जरा लम्बा है और संशोधन देने की भी आवश्यकता है और कोई आवश्यक बात न रह जाय, इसलिये हमें थोड़ा सा समय दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य जानते हैं कि नियम ११२ जो संशोधन के बारे में है, उस में जो प्राविजन दिये हुये हैं उनमें से किसी में भी यह नहीं आता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसमें है कि "अनलेस दि स्पीकर एलाउज.....

श्री उपाध्यक्ष—अब स्थिति ऐसी है कि इस की सब को इत्तिला होना माना जा सकता है । यह एजेंडे पर इतने दिन से है, उस पर कोई संशोधन नहीं आया, इससे

[श्री उपाध्यक्ष]

जाहिर है कि इस पर कोई खास संशोधन लाने की जरूरत नहीं थी और जो माननीय सदस्य की ख्वाहिश भी अब पूरी कर दी गयी है, इसलिये मैं चाहता तो यह था कि सब को एक साथ ही सदन के सामने पेश करता, लेकिन अब मैं एक एक खंड को ठहरता हुआ पेश करता जाऊंगा तो वह इस फैसले का शायद उपयोग चाहें तो कर सकेंगे, यह उनकी योग्यता पर निर्भर है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—नियमों के अनुसार पहले से हम उसको नहीं मांग सकते थे, वह तो पहली रीडिंग के बाद ही मांग सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो आप पहले भी कह चुके हैं, मैंने सुन लिया है।

श्री शिवनारायण—क्या हाई कोर्ट के जजमेंट में कोई संशोधन कर सकता है?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं इसको विचार के लिये एक एक खंड कर के पेश करता हूं।

खण्ड २

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ६ एच का संशोधन।

२—यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की (जिसे यहां पर आगे चलकर "मूल अधिनियम" कहा गया है) धारा 6-H में शब्द "apply to an election" के पश्चात् शब्द "of a member" सदैव से रख गये समझे जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

यू० पी० ऐक्ट २,१९१४ की धारा ६ आई का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा 6-I की उपधारा (२) में शब्द "election" के पश्चात् शब्द "of a member" सदैव से रक्खे गये समझे जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

यू० पी० ऐक्ट, २,१९१४ की धारा ३९ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (२) में खंड (*f*) (जो निकाल दिया गया है) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (*f-1*) से (*f-6*) तक सदैव रक्खे गये समझे जायं :

(*f*-1) the conduct of election to the office of Chairman,

(*f*-2) the decision of doubts and disputes relating to election to the office of Chairman,

(*f*-3) the removal of disqualifications for election to the office of Chairman,

(*f*-4) the electoral offences and corrupt practices relating to election to the office of Chairman,

(*f*-5) bye-elections to the office of Chairman, and

(*f*-6) generally on all matters relating to conduct of elections to the office of Chairman."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

वैधीकरण (Validation)

५—संदेहों के निवारणार्थ, एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि:—

(१) चेयरमैन के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई नियम जो यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित रहा हो, उपर्युक्त संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी ऐसे परिवर्तनों, परिवर्द्धनों अथवा परिष्कारों (alterations, additions or modifications) को बाधित न करते हुये जो बाद में मूल अधिनियम की धारा ३९ के अधीन उस में किये गये हों, प्रचलित रहेगा और प्रचलित रहा हुआ समझा जायगा।

(२) कृत अथवा अकृत (done or omitted to be done) कोई कार्य अथवा बात जिसमें मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्मित कोई नियम अथवा नियम का संशोधन भी सम्मिलित है, जो वैध रूप से तथा उपयुक्त रूप से मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन अधिनियम के अधीन कृत अथवा अकृत अथवा निर्मित हुआ होता अथवा हुई होती, यदि मूल अधिनियम की धारा (*6-H*, *6-I*) तथा 39 (२) वैसी होती जैसी इस अधिनियम द्वारा व्यवस्थित की गयी है, तदन्तर्गत वैधरूप से तथा उपयुक्त रूप से किया गया अथवा बनाया गया समझा जायगा।

(३) उपधारा (१) तथा (२) में अभिदिष्ट नियमों में उल्लिखित अधिकारों के अधीन, प्रतीत होने वाले प्रयोग के अन्तर्गत इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व चेयरमैन के निर्वाचन पर प्रश्न उठाने वाली किसी भी निर्वाचन याचिका (election petition) पर प्रत्येक निर्णय अथवा आज्ञा जो विधिपूर्ण होता या होती यदि इस अधिनियम की धारा २, ३ तथा ४ याचिका के प्रस्तुतीकरण (presentation) तथा विचार अथवा निर्णय अथवा आज्ञा के प्रख्यापन (pronouncement) के अवसर पर प्रचलित हो गयी होती (come into operation) तथा ऐसे निर्णय अथवा आज्ञा के अनुसार की गयी कोई बात विधिपूर्ण दिये गये अथवा की गयी समझी जायगी यदि ऐसा निर्णय अथवा ऐसी आज्ञा उक्त आरम्भ से पूर्व ही रद्द (set aside) न कर दिया गया हो अथवा न कर दी गई हो।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

निरसन (Repeal)

६—उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ एतद् द्वारा निरसित (Repeal) किया जाता है तथा उस पर यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त (apply) होंगे मानों यह किसी उत्तर प्रदेश के अधिनियम द्वारा निरसित विधायन हो।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४।

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करने का

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट १९१४ को संशोधित करने के हेतु राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ प्रचारित किया था;

और यह आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश विधान मंडल के विधायन द्वारा अनुस्थापित (replace) किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह १८ जून, १९५५ से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाश प्रकाश—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४

*स्वशासन उपमन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि एक योजना इस प्रदेश में श्रमिकों के आवास के लिये बनायी गयी है। जहां जहां बड़े उद्योग धंधे हैं वहां मजदूरों को रहने की तकलीफ थी। उसको रफा करने के लिये सरकार की ओर से घर निर्माण करने की व्यवस्था की गई। श्रीमन्, इस व्यवस्था के चार खंड हैं। पहले खंड के अनुसार इस प्रदेश में २७७६ घर बनाये जाने वाले थे और मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि २७७६ मकान बनाये जा चुके हैं और आज उनमें मजदूर रह भी रहे हैं। दूसरे के अनुसार ३७५०

† ३ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मकान बनाने की योजना थी, जिसमें से ३३७६ मकान बन कर तैयार हो गये हैं, शेष बन रहे हैं, कुछ छत तक पहुंच चुके हैं, कुछ उससे अभी कम हैं। तीसरे खंड के अनुसार ७ हजार चार सौ मकान बनने वाले हैं, जिनमें ५८२ बन कर पूरे हो चुके हैं। ५८४८ छत तक पहुंच चुके हैं और जो और बाक़ी हैं वह उस से कम हैं। एक चौथा खंड है जिसके अनुसार ६९७८ मकान बनने हैं। श्रीमन्, यह कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। यह इतने सारे मकान बन गये हैं। वहां मजदूरों को यह दिये जायेंगे। इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि जब यह मकान दिये जायं, इनका किराया वसूल करने का, इसमें और सुविधायें देने का और इनकी व्यवस्था करने का प्रबन्ध होना चाहिये। इन्हीं को करने के लिये श्रीमन्, यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है कि एक हाउसिंग कमिश्नर और उसके सहकारी नियुक्त किये जायं। इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उनको सलाह देने के लिये एक समिति बनायी जाय जो कि उन विषयों पर उनको सलाह देगी, जिन पर आवश्यकता हो। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि हर एक मजदूर को इनमें से मकान एलाट किये जायं और एलाट करने के बाद उनसे किराया वसूल किया जाय, यह भी व्यवस्था की गई है कि महीने की एक नियत तिथि तक यह किराया वसूल कर लिया जाय। इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि एलाट होने के बाद यदि कोई रहने वाला किराया न दे सके, न देने को तैयार हो, किसी दूसरे को मकान उठा दे और वह मकान का उपयोग न कर सकता हो या वह स्वयं रह न रहा हो तो उसको उस घर का इस्तेमाल करने से भी रोका जा सके। इस बात की भी इसमें व्यवस्था है कि यह बात देखी जाय कि घर का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसका एलाटमेंट कैंसिल कर दिया जाय। श्रीमन्, कुछ अधिक इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। ये मकान जो बने हैं इनकी व्यवस्था करनी होगी, उनका प्रबन्ध करना होगा। इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि किस तरह से उनका किराया वसूल किया जाय। इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि उन मकानों का वे इस्तेमाल कर सकें जिनके लिये वे बनाये गये हैं। इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि कोई उस मकान को लेकर किसी दूसरे से इस्तेमाल करा कर उनका बेजा फायदा न उठा सकें। इन चीजों की व्यवस्था इसमें की गई है। एक बात की और व्यवस्था इसमें है। पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अनुसार कुछ वेतन मजदूरों को दिया जाता है। इस बात की भी इसमें व्यवस्था की गई है कि यदि कोई मकान लेने वाला इस बात का एग्रिमेंट कर ले कि वह अपने वेतन में से किराया कटवाने को तैयार है तो जहां उसको वेतन दिया जाता है, उसको यह अधिकार होगा कि उतना किराया उसके वेतन से काट ले और वह उत्तरदायी होगा उस किराये को सरकार में जमा करने के लिये। इन सब बातों को सुनकर मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सवाल है यह विधेयक बहुत त्रुटिपूर्ण है और इसमें काफी संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक इसके उद्देश्य का सवाल है, मैं इसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, त्रुटियों को बताने के पहले मजदूरों की जो हालत है मकानों के बारे में उस सम्बन्ध में मैं कुछ आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक मजदूरों के रहने के घरों का सवाल है इस सम्बन्ध में उनकी दशा बड़ी दयनीय है और एक-एक जगह जिसमें ४–५ आदमी मुश्किल से रह सकते हैं १०, १० मजदूर उसमें रहते हैं। यही नहीं श्रीमन्, न उन मकानों में रोशनी है, न सफाई का कोई प्रबन्ध है, वहां कोई भी आदमी एक घंटा बैठा नहीं रह सकता है। यह सवाल है मजदूरों का। मजदूरों ने मिलमालिकों की तिजोरियों को भरा है, लेकिन आज तक मिलमालिकों ने मजदूरों के रहने के लिये मकान के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मजदूर उनको कमा कर पैसा देता है। फिर जब वह ८ घंटे मेहनत करके घर पर जाता है तो उसके रहने की भी ठीक व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार ने थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया है। यह उसके लिये प्रशंसनीय है। लेकिन जो कुछ भी

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

अब तक हुआ बहुत कम हुआ है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी और ज्यादा से ज्यादा मकानों को बनवाने की व्यवस्था करेगी। यह ठीक है कि ऐसे विधेयक की जरूरत थी जिसमें यह नियम बना दिये जायं कि किस तरह से उन मकानों का एलाटमेंट होगा, किस तरह से वे उन मकानों से हटाये जा सकते हैं। ताकि जो आफिसर्स हैं उनको मनमानी ढंग से काम करने का मौका न मिले, लेकिन जब हम इस विधेयक पर नजर डालते हैं तो इस उद्देश्य की पूर्ति इस विधेयक के द्वारा नहीं हो रही है। और भी इसमें बहुत सी खामियां हैं। इस विधेयक में आप जहां भी देखें वहां हर तरफ से तमाम अधिकार हाउसिंग कमिश्नर को या ऐसे सरकारी लोगों को दिये जा रहे हैं, जिससे दूसरे लोग कम से कम राय दे सकेंगे। धारा ८ में यह व्यवस्था की गयी है कि परामर्श समिति बनेगी और उसमें एक श्रमिकों का रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक मिलमालिकों का होगा। इस तरह जो बाकी ५ सदस्य होंगे वे सरकारी अफसरान होंगे। इस तरह से यह समिति कोई ठीक राय नहीं दे सकेगी। और वहां भी सरकारी अफसरान का ही बहुमत होगा वे जिस तरह से चाहेंगे या हाउसिंग कमिश्नर जो चाहेगा वह उसमें पास होगा। तो यह एक त्रुटि है। और मैं समझता हूं कि सरकार को इस त्रुटि को सुधारना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को और मिल मालिकों के नुमाइन्दों को उसमें रखना चाहिये ताकि वह ठीक ठीक राय दे सकें और जो सरकारी अफसरान जिस तरह से चाहें, इधर उधर करना, वह न कर सकें। इसलिये मेरा तो यह ख्याल है कि इधर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इस सिलसिले में एक बात मैं आप से और निवेदन कर दूं कि जब जब त्रिदलीय दल सम्मेलन हुए हैं तो उनमें हमारे सूबे के दो जो बड़े आर्गनाइजेशंस हैं यानी आई० एन० टी० यू० सी० और हिन्द मजदूर सभा, उसके नुमाइन्दे हर जगह बुलाये जाते रहे हैं ताकि हर तरफ की ठीक ठीक राय आ जाय। अगर इसमें एक ही सदस्य रखा जायगा तो एक दिक्कत यह भी हो सकेगी कि एक ही पक्ष की राय वहां पर दी जा सकेगी। चाहे हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधि हो, तो उसकी राय दे सकेगा और चाहे आई० एन० टी० यू० सी० का प्रतिनिधि हो, तो वह उसकी राय दे सकेगा। तो इस तरह से यह जरूरी है कि मजदूरों और मिलमालिकों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ायी जाय ताकि जितने भी मजदूर आर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी ठीक से राय आ सके। इस तरह से जो परामर्श समिति बनायी जाय वह ठीक ठीक राय दे सके और उससे फायदा उठाया जा सके। धारा ९ में यह कहा गया कि अगर्चे यह औद्योगिक श्रमिक नहीं रहेगा तो वह गृह से निकाला जा सकता है। श्रीमन्, ठीक है। अगर वह औद्योगिक श्रमिक नहीं है तो वह निकाला जा सकता है। उस गृह में रहने का उसको अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें एक और खयाल होना चाहिये। अगर किसी मजदूर को मिल मालिक झूठा या सच्चा चार्ज लगा कर निकाल देता है, तो उसको उस वक्त तक उस मकान से बेदखल नहीं करना चाहिये जब तक कि उसका मामला किसी औद्योगिक न्यायालय में चलता हो और उसका आखिरी फैसला न हो जाय। क्योंकि अगर्चे उसको बीच में हटाया जा रहा है, अगर किसी मिलमालिक को किसी मजदूर को उसको घर से निकलवा देना है, वह चाहता है कि किसी दूसरे मजदूर को घर दिलवा दे जो उसका फेवरिट है, तो वह उस मजदूर को एक डिस्मिशल नोटिस दे देगा और नतीजा यह होगा कि वह मजदूर मकान से निकाल दिया जायगा, भले ही वह अदालत द्वारा बाद में बहाल हो जाय। तो वह उस घर को पाने का हकदार नहीं हो पायेगा। इसलिये जब तक आखिरी फैसला आखिरी अदालत से न हो जाय, तब तक उसको औद्योगिक श्रमिक समझना चाहिये और उसको अख्तियार होना चाहिये कि उस मकान में वह तब तक रह सके और उसका वह फायदा उठा सके, ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। जहां तक इसमें अलाटमेंट कैंसिल करने का सवाल है किसी का भी अलाटमेंट कैंसिल हो सकता है। हाउसिंग कमिश्नर कैंसिल कर सकता है। उसमें यह बहुत बड़ा अधिकार उसको दे दिया

गया है कि मनमाने ढंग से जिसका चाहे कैंसिल कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। उसमें ठीक ठीक बता देना चाहिये कि इन इन हालतों में वह मकान का अलाटमेंट कैंसिल कर सकता है। यह गोलमटोल रखने से हाउसिंग कमिश्नर अपने इस अधिकार से नाजायज फायदा उठा सकता है। जब हम कोई कानून बनाते हैं तो हमें उसमें साफ साफ बता देना चाहिये कि इन इन हालतों में वह क्या क्या कर सकता है। तभी उस कानून की ठीक ठीक पाबंन्दी हो सकती है।

श्रीमन्, एक खामी और इस बिल में है जहां पर किराया देने की बात कही गई है वहां दसवीं तारीख रखी हुई है। लेकिन श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पेमेंट आफ वेजज ऐक्ट को देख लें। पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्दर जिस मिल में एक हजार से ज्यादा मजदूर काम करते हैं वहां मिल को अखतियार है कि वह दसवीं तारीख तक उसके वेतन को दें। अगर वह १० तारीख को उसको वेतन देगा तो वह मजदूर कैसे दसवीं तारीख को अपना किराया जमा कर सकेगा। इसलिये मैं सोचता हूं कि उस मजदूर को जिनको कि १० तारीख को तनख्वाह मिलेगी उनको कुछ दिनों का मौक़ा होना चाहिये, ताकि वह किराया ले जाकर ठीक समय पर दे दे। इसलिये १० तारीख की जो बात की गयी है वह ठीक नहीं जंचती है और उसको कुछ बढ़ना चाहिये ताकि मजदूरों को सुविधा हो सके कि जब वह वेतन पाये तो ठीक समय पर जाकर अपना किराया जमा कर सके।

श्रीमन्, जहां किराया नियत करने की धारा है वहां भी यह हाउसिंग कमिश्नर को ही अधिकार दे दिया गया है कि जो चाहे वह किराया निश्चित कर दे। ऐसा अख्तियार उसको नहीं देना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि इसको भी बिल में साफ साफ आना चाहिये कि उसकी तनख्वाह का कै फीसदी किराया मकान उसको देना होगा। अगर हम इसको साफ कर देंगे तो बहुत सी गड़बड़ियों से हम बच जायंगे। यह हो सकता है कि हाउसिंग कमिश्नर एक ही किस्म के मकान में किसी का कम किराया लगा दे और किसी का ज्यादा लगा दे। तो इस तरह का अख्तियार देने में भी गड़बड़ी हो सकती है और इसलिये हमको यह निश्चित कर देना चाहिये कि उसकी तनख्वाह का इतना परसेंटेज उसको किराये के रूप में देना पड़ेगा, जैसा कि और जगह किया भी गया है। अगर इस तरह से हम इसको बना देंगे तो उसका मनमाने ढंग पर किराया न रखा जायगा और यह दिक्क़त भी साफ हो जायगी।

श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि इस बिल में जो धारा १८ रखी गयी है वह क्यों रखी गयी है। धारा १८ में यह लिखा हुआ है कि हाउसिंग कमिश्नर को या उसके द्वारा नियत किसी व्यक्ति को यह अख्तियार होगा कि किसी भी घर में कुछ आदमियों को लेकर घुस सके। किराया बाक़ी होगा तो मिल से कटवाइये, उसको जब मालगुजारी की तरह से वसूल करने का अख्तियार दे रहे हैं तो श्रमिक के घर में घुसने की कौन जरूरत होगी और इसको इस बिल में रखने की क्या जरूरत है। और इतना ही नहीं, इसमें यह भी लिखा है कि उचित समय पर वह घर में घुस सकता है आदमियों को लेकर। यह भी नहीं कि निश्चित समय पर। कोई समय निश्चित हो जाता कि फलां फलां समय पर वह जा सकता है, तो भी गनीमत थी, हालांकि मैं समझता हूं कि इस धारा की कोई भी जरूरत नहीं है और न इसकी जरूरत मंत्री जी ने बताई है। मैं चाहता हूं कि जब मंत्री जी बोलने को उठें तो बतलायें कि इस धारा की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत पड़ेगी हाउसिंग कमिश्नर को किसी के घर में घुसने की और उसमें भी लिख दिया गया है कि उचित समय पर। अगर वह रात को १२ बजे घुसना चाहता है तो घुस जाय और इतना ही नहीं श्रीमन्, यह भी लिख नहीं दिया गया है कि सूचना देकर घुसेगा। बिना सूचना के भी १० आदमियों को लेकर घुस सकता है। कोई मजदूर फेमिली के साथ रहता है तो उसके घर में १० लट्ठबन्द आदमियों को लेकरवह घुस जाय। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

जी इस धारा को इस कानून से बिल्कुल निकाल देंगे। वह हमको बतायेंगे कि इसकी क्या जरूरत है। कल जैसा गोदाम के लिये आया था, वह कुछ ठीक भी बैठता था कि वह देखने जायगा कि गोदाम है या नहीं, लेकिन यहां यह धारा क्यों रखी गयी है, मैं समझ नहीं पाया।

श्रीमन्, इसमें एक चीज और है। वह यह कि जब वह नोटिस देगा तो उसको एक महीने के अन्दर मकान को खाली करना होगा। एक महीने का जो समय है वह बहुत कम है, क्योंकि इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि शहरों में मकान की क्या हालत है और कितनी मुश्किल से मकान मिला करता है। एक महीने में किसी को मकान मिल सकना और वह भी एक श्रमिक को, कोई चलता पुरजा आदमी होता तो अपने लिये मकान एलाट करा सकता है, लेकिन एक मजदूर जो बे पढ़ा लिखा है और जिसको खाली अपने कारखाने में जा कर काम करना होता है और काम करने के बाद आकर घर पर अपना जीवन व्यतीत करता है कहीं वह अलौटमेंट के दफ्तर में गया भी। तो कह दिया जायगा कि बाहर ही रहो, वह पहुंच तक नहीं पायेगा, तो अलौटमेंट किसी मकान का किस तरह से मिल सकेगा। इसलिये यह जो अवधि है ३० दिन की वह बहुत कम है और उसको जरूर बढ़ा देना चाहिये। इतना ही नहीं श्रीमन्, हाउसिंग कमिश्नर को यह भी, धारा २१ को अगर आप देखेंगे तो उपधारा (३) में लिखा हुआ है कि कैसे वह नोटिस दे कर उनको हटाने की कोशिश करेगा। उसमें यह लिखा है कि "यदि गृह-आयुक्त इस निर्णय पर पहुंचे कि···

(३) अन्य किसी रीति से, किसी भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट शर्त का उल्लंघन किया है..

स्पष्ट शर्त तो समझ में आती है, लेकिन यह अस्पष्ट क्या होता है यह मंत्री जी के कानून में होगा। हम नहीं समझते हैं कि अस्पष्ट शब्द भी कुछ होता है। तो वह कोई भी शर्त लगा दे कि यह अस्पष्ट शर्त का तुमने उल्लंघन किया है, तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई स्पष्ट शर्त का उल्लंघन किया है तो ठीक है, लेकिन जो शर्त ही अस्पष्ट हो उसका हवाला दे कर अगर हाउसिंग कमिश्नर किसी को बाहर कर दे तो यह कोई जायज बात नहीं मालूम होती। यह तो यह हुआ कि आप हाउसिंग कमिश्नर को हर तरह का अधिकार देना चाहते हैं कि जिस तरह से चाहे मकान से निकाल कर के बाहर कर दे। ऐसा अधिकार मैं समझता हूं कि हाउसिंग कमिश्नर को देना कुछ उचित नहीं मालूम होता है। इस तरह के अधिकार देने से हो सकता है कि उन अधिकारों का दुरुपयोग किया जाय। इसलिये इस तरह की चीज किसी भी विधेयक में नहीं आनी चाहिये। इतना ही नहीं श्रीमन्, इस विधेयक में एक चीज और कही गई है, वह यह है कि कोई मजदूर किसी मकान पर जिसका कि उसको अलाटमेंट न हुआ हो अगर रह रहा हो तो उससे हर्जा वसूल किया जाय। मैं कहता हूं श्रीमन्, कि उससे उसका किराया ले लीजिये। अगर वह मकान खाली रहा है और उसको घर नहीं मिला और वह रह रहा हो तो किराया ले लीजिये, हर्जा न वसूल कीजिये। तो उचित तो यह होता है कि अगर मकान खाली है और वह रह रहा है तो बजाय हर्जा के उससे उसका किराया ले लिया जाय और उसको अलाट कर दिया जाय। न भी अलौट होता है तो यह हर्जा वसूल करना अच्छा नहीं मालूम होता और इतना ही नहीं श्रीमन् यह भी कहा गया है कि अगर कोई आदमी किराया न दे, कुछ शर्तें हैं अगर उसका पालन न करे, ठीक समय पर किराया न दे और नोटिस दिया जाय उसके बाद भी किराया न दे तो किराया दे देने पर भी उसका अलाटमेंट कैन्सिल हो जायगा। ठीक है उसने किराया नहीं दिया, लेकिन अगर वह किराया दे देता है तो अलाटमेंट कैन्सिल कर देना यह तो उचित नहीं मालूम होता। और फिर किराया न देने का प्रश्न ही कहां है, जब आप उस की तन्ख्वाह में से कटवा लेंगे। तो होना तो यह चाहिये कि जो मकान का किराया श्रमिकों से लिया जा रहा है वह उन मिलमालिकों से लेना चाहिये जिनकी मिलों

में वह काम करते हैं। यह कोई नई चीज़ नहीं है। शुगर फ़ैक्ट्रियों में वहां के मिल मालिक मजदूरों को किराया देते हैं तो उनसे लिया जाना चाहिये, क्योंकि काम तो वह करते हैं उनका, उनकी तिजोरी भरते हैं, उनसे वह किराया लिया जाना चाहिये था। लेकिन इस विधेयक में उस मजदूर को ही पीसा गया है और उसी से किराया मांगा जाता है। तो इधर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। और एक बात और कहूं कि सरकार जो मकान बनवा रही है, ठीक है, लेकिन सरकार को इस कानून में एक बात और भी रखनी चाहिये थी, वह यह कि सरकार यह भी रखे कि जो मिलमालिक अपनी मिलों में मजदूरों से काम कराते हैं उन पर भी कानूनन जोर दिया जाय कि वह भी मकान बनवाये अपने मजदूरों के रहने के लिये, क्योंकि सरकार तो खर्च करे ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा वह उठाते हैं। तो उनको भी चाहिये कि उस तरफ ध्यान दें और मजदूरों के लिये मकान बनावें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसमें इसका जो उद्देश्य है उसका तो समर्थन करता हूं, लेकिन जो बिल है वह बहुत त्रुटिपूर्ण है, उस के लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उनको ध्यान में रख कर ठीक करने की कोशिश करें, जिससे इससे ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का फायदा हो सके।

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा इस भवन का और सरकार का ध्यान मजदूरों के रहने की व्यवस्था की तरफ गया है, जो कि हमारी उत्तर प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त सहायता द्वारा करने का प्रयास किया है। हमारे प्रदेश में इन मजदूरों के रहने के मकानों की समस्या की सब से पहली झांकी भारत के प्रधान मन्त्री ने जब वह आज से कुछ वर्ष पहले कानपुर में आये थे तो उन्होंने वहां के स्लम्स को देखकर कहा था कि यह गन्दी बस्तियां तो जला देने के काबिल हैं और तभी से यह बड़ा सवाल हमारी सरकार के सामने आया, भारत की सरकार के सामने आया और यह नयी योजना, गृह निर्माण की योजना हमारे प्रदेश में बनी, चली और भारत सरकार ने उसमें सहायता दी। उसी सहायता के धन द्वारा हमारे प्रदेश ने पिछले तीन वर्षों में बड़ी तेजी के साथ इस कार्य को शुरू किया और प्लानिंग कमिश्नर की ओर से जो भी कागज छपे हैं और भारत सरकार की ओर से जो इस सम्बन्ध में परची निकली है, उनसे यह विदित होता है कि हमारे प्रदेश ने जिस तेजी से इस काम को किया है जब से उसे भारत सरकार से इस सम्बन्ध में धन प्राप्त हुआ है, वह और दूसरे प्रदेश के मुकाबिले में सब से अधिक है। मकान तो बन रहे हैं और बनेंगे भी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन उन मकानों के इन्तजाम के सम्बन्ध में, उन मकानों से किराया वसूली के सम्बन्ध में इस विधेयक द्वारा जो बातें हमारे सामने आयी हैं उनके सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि हम माननीय मंत्री जी से दो चार शब्द कहें। हमारे दोस्त एक बात अभी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें परामर्शदात्री समिति में मजदूरों, मालिकों के एक-एक नुमाइन्दे सिर्फ होंगे और उन्होंने सोचा कि दो बड़े-बड़े जो यहां संगठन हैं मजदूरों के – राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा, इसमें से एक ही तो इसमें रहेगा, दूसरा नहीं रह सकेगा। मैं उनकी इस विचारधारा के विपरीत नहीं हूं कि सभी बड़े मजदूर संगठनों से मजदूर सम्बन्धी बातों में अवश्य राय ली जाय। लेकिन मैं तो एक राय अपनी माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि जब परामर्शदात्री समिति में मजदूरों के नुमाइन्दों को रखने की बात करें तो जितनी जगहों पर यह कालोनीज़ बन रही हैं, उनमें जो मजदूर रहते हैं, उन मजदूरों के प्रतिनिधियों को वह उनकी अपनी अपनी कालोनीज़ से नामिनेट कराके मांगे और उस पेनेल में से एक को रखें ताकि जो लोग उन बस्तियों में, उन कालोनीज़ में रहते हैं और जो कि उनकी समस्याओं को कहीं अच्छी तरह जानते हैं उन्हीं के बीच रहने की वजह से, उनके द्वारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

उनका प्रतिनिधित्व हो सके। बजाय इसके कि हम नेता लोगों के द्वारा उनका प्रतिनिधित्व हो जो कि उन मकानों की समस्याओं से उतने विज्ञ नहीं रहते हैं, जितने कि वह लोग जो कि उन्हीं कालोनीज में स्वयं रहते हैं। तो स्वयं उन मजदूरों के उन प्रतिनिधियों द्वारा जो उन कालोनीज में स्वयं रहते हैं सरकार के सामने बात आवे तो ज्यादा अच्छा होगा। उस में न हिन्द मजदूर सभा का सवाल होना चाहिये, न राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का और न आई० एन० टी० यू० सी० का। इसमें मैं बिलकुल अपने मित्र के साथ सहमत हूं कि उनका एक-एक प्रतिनिधि हो। लेकिन मैं निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस परामर्शदात्री समिति में, जो उन मकानों में रहते हैं उन्हीं में से किसी उनके प्रतिनिधि को परामर्श देने के लिये भेजें, तो ज्यादा मुनासिब होगा। हां, मालिकों का एक नुमाइन्दा जरूर रहे, क्योंकि मालिकों की एजेंसी से आप को किराया वसूल करवाना है। आप अपने इस विधेयक के अनुसार यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि मजदूरों की जो उस फार्म में दस्तखत बना देवें, उनकी तनख्वाहों में से मालिक पैसा काट कर आप को दे सकता है। तो चूंकि वह भी एक सिलसिले से आता है, एक काम में आता है तो एक नुमाइन्दा तो मालिकों का और बाक़ी उसमें जितने नुमाइंदे हैं वह उस आवास के सम्बन्ध में जो गैरसरकारी नुमाइन्दे जितने भी हों, वह लोग होने चाहिये जोकि उस पेनेल में से छांटे जायं, जो सरकार के पास आवे उन लोगों के जरिये, जो कि उन मकानों में रहते हैं। एक तरह के वे टेनेंट्स हैं सरकार के। उनकी एसोसिएशंस, जो अपनी उस बस्ती के डेवलपमेंट के लिये, बेहतरी के लिये जो वह संगठन कायम करें उस से या उन लोगों से जो उस बस्ती में रहते हैं, जो नुमाइन्दे आवें २०–२५, शहरों में जहां मकान बनने वाले हैं उसमें से ४– ५– ६ नाम छांट लीजिये और उन्हीं लोगों को उस परामर्शदात्री समिति में बैठावें, ताकि वह आप को अपनी दुःख-सुख की कहानी सही-सही बता सकें और वह परामर्श दिया करें जिससे उनके दुःख दूर हो सकें।

मेरे पूर्व वक्ता मित्र ने सरकार का ध्यान एक बात पर अवश्य दिलाया और मैं उसमें उनसे बिलकुल सहमत हूं। उन्होंने सरकार का ध्यान उन मजदूरों की ओर दिलाया जो कभी-कभी अपने मालिकों के निकाले जाने के कारण बेकार हो जाते हैं। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो सरकार की अनुमति से छांटे जाते हैं। तो जब उनको अनुमति सरकार की या सरकार के किसी ऐडजुडिकेटर, या बोर्ड या उन अधिकारियों द्वारा मिल जाती है जो सरकार द्वारा इस काम के लिये नियुक्त हैं तब तो आप उनको उन मकानों में न रहने दें, लेकिन जब तक उनका मामला संबंधित अदालत में आ गया है या आ सकता है या आनेवाला है, उस को भी आपने स्वयं निश्चित किया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के धाराओं के तहत में, तब तक उनको वहां से न हटाया जाय। क्योंकि एक तो वह बेकार है और उस के साथ-साथ अगर वह बेघर भी हो गया तो यह जरा ज्यादती हो जायगी और वह अपने मामले में ठीक तरह से नहीं लड़ पावेंगे। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है जिसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि इन मकानों में कौन रह सकते हैं? वह मजदूर डिफाइंड है जो कि फैक्ट्री ऐक्ट की धाराओं के अनुकूल उस की परिभाषा में, जो दे रखा है, उसमें आते हैं। कुछ इसमें दुश्वारी भी है, क्योंकि भारतीय सरकार ने अपना रुपया देने के साथ-साथ जो शर्तें लगायी हैं उनमें से जहां तक मेरी जानकारी है, एक शर्त यह भी है कि यह क्वार्टर्स सिर्फ उन्हीं मजदूरों को दिये जायं जो कि फ़ैक्टरी ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत मजदूर कहलाने के हकदार हों। लेकिन इससे एक बड़ी विषम समस्या उपस्थित हो रही है, जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप उस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई ऐसी राय निकाल सकेंगे, जिससे वह दुःख दूर हो जाय। उदाहरण ले लीजिये, बिजली घरों का। कानपुर एलेक्ट्रिसिटी में रिवरसाईड हाउस पर वह ऐक्ट लगता है, केसा पावर हाउस पर नहीं लगता है, वहां शाप्स ऐण्ड कामर्शियल इस्टैब्लिसमेन्ट ऐक्ट लगता है।

उसी तरह से एलेक्ट्रिसिटी हाउस में आप का शाप एंड कामर्शियल ऐक्ट लगता है, फैक्ट्री ऐक्ट नहीं लगता। एक ही इस्टेब्लिशमेंट में रहने वाले भिन्न-भिन्न किस्म के काम करने वालों पर भिन्न-भिन्न किस्म के कानून लगाये और कुछ तो इस्टैब्लिशमेंट के लोग उसमें आजायं और कुछ न आवें, यह बड़ी विवादग्रस्त बात होगी। निस्संदेह मजदूरों को उसमें असंतोष होगा और सरकार का मकसद भी उस सम्बन्ध में ज्यादा पूरा न होगा। क्योंकि जहां तक म समझता हूं सरकार ने तो सिर्फ यह चाहा है कि मजदूरों और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मुनासिब ढंग से मकान मिल जांय। फैक्ट्री ऐक्ट के अंतर्गत जो मजदूर आते हैं सिर्फ उनको मिलें, यह उसकी सीमा को बहुत कम कर देता है और मुझे आशा है कि इस सीमा को बढ़ाने का प्रयास हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी।

मैं जानता हूं और इस विधेयक के सम्बंध में पहले ही कह चुका हूं कि यह आवश्यक था। यदि हमें मकानों का नियत्रंण करना है, मकानों को बांटना है तो उसकी व्यवस्था करनी थी, लेकिन यह कहूंगा कि जहां कहीं भी मकान बने हैं और जैसे वह आज हैं और चल रहे हैं तो निस्संदेह यह सरकार का बहुत बड़ा ट्रस्ट है कि जहां एक तरफ सरकार अपनी तरफ से कहती है कि तुम इन मकानों में इस तरह से रहोगे तो वह भी मकानों को ऐसे ढंग से रखेगी कि उनकी दीवारों और छतों से पानी नीचे न आवे। आप ऐशबाग में चले जांय। मैं माननीय मंत्री जी से निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऐशबाग चले जाइये, वहां आपकी हाउसिंग कालोनी बनी हुई है। अभी दो बरसात भी तो नहीं हुए। आपका कसूर नहीं है, बहुत पहले शायद वे बन गए थे, हमारे लेबर डिपार्टमेंट का भी कसूर नहीं है, क्योंकि उसने बनवाया नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी बनाया, यह मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उसकी छतों में इस कदर पानी और सीलन है कि गंध के मारे बड़ी परेशानी है। उन मकानों का रख-रखाव बहुत तेजी से करना होगा। दीवार को अगर आप अगूठा लगा दीजिए तो मालूम होता है कि सिमेंट और बालू का रिस्ता १:१२ और १:२५ का है, १:४ और १:६ का तो कहीं नाम नहीं है। कहीं उंगली लगा दीजिये तो ऐसी भरभरा कर बालू गिरती है कि मालूम होता है कि सिमेंट का कहीं नाम ही नहीं है।

(इस समय ४ बजे श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

डंडा लेकर उसमें घुसने की बात नहीं है जिसकी जगन्नाथ जी को बहुत परेशानी है। क्या करेंगे डंडा लेकर। हां, आप अपनी तरफ से बंदिश लगाइये, हम मंजूर करते हैं, लेकिन यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि उन्हें स्लम्स से निकाल कर बेहतर जगह पर रखिये। ऐसा आप कर भी रहे हैं, लेकिन आप जो मकान बनवायें वे जरा ठीक बन हों और इस काबिल हों कि उनमें रहने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। मैं ऐशबाग का ही दूसरा उदाहरण देता हूं। वहां उस कालोनी के बिलकुल ठीक सामने स्लाटर हाउस है। वहां गर्मी में आप चले जाइये। मैंने लिखा-पढ़ी भी जून, १९५४ में इस सम्बन्ध में सरकार से की, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट ने कहा कि यह तो म्युनिसिपैलिटी का काम है। वहां इस कदर मक्खियां पैदा होती हैं कि अगर आप वहां किसी मजदूर के घर में मई और जून के महीने में आध घंटे बैठ जायं और अब चूंकि अली जहीर साहब ने इस विभाग को ले लिया है, शायद उनको वहां जाना आना पड़े और उनकी कांस्टीटुएंसी भी उधर ही पड़ती है उस सम्बन्ध में जाना आना तो रहता ही होगा, तो मैं वहां किसी से कहने वाला हूं कि एक दिन वह उनको दावत दें, २० मिनट किसी के कमरे में बैठने की। मक्खियां तो इतनी हैं कि उनकी एक चादर सी बिछ जाती है। यह मकान की गंदगी की वजह से नहीं है बल्कि स्लाटर हाउस की तरफ से इतनी मक्खियों का दल आता है जिसकी वजह से यह होता है। तो यह स्लाटर हाउस हटना चाहिये। और अब चूंकि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट भी आपके अन्तर्गत है और हाउसिंग भी आपके अन्डर आ गया है, इसलिये अब कोई ऐसी दिक्कत की बात भी नहीं रहेगी। आप जितना नियत्रंण करना चाहें वह तो ठीक है, लेकिन जो मैंने मुख्य

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

बात कही कि आप ऐसी स्थिति न पैदा करें कि गन्दे मकानों में मजदूरों को रहना पड़े। उनके स्वास्थ्य की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी एक तरह से जब आपके ऊपर आगई है तो आपको इस ओर पूरा ध्यान देना होगा।

मैं मंत्री जी को और इस सरकार को जहां इस बात का मुबारकबाद देता हूं कि इतना बड़ा काम उन्होंने अपने कन्धों पर उठाया है वहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं। चीनी मिलों के मोलैसेज के सम्बन्ध में जो पैसा इकट्ठा हुआ था उससे सरकार के सामने चीनी मिल के मजदूरों के लिये घर बनवाने की एक योजना है। मैं चाहता था कि इसी बिल के साथ-साथ उसके लिये भी कुछ हो जाय, तो बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर किसी तरह से एक ही में न हो तब भी एक ही विभाग के अन्तर्गत दोनों काम कर दिये जायं ताकि अलग-अलग मालिक न हों। चूंकि चीनी मिल मजदूरों के लिये मकान बनवाना उतना ही आवश्यक है जितना बिजली घर और कपड़ा मिल के मजदूरों के लिये। तो अगर तरह-तरह के लोग इस सम्बन्ध में मालिक हों तो उनकी कुछ राय हो और उनकी कुछ, तो यह ठीक नहीं होगा। इस बिल में मैंने इस बात को भी नहीं देखा। यह शायद इसलिये नहीं हुआ है कि सरकार उस काम को कर नहीं सकती थी, क्योंकि यह भी शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया का आदेश था कि इसके लिये एक अलग ऐक्ट बने। बहरहाल, अगर ऐसा न हो तो इसको उसमें मिलाना जरूर चाहिये।

मैं एक बात मंत्री जी से जरूर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के मकानों को देख कर हमारे प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इनको जला दो, उन लोगों को उन मकानों में आने की गुंजायश नहीं है, जिनके लिये आप बना रहे हैं क्योंकि साफ बात किराये की है। किराये के लिये यह है कि हमारे यहां जो मिनिमम वेजेज होती हैं तो उसके लिये ऐडजुडीकेटर बैठता है तो वह २६ रुपये महीने ज्यादा नहीं रखता है, इसमें किराया रखता है मकान का, जिसके बेसिस पर वह २६ रुपये मिनिमम वेजेज बनाता है, उसमें सवा रुपये से ज्यादा नहीं आता है और जब तक कि उसके साथ महंगाई का भत्ता भी मिला हो। वह किसी भी हालत में मकानों की वजह से आप देखें साढ़े तीन रुपये या पौने चार रुपये से ज्यादा नहीं आता है। ऐसी हालत में आप मकान के लिये निम्बकर कमेटी की सिफारिश के मुताबिक अपने विभाग के हुक्मनामें के मुताबिक जो इंटर नेशनल आर्गेनाइजेशन के आधार पर है, उसके अनुसार जो रखा है तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहा जाय कि यह जो आप ने बतलाया है कि इतना रुपया जरूरी है, मजदूरों से तो यह कंट्राडिक्टरी आफ टर्म्स है। इसलिये या तो आप उनकी तनख्वाह में रुपया बढ़ा दें, जितना रुपया आप किराया का उनसे लेंगे वरना जो सरकारी कर्मचारियों के लिये कानून लागू है उस हिसाब से ले लीजिये। वह शायद तनख्वाह का दस प्रतिशत लगता है। मुझ से भी यानी मजदूरों से भी वही ले लीजिये, तो इस प्रकार से २६ रुपये पर दस प्रतिशत कितना हुआ। दो रुपया आठ आना हुआ, आप मुझसे साढ़े सात रुपये ज्यादा लेते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मजदूरों के वहन करने की शक्ति के बाहर है, जिनकी भलाई के लिये आप यह मकान बना रहे हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका नतीजा यह होता है वाइड कौलर वर्कर २५०–३०० से कम पाने वाला कोई भी आदमी वहां नहीं जा रहा है। वह इससे पहले भी नहीं रहता था और इसके बाद भी नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ एक कोठरी मिलती है, इसलिये वह वहां क्यों जाय। हां, इतना जरूर है कि पलश की सुविधा है, दूसरे खुली आबोहवा है, तीसरे वहां लेबर वैलफेयर सेंटर्स होंगे। मुझे अभी ठीक मालूम नहीं है कि वहां हैं या नहीं, लेकिन सब जगह यह सेंटर्स खुलने चाहिये और जरूर खुलेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन

इस घिरे हुये तबके के लोगों की भलाई का जो तजकिरा चला और उनके नाम से यह काम चला और उनके नाम से ही ये मकान बने हैं, तो उनको इससे कोई लाभ नहीं हुआ।

अब किराये के लिये अगर हम माननीय अली जहीर साहब से कहेंगे तो वह यही कहेंगे कि क्या करें यह रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है और उसका इतना सूद हमें देना पड़ता है। आप सारा हिसाब जोड़ लें। इससे कम हो ही नहीं सकता है, वही नतीजा निकलेगा तो फिर यह होना चाहिये कि आप इस मिल के अन्तर्गत सब्सीडाइज करायें, उसके इम्पलौयर्स से या कोई दूसरा कानून बनायें और किसी तरह से ऐसा करें कि वह सब्सीडाइज हो जाय या ऐसा करें कि उनकी तनख्वाह तो आप के हाथ में है। बैठ जाइये और गवर्नमेंट के आदमी तय कर दें और उनका वेतन-क्रम ऊंचा कर दें। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। अगर हमें दिक्कत है तो फिर इन बेचारे गरीब मजदूरों को कोई फायदा नहीं हो सकता है। हां, यह जरूरी है कि कुछ मजदूरों को इससे लाभ हो गया है और जिनको इससे लाभ हुआ है और जो लोग उन मकानों में रह रहे हैं वह भी मजदूर ही हैं। लेकिन जिस तबके के लिये, जिन मजदूरों की बेहबूदी के लिये स्वप्न इन मकानों के निर्माण के साथ-साथ देखे थे, वे पूरे होने वाले नहीं हैं।

अब मैं अन्त में सरकार के उन सब लोगों को, जिन्होंने इस योजना को कार्यरूप में परिणत करने में ध्यान दिया, इस योजना को बनाया और चलाया, मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिये भारत सरकार से लड़ा जाय और चोटी तक लड़ा जाय और हमारा सरकार से लड़ने से मेरा ख्याल है कि अपने देश के सारे प्रान्तों का भला होगा, क्योंकि उन सबकी इच्छा और धारणा हमेशा इसके अनुकूल रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सब लोग हमारे साथ होंगे। अन्त में मेरा कहना यह है कि मजदूरों पर आप उतना ही वजन डालिये जितना कि वह सह सकें। इन शब्दों के साथ में पुरजोर सिफारिश करता हूं कि इसकी परामर्शदात्री समिति में वही लोग रखे जायं जो स्वयं या तो मजदूर हैं या स्वयं टेनेण्ट हैं। मुझे उस में जाने की जरूरत नहीं है कि मैं आई० एन० टी० यू० सी० का आदमी हूं, आप मुझको उसमें न रखें। आप दूसरे आदमियों को उसमें रखें। हमारे लोग परामर्शदात्री समिति में जा कर क्या करेंगे। वह भी लोग उसमें आवें जो एक्चुअली टेनेण्ट हों। एक तरफ तो आप नामिनी रख रहे हैं जो कि टेनेण्ट एसोसियेशन का हो, तो मैं समझता हूं कि टेनेण्ट इन जनरल भी उसमें होना चाहिये। जो भी आप रखें आप उन टेनेन्ट्स के आदमियों को ही रखें। नानआफिशियल सभी वह लोग हों। जितने भी आदमी आप रख सकें २, ३, ४, ६ उनके ही आदमी रखें और इन ७ के बजाय ११ आदमी उसमें कर सकें तो बहुत अच्छा है, ताकि हरएक मजदूरवर्ग का आदमी उसमें आ सके। मालिकों का एक ही आदमी उसमें रहे। उनको रुपया किस तरह से वसूल हो, इसका परामर्श नहीं देना है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को इस बिल को इस सदन में लाने के लिये मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस बिल के पास हो जाने के बाद जो मजदूरों को अब तकलीफ हो रही है वह दूर हो सकेगी, यदि इस बिल के अन्दर उन सब बातों का समावेश किया जा सके जिसके सम्बन्ध में २, ४ बातें मैंने कही हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश औद्योगिक-गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४, जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इसके उद्देश्य हैं भारत सरकार की राज्य सहायता प्राप्त इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अधीन राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के लिये निर्मित गृहों के प्रशासन, नियंत्रण, प्रदेशना, मरम्मत, किराया वसूली और अन्य सम्बद्ध मामलों के लिये प्रबन्ध करना। इस विधेयक द्वारा इन्हीं विषयों की व्यवस्था की गयी है।

हमारी सरकार का ध्यान मजदूरों के लिये गृह बनाने की ओर गया, यह बड़ी खुशी की बात है। जो कुछ त्रुटियां उस स्कीम के अन्दर हैं या जिनकी वजह से उसका पूरा लाभ

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

श्रमिकों को नहीं पहुंचता या श्रमिक नहीं उठा सकते उसकी चर्चा अभी बहुगुणा जी ने की थी और उसके ऊपर काफी प्रकाश डाला है। मैं एक दूसरी बात की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बिल केवल इसलिये लाया गया है कि जो मकान बन रहे हैं या बन चुके हैं उनके अलाटमेंट, उनके मैनेजमेंट की व्यवस्था कैसे हो। मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह कुछ एक तरफा सा बिल है। सरकार समझती है कि वह अपना कार्य मकान बनाकर सम्पादन कर चुकी और अब जितना भी उत्तरदायित्व है, जितनी भी जिम्मेदारी है वह मजदूरों के ऊपर है। परामर्शदात्री समिति के अधिकारों के बारे इसमें में कुछ भी नहीं है। इसमें ज्यादातर इस बात का प्रबन्ध हैं कि किस तरह से अलाटमेंट होगा। जो अलाटमेंट की शर्त है उसकी अगर कोई खिलाफ वरजी करेगा तो उसको क्या सजा मिल सकती है। मैंने जब इस बिल को पढ़ा तो मुझे वाकई बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से प्रबन्ध को करने के लिये, कुछ हजार मकानों के मैनेजमेंट के लिये हमको इतने अधिकार आपने हाथ में लेने की आवश्यकता पड़ी। केवल यही नहीं, इसमें कुछ विषयों में तो हमने कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को भी आउस्ट कर दिया। जो बातें सिविल कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो सकती हैं, वह एक अधिकारी की आज्ञा से इसके द्वारा तय किया जायगा। इसमें हमने पहला अधिकार यह लिया है कि जो अनधिकृत अध्यासन या अध्यासन की शर्तों का उल्लंघन करता है उसे बलपूर्वक मकान से निकाला जा सकता है। यह सेक्शन २१ में दिया हुआ है। मालगुजारी की तरह उससे किराया वसूल किया जा सकता है? उसे यह भी हुक्म दिया जा सकता है कि वह धारा २३ के अन्तर्गत हर्जाना दे। यहीं तक नहीं इन शर्तों का उल्लंघन करने पर ६ मास का कारावास और हजार रुपये जुर्माने तक की सजा उसको हो सकेगी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब पावर्स लेने की क्या जरूरत है। साधारणतः हम देखते हैं कि प्राइवेट मकान बनाने वाले भी तो अपना काम चलाते हैं। वहां किरायेदारों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये गए हैं। अगर कोई प्राइवेट मकान मालिक अपने घर में से किसी को निकालना चाहे तो पहले उसे कलेक्टर की आज्ञा लेनी होगी। फिर उसकी अपील कमिश्नर और गवर्नमेंट को हो सकती है और तब कहीं उसे सिविल कोर्ट्स में भी जाना होगा। इस प्रकार से ३–४ वर्ष तक वह भटकता फिरेगा। यहां इसके विपरीत हर एक अधिकार लैन्डलार्ड यानी गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। वह अध्यासी को निकाल सकती है, जुरमाना कर सकती है, हर्जाना ले सकती है और अन्त में उसका प्रासीक्यूशन भी करा सकती है। मुझे इसका कोई औचित्य नहीं मालूम पड़ता है। मैं समझता हूं कि २,४ हजार मकान तो मजदूरों के कानपुर में प्राइवेट सैक्टर के भी बने हैं, उन मिलमालिकों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट को, जिसके पास पुलिस और रुपया और सब प्रकार के साधन मौजद हैं। उसे ये सब पावर्स की क्या आवश्यकता पड़ी? ऐसे अधिकार अभी तक किसी के भी पास नहीं हैं। हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और करते चले जावेंगे, अगर उनमें इस प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता गया तो हमारा विधान और डिमोक्रेसी एक कागज की चीज रह जायगी। मैं पूरे जोर के साथ मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आखिर हम किधर जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके दिमाग में एक ही चीज है कि शायद स्ट्राइक हो जाय तो उस समय उन्हें ज्यादा से ज्यादा पावर्स की जरूरत होगी। लेकिन उसके लिये फोर्सीबिल इजैक्टमेंट की पावर उनके पास काफी है और जैसे वे मिलों से लोगों को हटा सकते हैं उसी तरह से ३० दिन के बाद मकानों में भी कर सकते हैं। मुझे बड़ा अचम्भा है कि ऐसे बिल में कारावास का दंड तक रखा जाय और भी ऐसी कई बातें हैं जिनके लिये आगे संशोधन आवेंगे कि इस प्रकार की सजायें किसी को नहीं दी जावें। एक तरफ गरीब मजदूर और दूसरी तरफ शक्ति से सम्पन्न सरकार दोनों में बड़ा अन्तर है। सरकार साधारण तरीकों से भी अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है। फिर ये अधिकार, जो हमारे विधान के खिलाफ हैं, क्यों ले रही है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखकर, इसमें शक नहीं कि सब लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। इसमें जो

जिक्र है गृह निर्माण की प्रगति का, वह कैसे हो, यह मजदूरों के लिये लाभकारी और हितकर कैसे हो, इन बातों पर व्यवस्था करने के लिये यह विधेयक है। यदि हम भारतीय सरकार द्वारा जो हाउसिंग स्कीम चलाई जा रही है उस पर विचार करें और उसके आंकड़ों को देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार मजदूरों के हित के साथ किस प्रकार से खेल कर रही है। तीन दौर में भारतीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को इस हाउसिंग स्कीम के अन्दर सहायता प्रदान की है। पहली बार २७७६ क्वार्टर्स बनाने के लिये ७५ लाख रुपया नियत किया गया, जिसमें २२१६ क्वार्टर्स कानपुर में बने और ७ लाख रुपया खर्च हुआ और ५०७ क्वार्टर्स लखनऊ में बने, जिनमें १५ लाख रुपया लगा। फिर दूसरे दौर में ३७५० क्वार्टर्स कानपुर में हों और १ लाख से ऊपर रुपया स्वीकार किया गया मगर राज्य सरकार ने कानपुर में मजदूरों के लिये मकान की समुचित व्यवस्था करने में सारा का सारा रुपया खर्च करना उचित नहीं समझा। उसमें से राज्य सरकार ने २५ लाख ६५ हजार रुपया विभिन्न म्युनिसिपल बोर्डों को मेहतरों के क्वार्टर बनाने के लिये दिया। शेष रुपया जो ७५ लाख था उससे कानपुर में २८०० क्वार्टर्स का निर्माण-कार्य आरम्भ हुआ जिस में से जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार की ओर से इसका अब तक कोई समुचित उत्तर मिलना चाहिये था कि जब यह बिल सदन में रखा गया है कि वह २८०० क्वार्टर्स अभी बने हैं या नहीं। मैं सदन को अपनी जानकारी के आधार पर बता दूं कि इन २८०० क्वार्टर्स का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है केवल १३०० बन चुके थे, और बाकी १५०० जिन के बारे में कहा जाता था कि वह फरवरी ५५ तक बन कर तैयार हो जायेंगे उन का क्या हुआ। हम यह जानने का पूरा हक रखते हैं कि सरकार अपनी तरफ से सदन में बताये कि जिन १५०० क्वार्टर्स के जनवरी, फरवरी या मार्च तक बन जाने की बात थी वह अभी बने या नहीं। उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकार की गतिविधि पर आपत्ति प्रकट की और उन्होंने कहा कि यह जो करीब २५।। लाख रुपया विभिन्न म्युनिसिपैलिटियों को सरकार ने दिया है बिना हमारी पूर्व अनुमति के, यह अनुचित है और उसको न देना चाहिये था। तो श्रीमन्, आप देखें कि अब जो रुपया विभिन्न म्युनिसिपैलिटियों को देने की बात सरकार की ओर से हुई वह रुपया भी मजदूरों के क्वार्टर्स में प्रादेशिक सरकार को लगाना पड़ा और बाध्य होना पड़ा और उस से ९५० और क्वार्टर्स बनाने की स्कीम है, वह भी अब तक बने या नहीं, सरकार की ओर से कोई भी उत्तर या कोई भी आंकड़े सदन के सम्मुख नहीं रखे गये। तो अब माननीय सदन और आप पर व्यक्त हो चुका होगा कि जब ९५० क्वार्टर्स २५।। लाख रुपये से फिर से बनाने की बात आयी तो जिस तरह से इस सरकार की प्रगति होती है, इस में शक नहीं कि वह बदलनी चाहिये, लेकिन शायद अभी वह क्वार्टर्स बन नहीं पाये हैं क्योंकि मेरी जहां तक जानकारी है ऐसी बात कही जाती रही है कि मार्च या अप्रैल तक वे क्वार्टर्स बन जायेंगे। यह दूसरे दौर की बात हुई।

तीसरे दौर में केंद्रीय सरकार से प्रादेशिक सरकार ने और सहायता प्राप्त की। १ करोड़ ९९ लाख ८० हजार रुपये की लागत पर ७४०० क्वार्टर्स बनाने की वह स्कीम थी। इस रुपये में भी आधा रुपया ऋण के रूप में था और आधा सहायता के रूप में। इसके लिये जिस तरह से विभाजन किया गया था वह कानपुर में ३४००, आगरा में १२९६, फिरोजाबाद १,०००, सहारनपुर में ६०४, इलाहाबाद में ५०४, बनारस में ५०० और मिर्जापुर में ९६ क्वार्टर्स बनाने की बात थी। इस तरह से ७४०० क्वार्टर्स बनाने की योजना औद्योगिक मजदूरों के लिये थी और उन तमाम क्वार्टर्स के लिये केंद्रीय सरकार से १ करोड़ ९९ लाख ८० हजार रुपया स्वीकृत हुआ था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन में से कितने क्वार्टर्स कहां बने? बनारस में, इलाहाबाद में, कानपुर में, फिरोजाबाद में, सहारनपुर में और मिर्जापुर में कितने क्वार्टर्स कहां-कहां बने? आज तक यह सरकार उस रुपये को क्यों व्यय न कर सकी? क्या यह सरकार समझती है कि मजदूरों की दशा सुधर गई है और मजदूरों के निवास स्थान का समुचित बन्दोबस्त हो चुका है और वह अब ठीक तरह से संतुष्ट हो कर अपने काम पर जा सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है इतने दिनों तक सुषुप्तावस्था में बैठने वाली यह सरकार इस बिल के द्वारा कौन सी और पावर्स

[श्री राजनारायण]

लेना चाहती है। उस पर मैं एक-एक धारा को आपके द्वारा इस सदन के सामने प्रस्तुत करते हुये एक विशद व्याख्या करूंगा। श्रीमन्, अभी चौथा दौर बाकी है। इसमें भी प्रांतीय सरकार ने केंद्रीय सरकार से ७४ सौ क्वार्टर्स के लिये २ करोड़ रुपये की मांग की है। पहले के रुपये की खपत हुई या नहीं, जो केंद्रीय सरकार ने पहले प्रांतीय सरकार को दिया था उसको ठीक तरह से खर्च किया या नहीं? जैसा आप श्रीमन्, देखेंगे कि साढ़े पचीस लाख रुपया केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त हुआ, इस सरकार ने उसे विभिन्न म्युनिसिपैलिटियों को देने की व्यवस्था की थी। हमारी सरकार के पास अपार धन है। इस प्रांतीय सरकार का ९१ करोड़ का बजट है।

श्रीमन्, आप जानते हैं जब अपने प्रदेश में साम्राज्यशाही हुकूमत का पंजा गरीबों के कमर में गड़ा हुआ था उस समय ३० करोड़ से अधिक रुपया कभी इस प्रदेश की सरकार को अपने प्रशासन को चलाने के लिये नहीं मिला, लेकिन आज ९१ करोड़ रुपये उसको इस प्रदेश के शासन पर खर्च करने के लिये मिल रहे हैं, मिल क्यों रहे हैं? यह सरकार ले रही है। आप सन् १९३६ के बजट को देखें तो केवल १२ करोड़ का बजट है, लेकिन जब माननीय गोविन्दबल्लभ पंत की दूसरी बार हुकूमत सन् १९४६ में आयी थी उस समय ३० करोड़ का बजट था। इधर तीन सालों में मई सन् १९५२ से जब से यह प्रादेशिक सरकार काम कर रही है तब से गरीबों पर कर का बोझ बढ़ता जा रहा है और बजट भागता चला जा रहा है। पहले ६५ करोड़, फिर ७८ करोड़ और ८१ करोड़ और फिर चौथे में ९१ करोड़ का बजट पेश हुआ और उसमें से मेहतरों के क्वार्टर्स के लिये रुपया नहीं निकाला जा सका। क्यों? यह बहुत आसानी से हो सकता था, यदि इस सरकार का ध्यान उस ओर गया होता। परन्तु यह सरकार शीर्षासन कर रही है, सिर के बल चल रही है और सिर के बल चलने से जनहित और जनोत्थान का काम चला लेना असम्भव है। श्रीमन्, यह जो दो करोड़ रुपये की मांग की गई है इसके लिये एक बड़ा व्योरा सरकार की ओर से दिया गया है। कानपुर में ६ हजार क्वार्टर्स बनाये जायेंगे, लखनऊ में ५०७, बरेली में १०८, बदायूं में ९६, मुरादाबाद में २१६, अलीगढ़ में १०८, बनारस में २०४ और रामपुर में १०८ क्वार्टर्स बनाये जायेंगे। यह स्कीम आगे की है, मगर जैसा कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा है कि यह बात निर्विवाद है कि इस सरकार ने मजदूरों के हित के साथ खेल किया है और कर रही है। यह जनता की सरकार है और सरकारी खजाना राष्ट्रीय धन है, किसी एक व्यक्ति का धन नहीं है। तो जो मकान कोई व्यक्ति निजी ढंग से बनाता है उसके किरायेदारों के लिये जो व्यवस्था यह सरकार देना चाहती है वही सुविधायें सरकारी मकानों में उन मजदूरों के लिये आज देने को तैयार नहीं है, जिन मजदूरों की कमाई पर आज हम सब पले हुये हैं। श्रीमन्, आज आप देखेंगे कि वह मकान जो निजी मालिकों के हैं उनके किराये को किस तरह से कंट्रोल किया गया है, उसके किराये को बढ़ाने नहीं दिया गया है और उनके किरायेदारों को निकालने में कितनी कठिनाइयां मकान मालिकों को हैं, मगर जो कि जनता के मकान हैं जो जनता के पैसे से बनाये जा रहे हैं, जो जनता के लाभ के लिये हैं उन पर पग-पग पर प्रतिबन्ध है, पग-पग पर दिक्कत और कठिनाई है। उनका किराया नियत करने का क्या आधार होगा, बेदखल करने का आधार क्या होगा? इन तमाम बातों को ऐसा केंद्रित किया गया है सरकारी हाथों में कि सरकार जिस तरह से चाहे उस तरह से मजदूरों के हकों पर कुठाराघात करे, जिस तरह से चाहे मजदूरों को बाध्य करे और बाध्य करके जिस तरह से चाहे मिलमालिकों की इच्छा शक्ति पर घुटने टेकने के लिये मजबूर करे। जो विधेयक सरकार प्रस्तुत कर रही है, उसके उद्देश्य और कारण अच्छे हैं, शुभ हैं और होने चाहिये। लेकिन उनकी प्राप्ति के लिये जिस तरह से सरकार विधेयक सदन में प्रस्तुत कर रही है वह बिलकुल नाकाफी है, अनुचित ढंग का है और ठीक मात्रा में, समुचित मात्रा में मजदूरों के लिये इसका लाभप्रद होना असंभव है। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब, जिनकी मैं बड़ी कद्र करता हूं और जिनका बड़ा सरल स्वभाव है, वही केवल इस वक्त यहां बैठे हुये हैं और जो मंत्रीगण हैं उनमें से कोई सदन में प्रस्तुत नहीं हैं। इतना बड़ा विधेयक और जिन तमाम उत्तर देने की जिम्मेदारी है वे यहां से गायब हैं।

अधिष्ठाता---उप-मंत्री बैठे हुये हैं।

श्री राजनारायण---हां, उपमंत्री जी बैठे हुये हैं, लेकिन उनको कैबिनेट में स्थान नहीं दिया जाता। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को कैबिनेट में इंक्लूड नहीं किया जाता। कैबिनेट की जो ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी है वह मंत्रियों पर आती है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे सामने डिप्टी मिनिस्टर साहब बैठे हुये हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से उनकी बड़ी कद्र करता हूं। मैं समझता हूं कि वे समस्याओं के समाधान के लिये बड़ी दिलचस्पी और गहराई के साथ अध्ययन करते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुये होते हैं। काजल की कोठरी में कैसेहु सयानो जाय--उसके काजल की लीक लग ही जाती है। आज तो कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्यों पर वह लीक लग रही है चाहे वह कितने ही प्रतिभाशाली हों या विद्या विशारद हों। काजल की लीक तो उनके नहीं लगी हुई है बल्कि आज तो काली कूंची ले कर वे सारे शरीर को कालिमामय बना रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जो मजदूरों से काम लेते हैं और मजदूरों की दिक्कत को अच्छी तरह से जानते हैं। आज वही इस समय चेयरमैन के पद पर विराजमान हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय को इन बातों की जानकारी होगी। मजदूरों का जीवन निर्वाह कैसे होता है। सारे जीवन वे काम करते हैं और अपना शरीर ढकने को वे कपड़ा नहीं पाते और उनकी जिन्दगी कराहते-कराहते व्यतीत हो जाती है। अब देखा जाय कि इतना रुपया जो केंद्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा है, इस रुपये से जो भवन निर्माण होंगे, जो क्वार्टर्स बनेंगे इंडस्ट्रियल मजदूरों को रखने के लिये उसमें मजदूरों के ऊपर क्या आफत आ रही है। एक-एक करके देखा जाय तो पहले तो एक परामर्शदात्री समिति सरकार निर्माण करने जा रही है। क्लाज ८ के मातहत जो कानून मजदूरों के हित के लिये बनाया जा रहा है उसमें परामर्शदात्री समिति में मजदूरों के हित की रक्षा के लिये कितने प्रतिशत आदमी रक्खे गये हैं। मजदूरों के हित की हिफाजत कौन करेगा। इस बात में लोग किसी कंफ्यूजन या बुद्धि विभ्रम में न रहें। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो कहा था कि मजदूरों की जो दो संस्थायें हैं उनके प्रतिनिधि भी रहें। ऐसा कहने से उनकी ऐसी कोई इच्छा न रही होगी कि मजदूरों की दो संस्थायें हैं उनके प्रतिनिधि मजदूरों के हित को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे या वे व्यक्ति विशेष को ले जाने के लिये लालायित होंगे। मैं उनकी जो इच्छा रही होगी और जो मैं समझ पा रहा हूं, माननीय बहुगुणा जी ने भी थोड़ा सा हिंट इस ओर किया था उसे बतला देना और उसका उत्तर देना आवश्यक समझता हूं। उनकी जहां तक इच्छा है कि मजदूरों के हित का समुचित रूप से ख्याल किया जाय। और मजदूर अगर अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने उन मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि को भेजना चाहें तो वहां पर भेज सकें। वह भी, जब कि सरकार की जितनी कमेटियां बनती हैं और सरकार उन कमेटियों में इन मजदूरों संगठनों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि को स्थान देती है तो वहां न देने का कोई मतलब नहीं मालूम होता। मगर जब यह कोई सुझाव दे कि वहां पर दिया जाना चाहिये तो इस सुझाव का यह अर्थ लगाया जाय हम जाने के लिये तैयार नहीं हैं, मजदूर के प्रतिनिधि रहें, कोई व्यक्ति विशेष जाने के लिये तैयार नहीं है। यहां पर एक सिद्धांत की बात कही गयी। उनका भी वह स्थान है वह भी जायं, और जो मजदूरों के मान्य संगठन हैं वे तमाम संगठन मजदूरों के हित के साथ खेल नहीं करते, बल्कि उनके हित के साधन हैं। अभी रैशनलाइजेशन कमेटी जो बनी हुई है उसमें भी मजदूर संगठन के प्रतिनिधि हैं। तो जो मकान बना हुआ है उसमें वह प्रतिनिधि क्यों न आयें। इसमें यह बात नहीं है कि अगर कोई सुझाव देता है तो वह इसलिये कि उसी मजदूर संगठन के द्वारा स्वतः जाना चाहता हो इसलिये सुझाव दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। इस तरह का अर्थ अगर माननीय सदस्य किसी सुझाव से निकालेंगे तो उस अर्थ का अनर्थ ही करेंगे। अब जितने विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हो रहे हैं और जिसमें कुछ लेन-देन की बात होती है उस सब में एक वाक्य जरूर लाया जाता है, हर विभाग के द्वारा कि जो कुछ भी देय रकम होगी वह मालगुजारी की तरह वसूल की जायगी। मालगुजारी कैसे वसूल होगी उसमें किस तरह की ज्यादती हो रही है, किस तरह से सख्ती हो रही है और

[श्री राजनारायण]

जो सेलेक्ट कमेटी बनी हुई थी उसमें भी बड़ा विरोध किया गया है। जिस तरह से सरकार चाहे मालगुजारी की वसूली की योजना चला रही है। मगर जो मजदूर धन पैदा करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, और आवश्यक सामग्रियों को बनाते हैं वह जिस मकान में रहें उसका किराया कैसे वसूल होगा उसके लिये उन्हें जेल में भी ले जाया जायगा, उन्हें पकड़वाया भी जायगा। उनको तरह तरह से परेशान भी किया जायगा। जो व्यवस्था अंग्रेजी साम्राज्यशाही हुकूमत के जमाने से मालगुजारी वसूल करने की थी वही करीब-करीब उनके ऊपर लागू की जायगी। मगर जो निजी मकान मालिक हैं, उन मकान मालिकों के किराये की वसूली की क्या व्यवस्था है, उसमें किरायेदारों को सहूलियत है। उसमें किरायेदार अपनी हालत को कुछ सुरक्षित पाता है। मगर आज तो यह सरकार जनता के धन से, जनता के लिये, सामान्य जनता नहीं, बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पैदा करने वाला मजदूर, वह जो अपने खून को पसीना बनाता है और धन पैदा करता है, राष्ट्र, देश और समाज के लिये, उसके लिये यह सरकार कानून बनाना जरूरी समझती है कि अगर उसके ऊपर बकाया रह गयी है किराये को, तो मालगुजारी की, तरह वसूल किया जाय। पकड़ कर जेल में बन्द करो, परेशान करो, वारंट भेजो, उसके ऊपर तरह तरह की दिक्कत पेश करो। दूसरी बात, श्रीमन्, किराये की दर क्या होगी? कितना किराया देना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किराया प्राप्त हो तथा अन्य परिव्यय उन दरों से तथा उन दिनांकों पर देय होंगे जिन्हें गृह आयुक्त निश्चित करे। जो गृह आयुक्त महोदय होंगे वह जो भी दर निश्चित कर दें। 'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा'। वह जो भी दर निश्चित कर दें वह मान्य होगी उस मजदूर को। सामान्य सरकारी कर्मचारी के लिये तो यह माना है कि वह अपने सेलरी का १/१० दे कर सरकारी बिल्डिंग्स में रह सकता है, तो क्या वह बिल्डिंग जो मजदूर के लिये बनाई जा रही है वह जनता की बिल्डिंग नहीं है? सरकार की बिल्डिंग नहीं है? अगर सरकार अपने को जनता की सरकार कहती है तो क्या वह बिल्डिंग जनता की नहीं है? पर उस बिल्डिंग के लिये किराया निश्चित करने का सारा का सारा अधिकार उस गृह आयुक्त को क्यों दिया जा रहा है, यह विचारने की बात है। इस पर माननीय मंत्री जी को बड़ी उदारता के साथ, ठंडे दिल के साथ, विचार करना चाहिये कि कितना बड़ा अधिकार गृह आयुक्त को देने जा रहे हैं और वह यदि अधिकार का दुरुपयोग करले, निरंकुश हो जाय, यदि उसका माथा फिर जाय, तो क्या से क्या अनर्थ हो सकता है इसकी कल्पना जरा सदन के सम्मानित सदस्यों को होनी चाहिये। जहां जहां आज सरकारी कर्मचारी, जिलाधीश अन्य किसी ऐसे अफसर के हाथ में इतने बड़े व्यापक अधिकार हैं वहां वह अगर निरंकुश गति से चलता है, जनता के हित में उसका इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि जनता के अहित में उसका दुरुपयोग करता है, तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है इसकी कल्पना कीजिये।

मैं दुख के साथ कहता हूं कि यह जो गृह आयुक्त को किराया निश्चित करने का अधिकार दिया जा रहा है, यह नहीं दिया जाना चाहिये। इसमें कोई शर्त होनी चाहिये, कोई कंडीशन होनी चाहिये कि गृह आयुक्त किन-किन मान्यताओं को सामने रख कर किराया तय करेगा। यहां कोई मान्यता नहीं रखी गई है बल्कि एब्सोल्यूट अथारिटी दे दी गई है उसको। फिर एक, दो, ढाई हजार जो तनख्वाह पाये वह तो अपनी तनख्वाह का १/१० दे कर सरकारी भवन में निवास कर सकता है, लेकिन जो ३० रुपया या ५० रुपया पाता है उसके निवास-स्थान का किराया गृह आयुक्त निश्चित करेगा, यह क्या है? यह कानून मजदूर के लिए हित कर है या यह कानून मजदूर के लिये अहितकर होगा? निश्चित मानिये कि मजदूर के लिये यह कानून अहितकर ही होगा, वरना इसमें बड़ी आसानी के साथ स्वतः सरकार की ओर आना चाहिये था कि मजदूर से किसी भी समय में जो वह तनख्वाह पाता है उसका १/२० से अधिक किराया नहीं लिया जायगा। मैं १/२० कह रहा हूं, तो यह कोई निश्चित न समझ लें कि मैंने आंकड़े लगा कर यह कहा है। हमारा सिद्धान्त है कि टैक्स लगाने के लिये देश में आज प्रपोर्शनल सिस्टम होना चाहिये। जिसकी आमदनी इतनी कम है कि वह अपना

काम उसमें पूरा नहीं कर पाता है, अपनी जरूरतें उसमें पूरी नहीं कर पाता है तो उसको कर-भार से उतना ही मुक्त होना चाहिये। उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। वह मजदूर दस, बाहर घंटे मेहनत करता है और अपने श्रम को लगा कर मूल्य पैदा करता है, अन्न पैदा करता है तो आज जो वह अन्न को पैदा करने का अपराधी बना हुआ है आज इस पूंजीवादी ढांचे में, साम्राज्यवाद के युग में उस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग इसलिये कर रहा हूं कि यह साम्राज्यवाद विदेशी नहीं है, यह हमारा देशी साम्राज्यवाद है। इस देशी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से काम चलने वाला नहीं है। इस देशी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का खात्मा करना होगा, उन्मूलन करना होगा, इसका विनाश करना होगा।

अब श्रीमन्, जरा यह देखा जाय कि यह जो लिखा है अध्यासन की शर्तें और अनधिकृत अध्यासन में समझा गया व्यक्ति। यह अनधिकृत अध्यासन में समझा गया वह व्यक्ति माना जायगा कि जो इस अधिनियिम के प्रयोजनों के निमित्त, जब तक इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी गृह के अपने अनधिकृत अध्यासन में समझा जायगा—

(क) यदि उसने गृह पर कब्जा उस स्थिति में किया हो, जो गृह आयुक्त द्वारा की गयी प्रदेशना के अन्तर्गत अथवा अनुसार न हो;

(ख) यदि प्रदेशना गृहीता होते हुए धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन प्रदेशना निरस्त हो जाने के कारण वह गृह के अध्यासन का अधिकारी न रहा हो;

(ग) यदि वह अधिनियम में पारिभाषित औद्योगिक श्रमिक न रहे।

अधिष्ठाता—एक बात मैं माननीय राजनारायण जी से निवेदन कर दूं कि इस समय सामान्य विवाद होना चाहिये और एक-एक धारा को ले करके अगर आप बहस करेंगे तो वह जरा असंगत सा होगा।

श्री राजनारायण—इसलिये मैं तमाम धाराओं को छोड़ रहा हूं जो आवश्यक हैं उन्हीं की ओर हिन्ट किये देता हूं क्योंकि तमाम धाराओं पर चलने लगूंगा तो तीन दिन चाहिये। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मजदूरों पर क्या आफत होती है यहां तक कि कानपुर में जब हड़ताल चली थी जरा उसका तमाम सम्मानित सदस्य ख्याल करें कि २६ मई को मिल मालिकों ने एक हुक्म निकाल दिया कि.....

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य सब जानते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, नहीं जानते। अगर उसकी तनिक भी जानकारी होती तो फिर कहना हीं क्या था। मिल मालिकों ने हुक्म निकाल दिया कि जो मजदूर काम पर नहीं आयेंगे उनका नाम निकाल दिया जायगा। अब आपके इस विधेयक के जरिये मजदूर हड़ताल नहीं कर पायेंगे, क्योंकि अभी तक तो मजदूर हड़ताल करते थे, वे अपने हाते में रहते थे, अपने हाते से कानूनी तौर पर नहीं निकाल दिये जाते थे, मगर अगर इस तरह का कानून बन जायगा और हमारे गृह आयुक्त महोदय या श्रम आयुक्त महोदय किसी को कह देंगे कि मिलमालिक ने नोटिस लगा दिया कि फलां तारीख को नहीं आयेगा तो वह मजदूर नहीं माना जायगा, तो वह रह सकता है उस मकान में? यानी इन्डायरेक्टली उसके हक पर कुठाराघात हो रहा है या नहीं? जो उसका मौलिक अधिकार है, स्ट्राइक करके अपने मांग को पूरा करने का वह खत्म हो जायगा। इस नियम के मुताबिक उस मजदूर को हड़ताल पर जाने से भी रोका जायगा और उसको पुलिस के जोर पर मकानों से टांग पकड़-पकड़ कर, खींच कर निकाल दिया जायगा। हमें तो दुख है और श्रीमन्, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक मिनट में बता दूं कि जब यह नियम नहीं था, जब हाते में मजदूर रहता था, एक मजदूर का लड़का मर

[श्री राजनारायण]

गया था इस सरकार की पुलिस ने यह कहा उन औरतों से जो रोने के हेतु आयी हुई थीं कि तुम १४४ धारा तोड़ रही हो, पकड़ कर बन्द कर देंगे। इतना जुल्म फैलाया जा रहा है पुराने कानून को आश्रय बना करके। तो फिर इतनी पावर सरकार को इस विधेयक के जरिये दे दी गई तो मैं समझता हूं कि बड़ा ही अनर्थ है और यह मजदूरों को हमेशा के लिये पंगु बनाने के लिये और उनको हमेशा अपने चंगुल में रखने के लिये आज इस रूप में इस विधेयक की धारा आयी है। उद्देश्य तो अच्छा है, जो लोग देखेंगे कहेंगे कि अच्छा है फिर क्यों राजनारायण, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग विरोध करते हैं। मगर मैं साफ कहना चाहता हूं कि उद्देश्य कोई अच्छा हो, उस उद्देश्य का पालन करने का तरीका गलत है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है और आज इस गांधी के मुल्क में अहिंसा का नाम ले करके गोलियां चलायी जाती हैं, आज गांधी के मुल्क में जनतंत्र का नाम ले करके सारी ताकतें केन्द्रित की जाती हैं। मजदूरों पर धड़ाधड़ गोलियां चलाई जाती हैं और उस पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

एक बात न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र का बाधित होना है। न्यायालय सरकार के द्वारा निर्मित है तो जब दूसरा निजी मकानमालिक किराये के लिये न्यायालय के अधिकार से बाधित नहीं किया गया है तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उस मजदूर के लिये न्यायालयों के अधिकार को क्यों बाधित किया जा रहा है। मजदूर अपने हक को पाते, न्यायालय में जाकर इस पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। इससे क्या इस सरकार की मंशा नहीं व्यक्त होती है। सरकार छिपे हुये भवनों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। जरूर होती है। चाहे कहने के लिये माननीय मंत्रीगण या कोई दूसरे माननीय सदस्य उठकर कह लें कि यह तो राजनारायण की आदत पड़ी हुई है, यह हमेशा विरोध ही करते हैं जैसा की आप की जानकारी में भी श्रीमन्, यह बात होगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कह दी कि राजनारायण को तो जहां कांग्रेस सरकार या कांग्रेस का नाम आयेगा, वहां दोष ही दोष नजर आयेगा। दोष से तो भरी हुई है यह सरकार, तो हमें दोष नहीं नजर आयेगा तो और क्या नजर आयेगा। कोई भी विधेयक या कोई भी अमेंडमेंट जो इस सरकार ने अब तक पास किये हैं, एक भी विधेयक ऐसा बता दिया जाय जिसमें अंग्रेजी शासन के जमाने में जो पावर सरकार के हाथ में थी उससे अधिक पावर इस सरकार ने न ली हो। मैं चुनौती देता हूं। एक भी ऐसा बिल या अमेंडमेंट बिल मुझे बता दिया जाय जिसमें पहले अंग्रेजी शासन के जमाने जो कानून बने हुये थे, उनमें जितनी ताकत सरकार के हाथ में थी, उससे अधिक ताकत इस सरकार ने अपने हाथ में न ली हो। सन् १९१६ का म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट, सन् १९१४ का टाउन एरिया ऐक्ट जिस पर आज विचार हुआ, किसी को भी आप ले लीजिए। तो इन तमाम बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

अच्छा, श्रीमन्, एक और बड़ा जबर्दस्त जो मजदूरों के ऊपर बोझ लादा जा रहा है इस विधेयक के जरिये, वह मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि यदि वह किराया नहीं दे पाता है, वह किराया जो अनियंत्रित ढंग पर, बिना न्याय को सामने रखे हुए तय किया गया है, तो उस किराये की वसूली में जो व्यय होगा, उस तमाम व्यय को उस मजदूर को देना पड़ेगा, कितना व्यय होगा, कैसे वसूली होगी, क्या होगा....

अधिष्ठाता—माननीय शिव नारायण जी जरा शान्त रहें।

श्री राजनारायण—तो उसको भी अच्छे तरीके से हमको अपने सामने रखना चाहिये कि आखिर मजदूर है, गरीब है, उसके पास अपने जीवन निर्वाह का साधन नहीं है, तब वह अपने घर को छोड़ कर अपनी कुटिया को छोड़ कर दूर जा करके शहरों में बसा हुआ है और वहां पर अपना जांगर लगाता है, तो उसके बकिये किराये की वसूली मालगुजारी की तरह करो

और फिर उसके ऊपर चाहे जितना भी व्यय हो, चाहे वह पुलिस के लाने में व्यय हो, चाहे हथियार बन्द पुलिस के लाने में व्यय हो, या चाहे जिस तरीके से व्यय हो, अगर दस रुपया किराया वसूल करना है तो उस दस रुपये की वसूली में सौ रुपया भी व्यय हो जायगा, तो उस मजदूर को ११० रुपया देना पड़ेगा। कहां का न्याय है, कहां का औचित्य है ? औचित्य के मार्ग पर चलने का जो यह सरकार दम भरती है वह कहां औचित्य के मार्ग का अवलम्बन कर रही है।

श्रीमन्, चूंकि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने इसके ऊपर संकेत कर दिया था मैं उस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन इतनी अपनी आपत्ति अवश्य व्यक्त करना चाहता हूं कि सभी उचित बला क्या है। यानी मजदूर के अवास में, मजदूर के क्वार्टर में यह गृह-आयुक्त, उपगृह-आयुक्त, सहायक गृह-आयुक्त अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी किसी भी मजदूर के घर में यथोचित सहायकों के साथ सभी उचित बेलाओं में दाखिल हो सकता है। जरा शब्दावली देखिए श्रीमन्, सभी उचित बेला क्या है। बाल्यावस्था बीती, युवावस्था बीती, वृद्ध काल में मंत्रीगण आये मगर वह अभी तक इस बात को नहीं समझ पाये कि उचित बेला क्या है। श्रीमन्, आप जरा स्वतः समझें यह क्या मजाक का यह विधेयक है। जो लोग इस विधेयक को बाहर पढ़ेंगे, वह इस सरकार की बुद्धि पर तरस खायेंगे। वह सोचेंगे कि आखिर इतना रुपया हम व्यर्थ बरबाद कर रहे हैं, एक एक मंत्री के ऊपर छः छः हजार रुपया खर्च हो रहा है तमाम इसके निवासस्थान का व्यय, इनके फर्नीचर का व्यय, इनके गमनागमन के साधन पर व्यय, इन सब पर मिला कर इतना व्यय हो रहा है, मगर यह उचित बेला नहीं समझ पायें कि उचित बेला है क्या। किस बेला में मजदूर के घर में यह गृह-आयुक्त, उपगृह-आयुक्त, सहायक गृह-आयुक्त या अन्य अधिकारी प्रवेश कर सकता है और यही नहीं कि यही जायं बल्कि यथोचित सहायकों के साथ। यह यथोचित सहायक कौन होंगे श्रीमन्, मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि जिस समय मजदूरों ने अपनी उचित मांग के लिये आवाज बुलन्द की कि हम ४ लूम नहीं चाहेंगे तो गुंडों को मिलमालिकों ने मिलों में बन्द करके रखा। उनको रात रात भर खाना खिलवाया और एक एक गुंडे के ऊपर ५–५, १०–१० रुपया खर्च किया गया, ताकि वे मजदूरों पर लाठियां बरसावें, उनको जबरदस्ती पकड़ कर काम पर भेंजे और उनकी स्त्रियों और बच्चों को परेशान करें कि वह मिलमालिकों के कारखानों में काम करें। मजदूर कहते थे कि हम दो ही लूम चलायेंगे, चार नहीं चलायेंगे, यह हमारे साथ अन्याय है। अपनी न्याय की मांग पाने के लिये मजदूर हड़ताल किये हुए थे। हमने यह पहले ही साफ कर दिया है कि अब उस हड़ताल की परिस्थिति में मिलमालिकों के इशारे पर गृहायुक्त यह काम करेंगे।

अधिष्ठाता—अब कितना समय आप और लेंगे ?

श्री राजनारायण—यह तो बड़ा व्यापक है।

अधिष्ठाता—तो आप अपना भाषण अगले सरकारी दिन जारी रखिएगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
५ सितम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२६ पर)

तालिका

भ्रष्टाचार विरोधी समिति, अलीगढ़ ने सन् १९५४ और १९५५ में जिले एवं कचहरियों में भ्रष्टाचार आदि से सम्बन्धित जो प्रस्ताव पास किये तथा जो सुझाव समिति के सामने आयें, उन पर की गई कार्रवाई का विवरण ।

क्रम-संख्या	प्रस्ताव एवं सुझाव	कार्रवाई का विवरण
१	सुझाव पेश किया गया कि भ्रष्टाचार विरोधी समितियों को पुनस्संगठित किए जाने का प्रस्ताव पास किया जाय । समितियों के कार्यों एवं विस्तार की प्रस्तावित रूपरेखा पेश की गई जिसके अनुसार भ्रष्टाचार रोकने तथा प्रशासन का स्तर ऊंचा करने में समितियां अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें ।	सुझाव एवं समिति के कार्यों और विस्तार की प्रस्ताविक रूप रेखा समिति के सदस्यों को विचारार्थ भेजी गई ।
२	प्रस्ताव पास हुआ कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अभद्र व्यवहार की शिकायत करने के नियमों के सम्बन्ध में जो सरकारी आदेश जारी हुए हैं उनका पर्चे बटवाकर प्रचार किया जाय ।	पर्चे का आलेख्य तैयार हो चुका था किन्तु भ्रष्टाचार विरोधी समितियों के पुनस्संगठन का विषय सरकार द्वारा विचाराधीन होने के कारण इस पर्चे का प्रकाशन और वितरण स्थगित कर देना पड़ा ।
३	प्रस्ताव पास हुआ कि सभापति, कलेक्टोरेट बार एसोसिएशन से अदालतों से भ्रष्टाचार दूर करने के सम्बन्ध में सुझाव मांगे जायं ।	तदनुसार सभापति, कलेक्टोरेट बार एसोसिएशन को लिखा गया ।
४	प्रस्ताव पास हुआ कि सुपरिन्टेन्डेन्ट, सन्ट्रल एक्साइज एक पर्चा प्रकाशित करे जिसमें तम्बाकू पर आबकारी कर निर्धारित करने का तरीका बताया जाय तथा उन अधिकारी का उल्लेख हो जिनके पास इस सम्बन्ध में शिकायतें भेजी जायं ।	सुपरिन्टेन्डेन्ट, सेन्ट्रल एक्साइज ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा वितरित पर्चा प्रस्तुत किया । उक्त पर्चे में जानकारी की सभी आवश्यक बातें दी हुई हैं ।
५	प्रस्ताव पास हुआ कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्लानिंग) बीज गोदामों के कार्य के विरुद्ध शिकायतों की जांच करके अपने सुझाव दें कि किस प्रकार ऐसी शिकायतों को दूर किया जा सकता है । वे सम्बन्धित अधिकारियों को बीज गोदामों के कार्य की अक्सर देखभाल करने के लिये आदेश भी जारी कर दें ।	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्लानिंग) ने सम्बन्धित अधिकारियों को बीज गोदामों के कार्य की देखभाल के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिये तथा बीज गोदामों द्वारा बीज के वितरण एवं संग्रह से सम्बन्धित मुख्य नियमों की तख्तियां (साइन बोर्ड) बनवाई है जो सर्वसाधारण की सूचना के लिए बीज गोदामों के निकट लगवाई जा रही हैं ।

क्रम संख्या	प्रस्ताव एवं सुझाव	कार्यवाई का विवरण
६—उपर्युक्त	प्रस्ताव संख्या ३ के संदर्भ में सभापति, कलेक्टोरेट बार एसोसिएशन ने अदालतों से भ्रष्टाचार दूर करने के संबंध में निम्नलिखित सुझाव पेश किये । इन पर विचार किया गया और प्रस्ताव पास हुआ कि इनको जहां तक कानूनन सम्भव हो कार्यान्वित किया जाय । (क) कापींग विभाग से शीघ्र नकल मिलने का प्रबन्ध किया जाय । (ख) जमानत की दरख्वास्तों पर शोघ्र कार्रवाई की जाय । (ग) विचाराधीन मुकदमों में अभियुक्तों की हिरासत से सम्बन्धित कार्रवाई शीघ्र की जाय । (घ) मुकदमों से सम्बन्धित लोगों को अदालतों के दिन प्रति-दिन के कार्य में आवश्यक सुविधायें दिलाई जायं ।	अदालत के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किये गये ।
७—प्रस्ताव	पास हुआ कि जिला सप्लाई अधिकारी एक पर्चा तैयार करें जिसमें जनता को असली सीमेन्ट हासिल करने का तरीका बताया जाय और सचेत किया जाय कि नकली सीमेन्ट न खरीदें ।	सीमेंट के मिलने में सुविधा हो गई और सीमेंट के मिलने का तरीका भी बदल गया । तदनुसार पर्चे बांट कर संशोधित तरीका का प्रचार किया जायगा ।

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर)

Copy of G. O. No. 1387/XXII—837-1954, dated June 21, 1955, from the Deputy Secretary to Government, U. P., Home Department (Jails) to the District Magistrate, Etah

With reference to the correspondence resting with your letter no. 2033, dated March 23, 1955, regarding Murrah bull no. 121 belonging to the Animal Husbandry Department, which was sent to the District Jail, Etah for confinement on August 13, 1953, by the Sub-Divisional Magistrate, Jalesar. I am directed to observe that a magistrate has no authority to order confinement of an animal in a jail. I am accordingly to ask you to ensure that such invalid orders are not passed by magistrates in future and no animals are sent to jail for confinement.

No. 1387(1)/XXII—837-1954

Copy forwarded to all other District Magistrates, Uttar Pradesh, for information and guidance.

By order,

S. MASUDUL HASAN,
Deputy Secretary.

No. 1387(2)/XXII—837-1954

Copy forwarded to the Inspector General of Prisons, Uttar Pradesh for information in continuation of G. E. No. 4327 (1)/XXII—837-1954, dated December, 13, 1954. The maintenance charges of the bull in the jail should be treated as Miscellaneous Contingent expenditure and charged to "28—Jails". Necessary instructions to the effect that animal should not be admitted into jail for detention may please be issued to all Superintendents of Jails for guidance.

By order,

S. MASUDUL HASAN,
Deputy Secretary.

True Copy
R. P. VERMA,
Superintendent,
Home Department (Jails),
Civil Secretariat, U. P.,
Lucknow.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ८६ एल० ए०—१९५५—७९६ ।